



**जमाबन्दी
(प्रतिलिपि)**

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- सुखिया
पटवार हल्का :- कल्याणपुरा
भू.अभि.नि. :- सांगानेर
तहसील :- सांगानेर
जिला :- जयपुर

अंतिम चौसला आधार संवत :- 2074-2077 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 79
खाता संख्या पुराना :- 2

काश्तकार का नाम:-

1. जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर JDA हिस्सा- पूर्ण संस्था के लिए,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदर्भ लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामांतरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
1/1	0.4547	चाही 3	0.4547	9.32	नोट नं. 23 से दिनांक 13/06/2024 खसरा संख्या : 161, 164,	
1/2	0.2500	गै.मु.	0.2500		165, 167, 169, 170, 171 सभी काश्तकार पर तहसीलदार साहब	
10/2	0.7300	गै.मु.	0.7300		के आदेश क्रमांक/भू.अ./स्थगन/2024/2147-48 दिनांक 13/06/2024	
100	0.1000	गै.मु.	0.1000		क्रम में मा.न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर	
100/615	0.0500	गै.मु.	0.0500		के निगरानी/प्रार्थना/अपील स. 191/2024 के निर्णय दिनांक	
101	0.3700	गै.मु.	0.3700		07/06/2024 उनवान भोलू बनाम सुमित्रा माशुर वगैरह	
102	1.0800	गै.मु.	1.0800		में आपीलाधीन आदेश दिनांक ८/२/२०२४ वादग्रस्त आराजी की मोका	
102/1	0.2500	गै.मु.	0.2500		व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने का नोट लगा हुआ	
103	0.1200	गै.मु.रास्ता	0.1200		है।	
103/616	0.2000	गै.मु.	0.2000		स्वीकृत नामांतरकरण : 5 30/07/2024शुद्धिपत्र	
104/3	0.5300	गै.मु.	0.5300		स्वीकृत नामांतरकरण : 266 14/09/2022सर्मपण	
104/617	0.1000	चाही A	0.1000	4.40	स्वीकृत नामांतरकरण : 267 06/01/2023सर्मपण	
106/1	1.6000	गै.मु.	1.6000		स्वीकृत नामांतरकरण : 269 29/03/2023सर्मपण	
106/618	0.1000	चाही A	0.1000	4.40	स्वीकृत नामांतरकरण : 270 09/05/2023न्याया. आदेश	
11	1.4100	आवासीय प्रयोजनार्थ	1.4100	14	स्वीकृत नामांतरकरण : 272 05/10/2023सर्मपण	
110	0.1200	गै.मु.	0.1200		स्वीकृत नामांतरकरण : 274 13/10/2023सर्मपण	
111	0.8400	गै.मु.	0.8400		स्वीकृत नामांतरकरण : 275 13/10/2023न्याया. आदेश	
112	0.0300	गै.मु.	0.0300		स्वीकृत नामांतरकरण : 277 20/02/2024न्याया. आदेश	
113	0.7200	गै.मु.	0.7200		स्वीकृत नामांतरकरण : 278 16/03/2024न्याया. आदेश	
113/1	0.0200	गै.मु.रास्ता	0.0200		स्वीकृत नामांतरकरण : 282 12/07/2024न्याया. आदेश	
114	0.1500	गै.मु.	0.1500			



**जमाबंदी
(प्रतिलिपि)**

ग्राम का नाम :- सुखिया
पटवार हल्का :- कल्याणपुरा
भू.अभि.नि. :- सांगानेर
तहसील :- सांगानेर
जिला :- जयपुर

अंतिम चौसला आधार संवत :- 2074-2077 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
धेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 79
खाता संख्या पुराना :- 2

114/1	0.0100	गै.मु.रास्ता	0.0100	
115	1.1400	गै.मु.	1.1400	
115/588	0.0900	गै.मु.	0.0900	
116	0.6000	गै.मु.	0.6000	
116/589	0.0900	गै.मु.	0.0900	
117	0.4500	गै.मु.	0.4500	
12/1	0.9000	आवासीय प्रयोजनार्थ	0.9000	14
120	1.2700	गै.मु.	1.2700	
129	0.2500	गै.मु.	0.2500	135
13/1	0.4600	आवासीय प्रयोजनार्थ	0.4600	14
130	0.5900	गै.मु.	0.5900	
130/571	0.1800	गै.मु.	0.1800	
131	0.4000	गै.मु.	0.4000	135
132	0.8100	गै.मु.रास्ता	0.8100	
134	0.4000	गै.मु.	0.4000	
134/661	0.1500	गै.मु.	0.1500	135
135	0.0100	गै.मु.	0.0100	
136	0.1300	गै.मु.	0.1300	
138	0.5500	गै.मु.	0.5500	
144	0.3400	गै.मु.	0.3400	
145	0.3600	गै.मु.	0.3600	147
146	0.3400	गै.मु.	0.3400	
147	0.0100	गै.मु.चाह	0.0100	
148	0.1000	गै.मु.	0.1000	
149	0.5200	गै.मु.	0.5200	147
15/1	0.0700	आवासीय प्रयोजनार्थ	0.0700	
159/625	0.2900	गै.मु.	0.2900	
16/1	0.5100	आवासीय प्रयोजनार्थ	0.5100	14
160	0.1800	गै.मु.	0.1800	168
161	0.3600	गै.मु.	0.3600	168
162	0.9600	गै.मु.	0.9600	168
163	0.3900	गै.मु.	0.3900	138
164	0.6800	गै.मु.	0.6800	168
165	0.0200	गै.मु.आबादी	0.0200	
167	0.0700	गै.मु.	0.0700	



**जमाबंदी
(प्रतिलिपि)**

ग्राम का नाम :- सुखिया
पटवार हल्का :- कल्याणपुरा
भू.अभि.नि. :- सांगानेर
तहसील :- सांगानेर
जिला :- जयपुर

अंतिम चौसला आधार संवत :- 2074-2077 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
धेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 79
खाता संख्या पुराना :- 2

168	0.0200	गै.मु.चाह	0.0200	
169	0.2200	गै.मु.	0.2200	168
17/2	0.9300	आवासीय प्रयोजनार्थ	0.9300	14
17/607	0.0300	चाही 2	0.0300	0.87
170	0.0800	गै.मु.रास्ता	0.0800	
171	0.9200	गै.मु.	0.9200	166
172	0.6000	गै.मु.	0.6000	
173	0.4500	गै.मु.	0.4500	166
174	0.2800	गै.मु.	0.2800	166
175	0.7100	गै.मु.	0.7100	166
176	0.0900	गै.मु.रास्ता	0.0900	
177	0.7800	गै.मु.	0.7800	147
178	1.4400	गै.मु.	1.4400	147
179	0.1300	गै.मु.रास्ता	0.1300	
18/1	0.6600	आवासीय प्रयोजनार्थ	0.6600	105
18/606	0.0400	चाही 2	0.0400	1.16
180	0.0700	गै.मु.सङ्क	0.0700	
187	0.1800	गै.मु.सङ्क	0.1800	
189/594	0.2100	गै.मु.	0.2100	185
19/608	0.1000	गै.मु.सङ्क	0.1000	
190	0.1100	गै.मु.सङ्क	0.1100	
190/595	0.1700	गै.मु.	0.1700	185
191	0.3600	गै.मु.	0.3600	
192	0.8300	गै.मु.	0.8300	204
193	1.3600	गै.मु.	1.3600	166
194	0.2300	गै.मु.	0.2300	198
195	0.2200	गै.मु.	0.2200	198
196	0.5000	गै.मु.	0.5000	198
197	0.1300	गै.मु.	0.1300	
198	0.0100	गै.मु.चाह	0.0100	
199	0.3400	गै.मु.	0.3400	198
2	0.0200	गै.मु.चाह	0.0200	
200	0.2900	गै.मु.	0.2900	198
201	0.1300	गै.मु.रास्ता	0.1300	
202	1.2000	गै.मु.	1.2000	204
203	0.0600	गै.मु.	0.0600	204



**जमाबंदी
(प्रतिलिपि)**

ग्राम का नाम :- सुखिया
पटवार हल्का :- कल्याणपुरा
भू.अभि.नि. :- सांगानेर
तहसील :- सांगानेर
जिला :- जयपुर

अंतिम चौसला आधार संवत :- 2074-2077 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
धेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 79
खाता संख्या पुराना :- 2

204	0.0100	गै.मु.चाह	0.0100	
205	1.2600	गै.मु.	1.2600	204
206	0.3700	गै.मु.	0.3700	198
207	0.5800	गै.मु.	0.5800	198
208	1.1500	गै.मु.	1.1500	
209	0.6700	गै.मु.	0.6700	198
217	0.1000	गै.मु.	0.1000	
218	0.0500	गै.मु.	0.0500	
219	0.0600	गै.मु.	0.0600	
229	0.2100	गै.मु.रास्ता	0.2100	
237/590	0.0300	गै.मु.श्मशान	0.0300	
240	0.8000	गै.मु.	0.8000	249
241	0.8000	गै.मु.	0.8000	249
242	0.5000	गै.मु.	0.5000	249
242/627	0.0800	गै.मु.	0.0800	249
243	0.1400	गै.मु.	0.1400	249
243/628	0.1100	गै.मु.	0.1100	
244	0.3900	गै.मु.	0.3900	249
245	0.0400	गै.मु.	0.0400	249
246	0.1700	गै.मु.	0.1700	249
248	0.0100	गै.मु.	0.0100	249
249	0.0100	गै.मु.चाह	0.0100	
25	0.1300	गै.मु.	0.1300	
250	0.8900	गै.मु.	0.8900	249
251	0.6300	गै.मु.	0.6300	
252	0.2700	गै.मु.	0.2700	249
253	0.0500	गै.मु.झेरा	0.0500	
254	1.3200	गै.मु.	1.3200	
254/572	0.0800	गै.मु.	0.0800	
255	0.2300	बारानी 2	0.2300	1.38
255/631	0.1100	गै.मु.	0.1100	
256	0.0600	गै.मु.	0.0600	
259	0.0400	गै.मु.चाह	0.0400	
26	0.1400	गै.मु.	0.1400	
260	1.1800	गै.मु.	1.1800	
261	0.7500	गै.मु.	0.7500	
264/591	0.0400	गै.मु.श्मशान	0.0400	
265/1	0.3000	गै.मु.	0.3000	



**जमाबंदी
(प्रतिलिपि)**

ग्राम का नाम :- सुखिया
पटवार हल्का :- कल्याणपुरा
भू.अभि.नि. :- सांगानेर
तहसील :- साँगानेर
जिला :- जयपुर

अंतिम चौसला आधार संवत :- 2074-2077 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
धेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 79
खाता संख्या पुराना :- 2

265/2	0.0300	गै.मु.	0.0300	
266	0.7600	गै.मु.	0.7600	
267	0.4900	गै.मु.	0.4900	63
27	0.1600	गै.मु.	0.1600	
271	0.0300	गै.मु.	0.0300	
272	0.4200	गै.मु.	0.4200	
273/568	0.0700	गै.मु.श्मशान	0.0700	
274/592	0.6100	गै.मु.तलाई	0.6100	
278	0.0300	गै.मु.मन्दिर	0.0300	
28	0.2400	गै.मु.	0.2400	
287	0.1000	गै.मु.	0.1000	295
29	1.2300	आवासीय प्रयोजनार्थ	1.2300	
29/565	0.1600	आवासीय प्रयोजनार्थ	0.1600	
290	0.1100	गै.मु.	0.1100	295
291	0.2300	गै.मु.	0.2300	295
292	0.2000	गै.मु.	0.2000	295
293	0.1200	गै.मु.	0.1200	
294	0.1500	गै.मु.	0.1500	295
295	0.0400	गै.मु.चाह	0.0400	
296	0.1500	गै.मु.	0.1500	295
297	0.0600	गै.मु.आबादी	0.0600	
298	0.9800	गै.मु.	0.9800	
299	0.0100	गै.मु.चाह	0.0100	
3/1	0.0300	गै.मु.	0.0300	
30	0.8600	आवासीय प्रयोजनार्थ	0.8600	21
30/566	0.2000	आवासीय प्रयोजनार्थ	0.2000	
300	0.8100	गै.मु.	0.8100	
308	0.8800	गै.मु.	0.8800	
309	0.0100	गै.मु.चाह	0.0100	
31	0.4800	आवासीय प्रयोजनार्थ	0.4800	36
310	0.0400	गै.मु.	0.0400	
311	1.9000	गै.मु.	1.9000	
312	1.8600	गै.मु.	1.8600	
313	0.0200	गै.मु.चाह	0.0200	



**जमाबंदी
(प्रतिलिपि)**

ग्राम का नाम :- सुखिया
पटवार हल्का :- कल्याणपुरा
भू.अभि.नि. :- सांगानेर
तहसील :- साँगानेर
जिला :- जयपुर

अंतिम चौसला आधार संवत :- 2074-2077 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
धेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 79
खाता संख्या पुराना :- 2

314	1.2400	गै.मू.	1.2400	317
315/587	0.0900	गै.मू.	0.0900	
316	0.5800	गै.मू.	0.5800	
316/584	0.2500	गै.मू.	0.2500	
317	0.0200	गै.मू.	0.0200	
318	0.2700	गै.मू.	0.2700	317
319	0.2200	गै.मू.	0.2200	317
32	0.1400	आवासीय प्रयोजनार्थ	0.1400	
320	0.5000	गै.मू.	0.5000	317
320/633	0.0400	गै.मू.	0.0400	
321	0.0400	गै.मू.	0.0400	317
322	0.1100	गै.मू.	0.1100	
323	0.2700	जाव 2	0.2700	3.92
324	0.6700	गै.मू.	0.6700	317
324/577	0.0900	गै.मू.	0.0900	
324/634	0.0500	गै.मू.	0.0500	
325	1.3100	गै.मू.	1.3100	
325/635	0.0900	गै.मू.	0.0900	
326	0.1000	गै.मू.	0.1000	
327	0.1100	गै.मू.	0.1100	
328	0.1400	गै.मू.	0.1400	
329	0.3600	गै.मू.	0.3600	
33	0.2500	आवासीय प्रयोजनार्थ	0.2500	
33/605	0.0400	आवासीय प्रयोजनार्थ	0.0400	
330	1.0200	गै.मू.	1.0200	333
336	0.7000	गै.मू.	0.7000	
337	0.5900	गै.मू.	0.5900	
338	1.2200	गै.मू.	1.2200	
339	0.1400	बंजड 1	0.1400	0.42
34	1.3500	आवासीय प्रयोजनार्थ	1.3500	
340/1	0.1300	गै.मू.	0.1300	
37	0.1400	आवासीय प्रयोजनार्थ	0.1400	36
38	0.7200	आवासीय प्रयोजनार्थ	0.7200	36



**जमाबंदी
(प्रतिलिपि)**

ग्राम का नाम :- सुखिया
पटवार हल्का :- कल्याणपुरा
भू.अभि.नि. :- सांगानेर
तहसील :- सांगानेर
जिला :- जयपुर

अंतिम चौसला आधार संवत :- 2074-2077 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
धेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 79
खाता संख्या पुराना :- 2

397	0.0400	गै.मू.	0.0400		
398	0.2800	गै.मू.	0.2800		
399	0.1500	गै.मू.	0.1500		
4/1	0.0400	गै.मू.	0.0400		
40	1.2600	गै.मू.	1.2600		
400	0.1600	गै.मू.	0.1600		
401	0.3900	बारानी 2	0.3900	2.34	
401/574	0.0300	गै.मू.	0.0300		
402	0.5000	गै.मू.	0.5000		
402/641	0.1100	गै.मू.	0.1100		
404	0.4200	गै.मू.	0.4200		
41	0.5900	गै.मू.	0.5900		
46	1.0500	गै.मू.	1.0500		
47	0.4700	गै.मू.	0.4700		
48	0.4200	गै.मू.	0.4200		
483	1.1300	बारानी 3	1.1300	4.18	
484/1	0.0900	जाव 2	0.0900	1.31	
486	0.0800	बारानी A	0.0800	0.94	
488	0.0100	गै.मू.चाह	0.0100		
49	0.1800	गै.मू.	0.1800		
5/2	0.0100	गै.मू.	0.0100		
5/3	0.2900	गै.मू.	0.2900	2	
50	0.9000	गै.मू.	0.9000		
51	0.4500	गै.मू.	0.4500		
51/563	0.4700	गै.मू.	0.4700		
515	0.7200	बारानी 3	0.7200	2.66	
52	0.1900	गै.मू.रास्ता	0.1900		
53	0.8000	गै.मू.	0.8000		
53/576	0.2100	गै.मू.	0.2100		
54	0.0400	गै.मू.रास्ता	0.0400		
55	0.0600	गै.मू.रास्ता	0.0600		
56	0.0100	गै.मू.चाह	0.0100		
57	0.9000	गै.मू.	0.9000		
58	0.9900	गै.मू.	0.9900		
59	0.8800	गै.मू.	0.8800		
6/3	1.4200	गै.मू.	1.4200	2	
60	0.1300	गै.मू.	0.1300		
61	0.1600	गै.मू.सङ्क	0.1600		



**जमाबंदी
(प्रतिलिपि)**

ग्राम का नाम :- सुखिया
पटवार हल्का :- कल्याणपुरा
भू.अभि.नि. :- सांगानेर
तहसील :- सांगानेर
जिला :- जयपुर

अंतिम चौसला आधार संवत :- 2074-2077 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
धेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 79
खाता संख्या पुराना :- 2

62	0.0800	गै.मु.	0.0800	
63	0.0200	गै.मु.चाह	0.0200	
65	0.6300	गै.मु.	0.6300	63
66	0.8500	गै.मु.	0.8500	
665/243	0.0300	गै.मु.	0.0300	249
668/240	0.0300	गै.मु.	0.0300	
669/243	0.4100	गै.मु.	0.4100	
67	0.4900	गै.मु.	0.4900	
670/244	0.1800	गै.मु.	0.1800	
671/248	0.1300	गै.मु.	0.1300	
672/248	0.0900	गै.मु.	0.0900	
673/250	0.1100	गै.मु.	0.1100	
674/252	0.0300	गै.मु.	0.0300	
675/254	0.0700	गै.मु.	0.0700	
676/150	0.4400	गै.मु.	0.4400	
677/150	0.0800	गै.मु.	0.0800	
678/151	0.1300	गै.मु.	0.1300	
682/1	0.4000	गै.मु.	0.4000	
683/1	0.0600	गै.मु.	0.0600	
684/1	0.1100	गै.मु.	0.1100	
685/1	0.2000	गै.मु.	0.2000	
686/1	0.0700	गै.मु.	0.0700	
687/1	0.0200	गै.मु.	0.0200	
688/1	0.1000	गै.मु.	0.1000	
689/7	0.1400	गै.मु.	0.1400	
69	0.5200	गै.मु.	0.5200	63
692/315	0.0100	गै.मु.	0.0100	
693/316	0.1900	गै.मु.	0.1900	
695/217	0.1700	गै.मु.	0.1700	
697/218	0.1600	गै.मु.	0.1600	
698/219	0.2500	गै.मु.	0.2500	
699/219	0.2300	गै.मु.	0.2300	
7/1	0.0900	गै.मु.	0.0900	
70	0.3200	गै.मु.	0.3200	63
700/220	0.0400	गै.मु.	0.0400	
701/220	0.1700	गै.मु.	0.1700	
702/223	0.1800	गै.मु.	0.1800	
705/180	0.0600	गै.मु.सड़क	0.0600	



**जमाबंदी
(प्रतिलिपि)**

ग्राम का नाम :- सुखिया
पटवार हल्का :- कल्याणपुरा
भू.अभि.नि. :- सांगानेर
तहसील :- सांगानेर
जिला :- जयपुर

अंतिम चौसला आधार संवत :- 2074-2077 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
धेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 79
खाता संख्या पुराना :- 2

706/180	0.0500	गै.मु.सङ्क	0.0500	
707/180	0.0200	गै.मु.सङ्क	0.0200	
708/181	0.1300	गै.मु.सङ्क	0.1300	
71	0.8400	गै.मु.	0.8400	
712/184	0.0200	गै.मु.सङ्क	0.0200	
714/184	0.1400	गै.मु.सङ्क	0.1400	
715/186	0.0200	गै.मु.सङ्क	0.0200	
718/187	0.0300	गै.मु.सङ्क	0.0300	
72	0.4800	गै.मु.	0.4800	
721/1	0.4681	गै.मु. आवासीय	0.4681	
722/1	0.2472	गै.मु. आवासीय	0.2472	
724/7	0.4000	गै.मु.	0.4000	
725/8	0.0400	गै.मु.	0.0400	
726/270	0.0300	गै.मु.	0.0300	
73	0.0100	गै.मु.	0.0100	
731/304	0.0700	गै.मु.सङ्क	0.0700	
733/64	0.1700	गै.मु.सङ्क	0.1700	
735/268	0.2465	गै.मु.सङ्क	0.2465	
737/269	0.2067	गै.मु.सङ्क	0.2067	
739/104	1.4300	गै.मु.	1.4300	
74	0.5100	गै.मु.	0.5100	
742/717	0.0155	गै.मु.सङ्क	0.0155	
744/720	0.0056	गै.मु.सङ्क	0.0056	
745/118	0.9600	गै.मु.	0.9600	135
747/121	0.8900	गै.मु.	0.8900	135
749/133	0.3900	गै.मु.	0.3900	135
75	0.8600	गै.मु.	0.8600	
751/137	0.3350	गै.मु.	0.3350	135
753/19	0.1629	गै.मु.सङ्क	0.1629	
76	0.5500	गै.मु.	0.5500	
77/1	0.2600	गै.मु.	0.2600	
77/2	0.3100	गै.मु.	0.3100	
78	0.1600	गै.मु.	0.1600	
79	0.1500	गै.मु.	0.1500	
80	0.4200	गै.मु.	0.4200	
81	0.2600	गै.मु.आवादी	0.2600	



**जमाबंदी
(प्रतिलिपि)**

ग्राम का नाम :- सुखिया
पटवार हल्का :- कल्याणपुरा
भू.अभि.नि. :- सांगानेर
तहसील :- सांगानेर
जिला :- जयपुर

अंतिम चौसला आधार संवत :- 2074-2077 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
धेनफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 79
खाता संख्या पुराना :- 2

82	0.0100	गै.मु.चाह	0.0100	
83/1	0.6900	गै.मु.	0.6900	
83/2	1.2500	गै.मु.	1.2500	
84	1.1200	गै.मु.	1.1200	82
85	1.4800	गै.मु.	1.4800	82
86/1	0.6500	गै.मु.	0.6500	
86/2	0.0600	गै.मु.	0.0600	
87	0.5700	गै.मु.	0.5700	82
88	4.0000	गै.मु.	4.0000	82
89	0.5000	गै.मु.	0.5000	
90	1.2000	गै.मु.	1.2000	
91	1.7800	गै.मु.	1.7800	
92	2.2200	गै.मु.	2.2200	93
93	0.0200	गै.मु.चाह	0.0200	
94/1	0.1000	गै.मु.	0.1000	
94/2	0.0400	गै.मु.	0.0400	
96/1	0.6000	गै.मु.	0.6000	
96/2	0.3100	गै.मु.	0.3100	
97/1	0.1800	गै.मु.	0.1800	
97/2	0.1000	गै.मु.	0.1000	
98/1	0.4500	गै.मु.	0.4500	
98/2	0.3300	गै.मु.	0.3300	
99	0.3600	गै.मु.	0.3600	
99/614	0.1500	गै.मु.	0.1500	

कुल खसरे - 333 129.8022 129.8022 37.3000

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।

नकल जारी करने की तिथि :- 4-Oct-2025

Stamps and Registration Department
OFFICE OF SUB REGISTRAR SANGANER II

SANGANER

(Rule 75 & 131)

FEE RECEIPT

Fee Receipt No.	2014399000194	Date	13/01/2014
Presenter Name	SITA RAM TODAWAT	Document S. No	2014399000213
Presenter/Property Address	VILL. SHUKIYA TEH. SANGANER JPRRAJnull		
Document Type	Lease deed for local bodies (Patta)		

Claiment Name:		Payment Mode:	Cash
Face Value	3225252	Evaluated Value:	0
		Stamp Value	159010

Ord- registration fee:	32360	commission:	0
csf_more_50000	300	custody	0
stamp(memorandum)	0	reg(memorandum)	0
Penalty	0	us_57	0
stamp duty	2160	Surcharge	16127
us_23_34	0	others:	0
us_64_67	0	Inspection_fee	0
		Total :	50947

Fifty Thousand Nine Hundred Forty Seven Only

Cashier

Sub Registrar SANGANER-II



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



शहरी जमान्दी के आधार पर समूह आवासीय प्रयोजनों (गुप्त हाउसिंग) निजी खातेदारी योजना के अन्तर्गत मनि का एकल पटा-विलेख

(राजस्थान भू-राजस्व प्रक्रियनिरपेक्ष, 1956 की दरमा 10 'ख' के पाकवानों के इन्हाँगत आवधित राजस्वों के उपयोग परे)

यह इकाराणमा जो आज दिनांक २६/१२/२०१३ वाले अवधि-पर्यन्त संख्या १५८ तक की राजस्थान सर्व के गोपनीयता तिक्के इसमें दर्शात् लगवाया कहे कर सम्पादित किया गया है और दूसरी ओर भी सीधाराम टोडाकर्तु मुत्र श्री हरिकेशन टोडाकर्तु जाहि जाइ व्यवस्था कृषि नियाला ग्राम सुखिया, तहसील सांगानेर, जिल्हा जयपुर (मिनको इसकी पश्चात् पट्टवार काहार जम्मेलिया किया गया है और इस इकाराण में जहाँ कही प्रस्तुत से इस प्रति लिखते, उनके उत्तराधिकारी निर्वाचक, उद्घाटक, प्रतिनिधि और मन्त्रीद्वारा भी सम्मिलित होने) द्वारा लिया गया है।

इसमें दाल्लैलित जली और जलाती यो पहुँचाप हुआ निष्पादित रूप जातन लिए जाते हैं तो एक से दो जाता इसी हुआ पहुँचाप को जरूर का वह तमाम ज्ञात (यो उत्तरांश बाह द्वारा भूमध्यस्थ इन्हें क्षेत्र सम्बोधित किया जाता है) निष्पादन और मुन आवृद्धि घटती है जो निजी खाँहेदारी को योजना ग्राम सुखिया तड़सील सांगानेर के खसरा नम्बर 88 आवासीय युप हाउसिंग अनुगमीविह दीवारफल 11518.75 पर्स गज और जो अपनी सीमाओं और संचालन की गति इकाके भननाम सिवाय गवर्नरिट ने अधिक गुण क्षमता दर्शित है तब जिसका आकार विविध तरफ से इससे सलन्न नहोंगे में प्रियतमाम योग है और जिसे पूर्ण स्वस्तित गवर्नरी रखदारी लहित तिन्हु निम्नलिखित तमाम च प्रत्येक अपवाही संरक्षण, उत्तित्वान्वयी और जलाती के अपन यहुदाप जाने उपलब्ध, युपनीय और इनसेम्बल के लिए अपने अधिकार में रखेगा अपने—

ਉਸਾ ਨੂਰਪਣ ਵਾਹੀ ਜਮਾਈਦੀ ਵੇਂ ਆਖਾਰ ਪਰ ਲੈਂਤ ਬੋਲ ਕਿ ਜਾਣਿਆ ਕਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀਵ ਦੀ ਅਤੀਂ ਦੀ ਸਾਰੀ

२. पहुँचप, जश्चुर विकास इंडिया, लाप्पुर के कार्यसभा में तो राज समाज हजार रुपया-समय पर निवेद लग्ये रखना यह नियमन हर 70/- लूपये प्रति बुर्ज गज से ज्ञान नियमन उपरि 3.05.213/- पर्याप्त है। जाह जल्मा से ज्ञान

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਿਸ਼ਨ | ਸੰਪਰੀ ਸਾਹਮਣੇ 100-442, ਪਿੰਡ 13-10-2013 | ਫ਼ੋਨ: 0172-2222222

दिनांक 10.12.2013 ते जाता ते हजार 20 अर्थीता भरी यंत्रे की इते ते हजार एनार्डी लघवी देणे हो। असे साकारा का आदेश हमारा एफ-१५(१)पृष्ठी/३/२००१ दिनांक 15.01.2012 ते जाता यांत्रि तीव्र राखि 845080/- रुपये रुपये ने छ. सात्र पैलालिस हजार रुपयात लघवे नीने ८२० रुपयात भरीता 390412 दिनांक 17.12.2012 ते जाता हो।

३. उपरोक्त कुशल का जयंती आवासीय ग्रुप हाउसिंग डेन्ह लिम्ल लाइम्स। कुशल का जन्म मिन्न उक्कोट शिरी गी भाटी रही किये जा लक्षणों में 2001 के भूउष्ण के सबूत में राज्य सरकार की आदेश दिनांक 10.7.20 फ़रवरी प-६ (३) न.हि.पि. /१/१० द्वारा अन्न विभिन्नों के प्राकृतिकों में प्रदाता विभिन्नता के बहुत नियन्मन द्वारा विभिन्न विभिन्न जगत् है वह नियन्मा अद्योग निर्माण के सबूत में संकेतित विभिन्नों के अनुसार कार्यालयी ती जावेंगी एवं सेट डेंग पतान के अन्तराल छोड़ने देंगी।

४. इस लीपीडीएच के आधार पर उत्ता भूगोल की तात्काल/लीपीन यौन नियम/विद्युत्प्रृष्ठ बैंक/एकाधिक अवश्यकीय सेवा/एच डी एच ली. अवश्यक नेतृत्व एवं दाता अधिकार अवश्यकीय सेवाओं के पास भवन नियमण को ज्ञान के लिए गिरवा सदा तो सहेग।

८ पट्टीवार उमस भुज्याए ता उस पर बाहरी गये भद्रन वा भद्रनी का था जो दोनों के लिये भाग जो लियी एसे आगे ही लिये जो लिये एवं न लियेंहित आत्मप के असंगत हैं इन्होंना सरकार या सरकार के द्वारा दरभासी ही लियेंहित लियेंहित की जो एकत्र लियुका पिया गया हो, तो उपरोक्त में लाठेण और न उपरोक्त में जाने जी अनुसन्धि ही कींगा। पट्टीवार इन्होंना यहां लियेंहित की उपरोक्त शर्त एवं ही उस द्रव्यप्रयोग से जुड़ा हुआ है। १९३५ में प्रसारित लियेंहित की

四

उच्चपंचजीविक
समानरुद्धिसिद्ध

उपायुक्त (जीवन-४) ✓
प्रधान विकास प्राधिकरण, उत्तरप्रदेश



सर्वमंत्र जयते

INDIA NON JUDICIAL
Government of Rajasthan

e-Stamp

Certificate No.
 Certificate Issued Date
 Account Reference
 Unique Doc. Reference
 Purchased by
 Description of Document
 Property Description
 Consideration Price (Rs.)
 First Party
 Second Party
 Stamp Duty Paid By
 Stamp Duty Amount(Rs.)

: IN-RJ01032805650780L
 : 26-Dec-2013 01:08 PM
 : SHCIL (FI) rjshcld1/ RAMBAGH/ RJ-JP
 : SUBIN-RJRHSHCIL0101077913347737L
 : SITARAM TODAWAT
 : Article 33(c)(ii) Lease Deed for Local Bodies (Patta)
 : KH.NO 88 PART VILL SUKHIYA TEH SANGANER JAIPUR
 : 0
 : (Zero)
 : JDA
 : SITARAM TODAWAT
 : SITARAM TODAWAT
 : 1,29,010
 : (One Lakh Twenty Nine Thousand And Ten only)



Please write or type below this line.....

निजी खातेदार (आवासीय गृह हाउसिंग एकल पट्टा)

द्याम सुखिया तहठ सांगानेर

खोनो 88

क्षेत्रफल 11518.75 वर्ग मीटर

आवासीय गृह हाउसिंग एकल पट्टा

के लिए लीजडी देतु 129010+10/-

के रदायप तलान है।


उप पंजीयक
सांगानेर डिटीय

चपायुक्त (जोन-1) ८
जापुर विकास प्रभाग ०१८५६१८३

Secretary Alert:

- The authenticity of the Stamp Certificate should be verified at www.rajstamps.com. Any discrepancy in the details of the Certificate will be liable to the legal penalties.
- The user of e-stamp has no objection to the use of this certificate.
- In case of any discrepancy please inform the concerned authority.

SITE PLAN OF GROUP HOUSING PLOT IN PART OF K.NO.- 88
 AT VILLAGE- SUKHIYA (RAMPURA ROAD), TEH-SANGANER, JAIPUR
 G.H. PLOT AREA :- 9630.83 Sq.Mtr. (11518.47 Sq.Yds.)
 SECTOR ROAD AREA :- 348.17 Sq.Mtr. (416.41 Sq.Yds.)
 1. F.A.R. - STANDARD - 1.33
 MAXIMUM - 2.25
 2. MAXIMUM BUILTUP AREA = WITHIN SET-BACKS
 3. MAXIMUM HEIGHT :- AS PER J.D.A. BY LAWS 2010-11 POINT- 8.11
 4. MAXIMUM GROUND COVERAGE AS PER BY LAWS 2011 = 35 %



SITE ENGINEER
 ZONE -8

ATP/DTP
 ZONE -8

D.Y.O COMMISSIONER
 ZONE -8

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY

JAIPUR

30.00/-



UNIT T.S.
D S TOWER, NAGAR NIGAM ROAD
IN FRONT OF SBI BANK
SANGAMER, JAIPUR - 302025

FA(300)(F)(G)STAMP/FRANK/07/95



30064 SPLADH राजस्थान
170441 JAN 13 2014
14:22
R.0030000/- PB7043

STAMPS & SECURITY BALAJI MAM



निजी खातेवार (आवासीय ग्रुप हाउसिंग एकल पट्टा)
ग्राम सुखिया तहो सांगानेर

खातेवार का नं 088

क्षेत्रफल 11518.75 वर्ग गज
आवासीय ग्रुप हाउसिंग एकल पट्टा
के लिए लीजडीड हेतु 129010+10/-
के स्टाम्प संलग्न हैं।

उपायुक्त (जान-ई)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

३
ग्रुप हाउसिंग
सांगानेर दिल्लीगढ़

આજ દિનાંક 13 જીએ જાન્યારી તથ 2014 નો 01:23 PM રો
સે.બી.સી.સુલી SITA RAM TODAWAT પુરુષ/સુલી કી HARIKISHAN TODAWAT
અય 48 વર્ષ, જાતી JAT વર્ગાન AGRICULTURE
શિક્ષણ VILL. SHUKIYA TEH.SANGANER JPR RAJ null
રૂ. મેરી રાધાનગર વસ્તાવેલ પંચાંગ ડેટુ. પ્રચ્છા સિદ્ધા

कृतिपत्र प्रस्तुताम्
(2014399000213)
(Leave deed for 10)

संगानेर ता पंजीकरण
SANGANER-II

संख्या नं०	[2014399000194]
वितरण	[13-1-2014]
प्रतीकात् सुनक रु०	32260
प्रतीकात् शुल्क रु०	0
प्रतीकात् शुल्क रु०	300
उच्च सुनक रु०	16127
मध्य सुनक रु०	2260
कुल लेन रु०	50547

(2014395000213) 3rd floor, SANGANERI-13
(Lense dead for local bodies (Pata))

आर एस टोडावत/मुख्य (Executive)
1-SITA RAM TODAWAT / MARIKISHAN TODAWAT
सी-48 एस एस - JAT, संगानेर - AGRICULTURE
पिंडी - VILL. SHUKIYA TEH. SANGANER JPR RAJ

Symptoms



Land Claims

मेरी सेवाएँ: Lesser dues for local bodies (Panchayat) के पक्ष सुन या अपनाकर लिखायें तबले सहित लिखा। प्रतिवेदन वार्ता नं 3225252-/- के अनुसार इसका नं ३२२५२५२-/- पूर्ण है _____ ने संक्षण तात्पुरता सहित लिखा।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਰਨ ਵਿਖੇ

1- श्रीमद्भूमि MUKESH CHOURHARY
पुरा गुड़ी लाला में JAGDISH CHOURHARY
मो-25 वर्ष वर्षी-JAT व्यवसाय -BUSINESS
पिंडी VILL. MIKHANA TEH.SANGNAER IPR RAJ.

QW



मेरी योग्यता का अनुपात उसकी विद्या के साथ ही होता है।

(20143920301213)

20 JUNE 2011 SANGAMERI

Please check for local bodies (Municipalities).

परा 54 के तहत प्रमाण-पर
उम्मिद रखा जाता है कि इस सेवा पर
वी सलिलत अपने 3225252
नामों परु इस पर देव अपने मुद्राएँ
पर्याप्त 2260 पर उपर्याप्त सुन्दर 32260 गुरु रमने 34320 परिवे राधी संभवा
[2014399000194]
दिनांक [11-1-2014] में जमा किये गये हैं।
अतः संभवा की रमने 161270
के मुद्राओं पर विस्तृत जमा जाता है।

(2014399000213) अप पर्याप्त, SANGANER-II
(Lease deed for local bodies (Patta))

अतः संभवा 13/1/2014 की
पुस्तक संभवा 1 फिल्म रंगना 251
ने पृष्ठ नम्बर 107 का संलग्न 201439900016707
विस्तृत विवर जमा जाता अधिकारी
पुस्तक संभवा 1 फिल्म रंगना 1003
के पृष्ठ नम्बर 83 से 92
पर वहाँ दिया जाता।

(2014399000213) अप पर्याप्त, SANGANER-II
Lease deed for local bodies (Patta)

4658 26.12.2013

मुद्राकारी का दस्तावेज़ १७
दोस्रा का नाम श्री लक्ष्मीनारायण चौधरी
तिथि/परिवर्ती का नाम ३१० ईश्वरगढ़
मिसाली २८१८ अक्टूबर २०१३ बाहुदारी

मुद्राकारी का दस्तावेज़ १८
सम्बोधित कर्ता का दस्तावेज़

अनुष्ठान संख्या
लक्ष्मीनारायण चौधरी
एवं गुरु विजय चौधरी परिवर्ती
परिवर्ती
L No. 42/2002 /



आज दिनांक 13/1/2014 वर्ष
पुणे संस्का । लेह लेह 251
मे पहुंचना 107 अम लेह 201439900016702
विविध विवा गता तता अधिकार
पुणे संस्का । लिंग संस्का 1903
मे पहुंचना 83 से 92
पर लेह लिया गया।

(2014399000213) 
पर लेह, SANGANER-II
Lease deed for local bodies (Patta)



SHCIL



Warning

"The creation of this certificate can be verified with authority and would require any member of the public or www.shcilstamps.com or any authorized collector's credit address displayed at www.shcilstamps.com or com."

"Any alteration to this certificate makes it invalid. Use of an altered certificate without all the security measures could constitute a criminal offence."

"This document contains security features like coloured background with lace, decorative floral patterns and subtle logo images. Complex ornamental design borders, anti-copy text, the application of micro printing, artificial watermarks and other Green and Greenish features."



१ यूर्ज पालन की जारी। यदि किसी गाँव का सर्वोच्च किया रुपा तो उक्त मूल्यक एवं उस पर दर्शन हुए भवन, यदि
२ कोई हो तड़ित उक्त मूल्यक दिए किसी सुनापते की रासी के अधिकार पर लिया जाए।

नोट : इस मूल्यक दर्शन प्रिया [कर] दिया गया आदेश दस्तावेज़ १२-३८ दिनांक ०८.०७.२०१३ की मनुकार नटक विवेता स्वयं खातावार
के पक्ष में किया जाने से पर्याप्त मूल्य राशि 32.25.252/- रुपये है। आदर दस्तावेज़ नं. १११६७६१८५ _____ दस्तावेज़ रुपये
129010+10 रुपया १११ = २ छहशियत रुपा इसकी साथ लगावे जाते हैं।

इसकी साथी की तरफ में दुराढ़ी प्रतिकारों ने इसके बाहर प्रतिक दरकार में निर्देशित राशि जोड़ जाएंगी या अन्त-आम-दस्तावेज़ रुपये हैं।

सरकार की ओर से

आज दिन २०१३, माह ८ बीमां के २५ दिन २०१३ की ओरकार मल जीनी राम
अधिकारी, जयपुर विकास प्रभिकारण, जोग ८, जयपुर



जयपुर विकास प्रभिकारण (ज्योति भवन)
जयपुर विकास प्रभिकारण, जयपुर

एवं
एटेंडर कार्यालय, जयपुर विकास प्रभिकारण,
जयपुर में निम्न साथी की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये।

(Amit)

एटेंडर के हस्ताक्षर

साथी :-

१. नाम :- काशिनाथ शीघ्री
पिता/पति का नाम - श्वै श्री नारायण जाल
व्यवसाय - शृंखि
निवास - ग्राम नेवदा लहसील जागानेर, जयपुर

साथी के हस्ताक्षर

२. नाम :- बाबूलाल जाट
पिता/पति का नाम - श्री पीखर राम जाट
व्यवसाय - शृंखि
निवास स्थान - ग्राम भीहनपुरा, लहसील जागानेर, जयपुर

साथी के हस्ताक्षर




The contents of this certificate can be verified online at www.rasr.jaipur.gov.in by any member of the public worldwide. The address of the Actuary is displayed at www.rasr.jaipur.gov.in free of cost.

Any alteration of this certificate renders it invalid. Use of an altered certificate without all the security features could constitute a criminal offence.

This document contains security features like coloured background with Laces, Geometric flexible patterns and solids, Inky images, Computer generated numbers and other Govt and Central features.

22/2/2010



Stamps and Registration Department
OFFICE OF SUB REGISTRAR SR - V

JAIPUR

(Rule 75 & 131)

FEE RECEIPT

For Receipt No.	2014397006142	Date:	14/02/2014
Presenter Name	SITA RAM TODAWAT	Document S. No.	2014397005270
Presenter/Property Address	VILL. SUKHIYA TEH. SANGANER DIST JAIPUR/RAJASTHAN		
Document Type	Agreement of Developer		
Claiment Name	UMESH GUPTA		
Face Value			
	Evaluated Value	44282556	
			Payment Mode: Cash
			Stamp Value: 440100

Ord- registration fee
cal_more_5000
stamp(memorandum)
Penalty
stamp duty
us_25_34
us_64_87

commission	0
custody	0
reg(memorandum)	0
us_57	0
Surcharge	0
others	44282
Inspection_fee	0
Total :	44282

Ninety Six Thousand and Three Hundred Thirteen Only

Cashier

Sub Registrar JAIPUR-V





उत्तराधिकारी

यह उत्तराधिकारी का नाम दिनांक 27.12.2014 को :-

दीताराम दोडायत पुत्र श्री हरिकिशन /डायत (चौधरी) जाति जाट निवासी
गांव सुखिया, लालसील सांगानेर, ज़िला जयपुर।

(जिसको इस उत्तराधिकारी का नाम में अर्थात् 'प्रबन्ध पक्ष' से सम्बोधित किया
गया है जिसमें इनकी अशाधारीगण, उदाधिकारी, प्रतिनिधि इत्यादि भी सम्मिलित हैं।)

श्रृंखलागारी (ओवरट) प्रबन्ध पक्ष

(Signature)

एवं

लगातार :

For Prem Bagar Infra Projects Pvt. Ltd.

(Signature)
Auth. Signatory/Director

सब रजिस्ट्रार, जयपुर
पंचम

प्रेमसागर इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, अ०, कॉम्पौन्ड अमूली नगर, 1956 के अन्तर्गत एक रजिस्टर्ड कम्पनी है जिसका रजिस्टर्ड अमूली नगर 69-11, घनस्थानीय स्ट्रीटल के पास, न्यू सांगानेर रोड, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान अधिकृत निवासक, उमरा गुप्ता पुत्र श्री बी.एल. गुप्ता जाति महाजन निवासी 69-12, मानसरोवर, जयपुर, जयपुर।

(प्रेमसागर इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को इस डबलपर्सेट एचीमेट में आगे याकूब राष्ट्र द्वितीय पक्ष से सम्बोधित किया गया है जिसमें उनके समस्त निवासकान्वय, अंशधारीण, उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि इत्यादि भी शामिल हैं।)

विज्ञालकर्म (अमूली) द्वितीय पक्ष

को मध्य लिखा जाता है।

जो कि जिला जयपुर, तहसील सांगानेर, याम सुखिया में निवासी भूमि रखता नम्बर 88 में सूचित एक सुप हाऊसिंग भूखण्ड पूर्व व उत्तरमुखी रिथल है जिसका कुल क्षेत्रफल 11510.47 चार्गन है।

उक्त सुप हाऊसिंग भूखण्ड की सीमाओं में पूर्व की ओर 48 मीटर चौड़ा आने-जाने का सरकारी रास्ता, परिवहन की ओर अन्य भूमि, उत्तर की ओर 18 मीटर चौड़ा आने-जाने का सरकारी रास्ता, दक्षिण की ओर अन्य भूमि है।

उक्त सुप हाऊसिंग भूखण्ड प्रथम पक्ष के त्वामिक, अधिकार का है एवं प्रथम पक्ष ने उक्त भूखण्ड का नियमन शुल्क व एकमुश्त लीज राशि जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को अदा कर दी तथा जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर से उक्त सुप हाऊसिंग भूखण्ड का आवासीय प्रबोजनार्थ पट्टा विलेला क्रामक 148 विनांक 26/12/2013 ईस्ती को प्रथम पक्ष के नाम का लिखा जाकर मिल गया, उक्त पट्टे का पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय, सांगानेर (द्वितीय) की पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 251 को पृष्ठ संख्या 107 में क्रम संख्या 2014399000167, अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 1003 को पृष्ठ संख्या 83 से 92 पर दिनांक 13/01/2014 ईस्ती को हुआ है।

इस प्रकार प्रथम पक्ष ज्वरोक्त सम्पूर्ण सुप हाऊसिंग भूखण्ड का विना किसी अन्य स्वर्कित को राहे व हिस्से यो एकमात्र त्वामी, अधिकारी व काबिज है जिसको आज तक किसी भी व्यक्ति, वेक अथवा सरकार यो हित में किसी भी प्रकार से रहन, विक्रय, बरखीश व अन्य प्रकार से हस्तान्तरित नहीं किया है और न ही किसी एकार का अनुबन्ध इत्यादि कर रखा है, प्रत्येक प्रकार के झगड़े, टट्टे, त्रणादि के भार एवं बच्चन, जमानत, कर्जा, कुर्की, डिक्री, अधिवाहण इत्यादि सरकारी व जनसाधारण से मुक्त है, उक्त सुप हाऊसिंग भूखण्ड के सभीय में विस्तीर्णी भी न्यायालय में न तो कोई वाद विचाराधीन है और न ही स्थगन आदेश इत्यादि है। उक्त सुप हाऊसिंग भूखण्ड के सम्बन्ध में प्रथम पक्ष का टाइटल नीट एण्ड पर्सन, मार्केटेल है तथा प्रथम पक्ष को उक्त सुप हाऊसिंग भूखण्ड प्रत्येक प्रकार से हस्तान्तरित करने के सम्पूर्ण स्वत्वाधिकार मालिकाना प्राप्त है।

H.S. J.



सुप हाऊसिंग, जयपुर
रुद्रगढ़

लगातार :

For Prem Sagar Infra Projects Pvt. Ltd

A. M.



प्रथम पक्ष उक्त सुप हाऊसिंग भूखण्ड पट बहुमंजिक अपार्टमेंट विलिंग का निर्माण करना चाहता है जिसके सम्बन्ध में प्रथम पक्ष के पास प्रधान अनुमति यह सुन सका अमावस्या है इसलिये प्रथम पक्ष ने उपरोक्त सुप हाऊसिंग भूखण्ड पट बहुमंजिक अपार्टमेंट विलिंग निर्माण करना वा प्रस्ताव द्वितीय पक्ष के समक्ष रखा जिसके द्वितीय पक्ष राहमत हो गया, इस सम्बन्ध में :-

प्रथम पक्ष की उपरोक्त सम्पूर्ण सुप हाऊसिंग भूखण्ड पट विलिंग बनाने यह हस्त सम्बन्धित कार्यवाही करने एवं डबलपर्मेन्ट एपार्टमेंट निर्माणित व पंजीकरण कराने के लिए अधिकारी प्रेमसागर इफ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड जिलका, राजस्थान 69-11, घनवंशी हॉस्टिटल के पास, न् सांगानेट रोड, मानतारोपर, जयपुर जिले अधिकृत निवेशक उमेश गुप्ता को कन्वनी की ओर से डबलपर्मेन्ट के सम्बन्ध में समझ कार्यवाही करने के लिये अधिष्ठृत कर रखा है, जो अब तक अद्यतना है।

एतद्वारा दोनों पक्ष यह इकट्ठात्वामा लिखकर इकट्ठार करते हैं कि निम्नलिखित शर्तों की पालना करेंगे :-

1. यह कि इस डबलपर्मेन्ट एपार्टमेंट की ब्याजमुद्रा व वापसदेव लिक्विडिटी के लिए लिक्विडिटी राशि 2,21,00,000/- दो करोड़ इक्कीस लाख रुपये द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को पास जमा करायेगा, जिसमें से 46,92,339/- रुपये अक्षरे छियालीस लाख बानवं हजार तीन सौ उनतालीस रुपये द्वारा बैक नम्बर 400151 दिनांक 17/12/2013 ईर्ष्यी ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, मध्यम मार्ग, मानसरोपर शाखा, जयपुर के समाचोरण में, 1,50,000/- रुपये अक्षरे एक लाख पचास हजार रुपये द्वारा बैक नम्बर 400153 दिनांक 25/12/2013 ईर्ष्यी ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, मध्यम मार्ग, मानसरोपर शाखा, जयपुर व 1,57,661/- रुपये अक्षरे एक लाख साताशन हजार छ: सौ इकट्ठार रुपये द्वारा बैक नम्बर 400155 दिनांक 25/01/2014 ईर्ष्यी ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, मध्यम मार्ग, मानसरोपर शाखा, जयपुर, कुल 50,00,000/- रुपये अक्षरे पचास लाख रुपये प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से पूर्ण में प्राप्त कर लिये हैं जिसकी प्राप्ति होना प्रथम पक्ष इस डबलपर्मेन्ट एपार्टमेंट में स्वीकार करता है, शेष प्रतिभूति राशि में से, 1,00,00,000/- रुपये अक्षरे एक करोड़ रुपये प्रोजेक्ट लाइंग के दिन एवं 71,00,000/- रुपये अक्षरे इकट्ठार लाख रुपये प्रोजेक्ट लाइंग के 45 दिन की अवधि में प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष से और प्राप्त कर लेगा।
2. यह कि सारकार की दोजना के अन्तर्गत उक्त सुप हाऊसिंग भूखण्ड के लिए ई.उच्च.एस. वाजाट तो लाईदेगा एवं उक्त ई.उच्च.एस. को लिए जो जे.डी.ए. से भुगतान मिलेगा, उसकी अन्तर राशि दोनों पक्ष तयशुदा अनुपात में वहन करेंगे, यदि ई.उच्च.एस. बनाना पड़ा तो जमीन व निर्माण का खर्च दोनों पक्ष तयशुदा अनुपात में वहन करेंगे एवं सारकार से प्राप्ति राशि को दोनों पक्ष तयशुदा अनुपात में बाटेंगे।
3. यह कि उक्त प्रोजेक्ट के लिये जो अतिरिक्त एक.ए.आर, छठीद वा जावेगी, उसका खर्च प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष तयशुदा अनुपात में वहन करेंगे।
4. यह कि उक्त प्रोजेक्ट के मानचित्र अनुमोदन का खर्च द्वितीय पक्ष वहन करेगा।

सब राजस्ट्रर, जयपुर
— पंचम

(A-1447)

लगातार :
For Prem Sagar Infra Projects P.M. Ltd

Auth. Signatory/Director

5. यह कि आवकट, दलाली इत्यादि प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष संघर्षदान अनुपात चूक्ते करेंगे।

6. यह कि उक्त प्रोजेक्ट के मानवित्र अनुमोदन होने व युप हाऊटिंग भूखण्ड पक्ष के दिन से तीन वर्ष की अवधि व छ: माह की ऐस अवधि त्रुट्टीय पक्ष उक्त प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य पूर्ण करायेगा, जिसमें अलफल होने, परे 1,00,000/- रुपये अक्षर एक लाख रुपये प्रतिमाह द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को अदा करेगा।

7. यह कि उक्त कॉम्प्लेक्स का निर्माण पूर्ण होने के दीरान वर्ग, शम्बिंदी, कानूनी आवेदा जो प्रथम पक्ष/द्वितीय पक्ष वो नियंत्रण से बाहर हो, विलिंग मेट्रियल की उपलब्धता ना होना, ट्रासोपोर्ट की हडताल, सरकारी पाबनिया, देशीकृत्य अथवा अन्य प्राकृतिक आपदा अथवा भू-स्वामी प्रथम पक्ष के टाईटल में खोट अथवा पट्टीसी द्वारा सक्षम न्यायालय प्राधिकरण इत्यादि द्वारा रहे/आर्डर लाना अथवा ऐसा अन्य कोई कारण जो उपलब्ध प्रतियोगी पक्ष के नियंत्रण से बाहर हो की जिम्मेदारी उपलब्ध प्रतियोगी पक्ष वो नहीं होगी एवं इसमें लगाने वाला समव उक्त तबशुदा समय में नहीं गिना जायेगा।

8. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा सम्बन्धित सक्षम विभागों से प्राप्त स्वीकृतियों के अतिरिक्त किसी भी समय यदि नियामों में छूट मिलेगी तो प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष उक्त छूट का लाभ उठायेंगे एवं इत सम्बन्ध में एफ.ए.आर. कर्य करना अथवा सरकार को राहि अदा कर्नी होगी तो प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष तबशुदा अनुपात में वहन करेंगे एवं अतिरिक्त क्षेत्र का निर्माण द्वितीय पक्ष स्वयं के रूचि से करायेगा एवं ऐसे अतिरिक्त निर्माण में प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष का तबशुदा हिस्सा रहेगा।

9. यह कि उक्त प्रोजेक्ट में निर्मित होने वाले फ्लैट्स इत्यादि प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष संयुक्त रूप से बुक करेंगे एवं बुकिंग राहि प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष को संयुक्त नाम खुलने वाले एस्को खाते में जमा करायी जायेगी।

10. यह कि प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष किसी प्रतिष्ठित बैंक में संयुक्त नाम से संयुक्त हस्ताक्षरों से खुलने वाला लॉकर किटाये पर लेने विसमें उपरोक्त प्लाट वो समस्त असल कागजात (वीन-ऑफ-डाक्यूमेंट) सुरक्षित रख दिये जायेंगे, जब भी किसी वो असल कागजात दिखाने की आवश्यकता होगी तो प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष संयुक्त हस्ताक्षरों से लॉकर खोलकर असल कागजात दिखा देंगे। उपरोक्त युप हाऊटिंग भूखण्ड पर निर्माण की सम्बन्ध में उक्त दस्तावेजों के आधार पर द्वितीय पक्ष वो किसी भी बैंक/आर.एफ.सी./अन्य प्रिवेट संस्था से ज्ञान लेने वा अधिकार होगा, ऐसे क्रान मया ब्याज की अदायगी की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष वो स्वयं की होगी।

11. यह कि वह एग्रीमेंट प्रिसिपल टू प्रिसिपल बेसिस पर तब है।

12. यह कि द्वितीय पक्ष को साइट पर बोर्ड/होड़िंग लगाने व अस्थाई रूप से कार्यालय बनाने का अधिकार होगा।

सब रजस्टर, जयपुर
पंचम



विवरात्मक :
For Piram Sagar Infra Projects Pvt. Ltd.

Auth. Signatory/Director



13. यह कि प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष आपसी साहमति से निर्मित होने वाले फ्लैट्स का उक्त प्रोजेक्ट में निर्मित होने वाले फ्लैट्स की बुकिंग भावी क्लींटागण को कस्तुरी का अधिकार होगा तथा भी भी बुकिंग राशि/विप्रवर्य प्रतिफल राशि विश्वास में छाप्हा एवं बुरता प्राप्त होगी उक्त सर्वप्रथम सर्विस टैक्स, इन्वाप्ट टैक्स, अन्य राजकीय टैक्सेज एवं फ्लैट विक्रय के दलाली इत्यादि के अदायगी के पश्चात् 35 प्रतिशत राशि प्रथम पक्ष प्राप्त कराया जाएगा।
14. यह कि प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष संयुक्त हस्ताक्षरों से फ्लैट्स के भावी क्लींटागण के हित में विक्रय पत्र पंजीयन करायेंगे, किन्तु भी एक पक्ष को विक्रय पत्र पंजीयन कराने का अधिकार नहीं होगा।
15. यह कि उक्त प्रोजेक्ट एचीमेट को पंजीयन का मुद्रांक शुल्क, साठधार्ज, पंजीयन शुल्क इत्यादि प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष तयशुदा अनुपात में बहन करेंगे।
16. यह कि उक्त प्रोजेक्ट यो डाये का निर्माण पूर्ण होने पर प्रथम पक्ष प्रतिभृति राशि में से 1,10,50,000/- रुपये अक्षरे एक करोड़ दस लाख पदास हजार रुपये रिफ़र्ड यार देगा व प्रोजेक्ट निर्माण पूर्ण होने के दिन होवे छाप्हां प्रतिभृति राशि 1,10,50,000/- रुपये अक्षरे एक करोड़ दस लाख पदास हजार रुपये रिफ़र्ड यार देगा, अन्यथा उक्त नियमोंरिटी राशि का भार प्रथम पक्ष के हिस्से पर हो जायेंगे एवं ऐसी अवध्या में द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष यो हिस्से भी बुकिंग राशि/विप्रवर्य प्रतिफल राशि में समायोजन करने का अधिकार होगा।
17. यह कि उक्त प्रोजेक्ट के निर्माण के पश्चात् दोनों पक्षों द्वारा उक्त प्रोजेक्ट के मैटीनेन्स हेतु मैटीनेन्स टोसायटी का गठन किया जायेगा जिसकी प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष व उक्त प्रोजेक्ट में निर्मित फ्लैट्स मालिक ही मेष्टर होंगे एवं कॉमन एसिलिटीज को मैटीनेन्स को उद्देश्य से उक्त मैटीनेन्स टोसायटी को हैंडओवर किया जायेगा और उक्त सोसायटी द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करने हेतु व आनुप्राप्तिका कॉमन मैटीनेन्स पार्ज आदि वी अदायगी हेतु प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष व फ्लैट्स मालिक/कल्यापारी पांचद रहेंगे।
18. यह कि उपरोक्त युप हाऊसिंग भूखण्ड के सम्बन्ध में डबलपर्मेट एचीमेट पंजीयन से पहले के देव टैक्सेज इत्यादि वी अदायगी वी जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की रखवां की होगी एवं डबलपर्मेट एचीमेट पंजीयन के पश्चात् से लगने वाले समस्त प्रकार यो टैक्सेज इत्यादि के प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष जपने-जपने हिस्से के अनुसार जिम्मेदार होंगे।
19. यह कि यदि इस डबलपर्मेट एचीमेट को निष्पादन को पश्चात् उक्त सुप हाऊसिंग भूखण्ड के सम्बन्ध में किसी प्रकार का विवाद होने के कारण द्वितीय पक्ष को नुकसान होगा तो प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष की क्षतिपूर्ति करेगा, इसी प्रकार द्वितीय पक्ष की वजह से विटी प्रकार का नुकसान होगा तो द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष की क्षतिपूर्ति करेगा।

मेरा राजस्वार, जयपुर
पद्म

(Amit)

संगतार
For Prem Sagar Infra Projects Pvt. Ltd
Auth. Signatory/Director

20. यह कि यदि प्रथम पक्ष अशाया द्वितीय पक्ष इस डबलपर्मेन्ट एप्लीकेशन की शर्तों की पालना न करे तो पीडित पक्ष को पांच निर्णय (आवृत्तिशान) के द्वारा इस इन्कारानामे की विशिष्ट अनुपालना करवाने व खार्च, हजार दोषी पक्ष से बहालने का पूर्ण अधिकार होगा।

21. यह कि किसी भी विवाद का न्याय केंद्र जयपुर ही रहेगा।

22. यह कि इस डबलपर्मेन्ट एप्लीकेशन की शर्तों के दोनों पक्ष ने दोनों पक्षों के उत्तराधिकारी, पत्रिनिधि हस्तादि पूर्ण रूप से पावन ठैंडों, इकट्ठाटनामेंकी उत्तराधिकारी करने पर दोनों पक्षों को एक दूसरे पक्ष के विलङ्घ कानूनी कार्यवाही करने व खार्च हजार एकमुक्त बस्तु करने का पूर्ण अधिकार होगा।

अतः यह इकट्ठाटनामा दोनों पक्षों ने अपनी राजी-खुशी, स्वस्य वित्त तथा स्थिर बुद्धि की अवस्था में 100/- रुपये के एक स्टाम्प पेपर व पांच शीन पेपर पर लिला दिया है कि प्रमाण रहे और समय पर काम आये। इति:



हस्ताक्षर भू-द्वामी प्रथम पक्ष :




(सीताराम ढाडुक)

PAN - AEVPC 1046 F

For Preeti Sagar Infra Projects Pvt. Ltd

हस्ताक्षर विकासकर्ता द्वितीय पक्ष :



Auth. Signatory/Director
(प्रेति सागर इन्फ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड,

PAN : AAHCP 4742 N

जटिये अधिकृत निदेशाया उमेरा गुरा)



गवाह 1 *[Signature]*

मोती राम चौधरी ३० सुरज करण चौधरी
इमप इलाहापुरा पाटी - अमृतपुर
तै. - सामाजिक निः प्रभुर

गवाह 2 *[Signature]*

विकास राम ४० वर्षी रामपीलाल राम

विकास राम ४० वर्षी रामपीलाल राम
विकास राम ४० वर्षी रामपीलाल राम

सब संस्कार, जयपुर
पंचम



INDIA NON JUDICIAL
Government of Rajasthan

e-Stamp

Certificate No.

: IN-RJ0110977433813M

Certificate Issued Date

: 14-Feb-2014 03:09 PM

Account Reference

: SHCIL (FI) V RSHCIL01/ SANGANER/RJ-RU

Unique Doc. Reference

: SUBIN-RJFJSHCIL0101150780397929M

Purchased by

: PREM SAGAR INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED

Description of Document

: Article 5(bbbb) Agreement /Power of Development

Property Description

: PRIVATE LAND KHASRA NO. 65/VILLAGE SUKHAITER
SANGANER JAIPUR

Consideration Price (Rs.)

: 0
(Zero)

First Party

: SITARAM TODAWAT

Second Party


: PREM SAGAR INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED

Stamp Duty Paid By

: PREM SAGAR INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED

Stamp Duty Amount(Rs.)

: 4,40,000
(Four Lakh Forty Thousand only)



.....Please write or type below this line.....

Ad 14/11

G

.....



सर राजस्थान, जगपुर
- पंचम



0001730355

Statutory Alert:

1. The authenticity of this E-Stamp Certificate should be verified at www.accessstamp.com. Any discrepancy in the details on this Certificate will be liable on the website/authorities involved.
2. The user is advised to keep a photocopy of the copy of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the concerned authority.



"The contents of this certificate can be used and relied upon worldwide by any member of the public at any time without any enquiry or any Authorised Collector's certificate required as may be mentioned hereinafter."

"Any alteration in this certificate makes it invalid. Use of an altered certificate without all the security features could constitute a criminal offence."

"This document contains security features like embossed background with Doty Graphic, flexible plastic and faint logo images. Complex embossed design featuring anti-copy text, the appearance of false printing, artificial watermarks and other Overlaid Covert features."

RECORDED







पाता 54 की नक्त प्रमाण-दर
उमापिंड विका लोन है जो इस देश का
वे गवर्नरल लोन 44282556
गवर्नर बूरा लोन पर देव लोन लुधाना
परि 2730 पर लोन विवर सुन जाए अंक 20140 लोन अंक 52230 लोन लोन
(2014397006162)
विवर [14-2-2014] में लोन लिये गये हैं।
लोन विवर को लोन 442830
से लुधाने पर लियाहिं लोन लोन है।



(2014397005270) लोन लोन, JAIPUR-V
(Agreement of Developer)

लोन लिया 24/2/2014 को सब रजिस्टर, जयपुर
पुस्तक लोन । लिया संख्या 751
वे लोन लोन 100 लोन लोन 2014397005244196
लियाहिं लिया लोन लोन लोन
पुस्तक लोन । लिया संख्या 3000
वे लोन लोन 514 से 525
लोन लोन लोन।

(2014397005270) लोन लोन, JAIPUR-V
Agreement of Developer

सब रजिस्टर,
पुस्तक



आज दिनांक 14 मार्च 2014 को 02:27 PM 'वेट
बी.सी.मार्ग/मुक्ति SITA RAM TODAWAT द्वारा दुरुप्रीचालने से HARIKISHAN TODAWAT
आ... वर्ष, जारी JAT व्यापार BUSINESS
विवाही VILL. SUKHIYA TEH. SANGANER DIST JAIPUR नहीं null
ने लें जम्मु कश्मीर दलाली है यहां परिवार

कालांक प्रस्तुतिः
(2014397005270)
(Agreement of Developmen

कर्तव्यान् विद्युते जयपुर
मृदुलीसंगम अहम् ।
पंचम

रारी शे	[2014397006362]
दिनांक	[14-2-2014]
पंजीयन मुद्रा रुप.	50000
प्रतिक्रिया मुद्रा रुप.	0
प्राप्त मुद्रा रुप.	310
अवय रुप. रुप.	44283
सभी संख्या मुद्रा रुप.	2730
कुल रोप. रुप.	97313

(2014397005270) 3940000-14000R-1
0. Agreement of Developers

अमा शीर्षकीयकारी (Executive) :
1-SITA RAM TODAWAT / HARSHIKSHAN TODAWAT
उमा-०५८ अमौ - JAT, असाम -BUSINESS
विलासी - VILL. SUKHIYA TEH. SANGAKER DIST JAPUR

Signature:



Thumb



(And Claimant)

I - UMESH GUPTA / B.L. GUPTA
मा -०८५ नंगी - MAHAJAN १९७३४ - BUSINESS
प्रियो - ५९/१२ HANSAROVAR SCHEME JAIPUR AS DIR. PREM
SAGAR INFRA PROJECT PVT. LTD.

A black and white portrait photograph of a man from the chest up. He has dark hair and is wearing a dark suit jacket over a light-colored shirt and a dark tie. The background is plain and light-colored.

ते संधायक Agreement of Developer को यह सुन ए समझौता
सिविल कानून संधायक होता। संधायक अपनी ज्ञान _____ तक
में ज्ञानेवाला, मेरे अभ्यास _____ पूर्व से _____ मेरे अन्य
प्राप्त गणना संधायक होता।

natives

2- वी-शर्मा/रामी VIKAS SHARMA
उमा रामी शर्मा वी RAMJI LAL SHARMA
34 -25 अंडा-BRAHMIN देवगढ़ -BUSINESS
प्रांकी LALSOT DAUSA RAJ.

Nikas —

ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਰੀ ਲਈ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

(2014397005270)

सब राजस्वार्थी
पंचम



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

出版地 / 地區 / 發售地 (市面) / 2015 / 0-152-5

Digitized - 01/7/2016

卷之三

10

www.english-test.net

第二回 誰是誰非在後

- 10 -

100

अपारा प्राप्ति या यह दिनांक 11.06.2014 के सहरे में जो उत्तरांचलमा पाया गया था, पुष्ट हावड़ीमा यात्रा-सुनिश्चित (वर्षपुरु) तालीम-सामग्री, जग्गांव तथा दूसरा दिन भूदेव (1430.23 वर्षसेवन लिंगाम) पर 55.90 मीटर छोड़ा (वर्षमेन्ट-1 + वर्षमेन्ट-2 + यूराम + 13 बीजिंग) के प्रत्यापित युप्त हावड़ीमा के नामधित यथए यानविहार समिति (पी.सी.) की 100वीं दिनांक 11.12.2014 में अनुमोदित विवेद-लाने का विवेद लिया गया था। अपेक्षा द्वारा द्वार्घेत जब जग्गांव कर तब विवेद लिया गया कि अनियन्त्रित विवेद-लाने का विवेद लिया गया था। अपेक्षा द्वारा द्वार्घेत जब जग्गांव के 15 बीटर से जब छोड़ा (वर्षमेन्ट-1 + वर्षमेन्ट-2 + यूराम + 3 बीजिंग) के पुष्ट हावड़ीमा के यानविहार समिति लाने दिये गये विवेद के जब से 12.40 मीटर छोड़ा (वर्षमेन्ट-1 + वर्षमेन्ट-2 + यूराम + 3 बीजिंग) के आवासिय वर्षसेवन के यानविहार समिति यानविहार समिति की 100वीं दिनांक 11.12.वर्षमेन्ट-2 + यूराम + 3 बीजिंग) के आवासिय वर्षसेवन के यानविहार समिति यानविहार समिति की 100वीं दिनांक 11.12.वर्षमेन्ट-2 + यूराम + 3 बीजिंग) की अनुमोदित कर जाने विवेद-लाने से, अपेक्षा द्वारा अनियन्त्रित अनामीत प्राप्त-पर, भावानीय विवेदलान विविहार का यह तत्त्व पर्यावरण लिया की अनामीत जग्गांव कर की वई है तथा अपेक्षा द्वारा 15.00 मीटर योदी लान जग्गांव 20.30 मीटर छोड़ा तब के ती यानविहार अनुमोदित करने का विवेद लिया गया है। अत यानविहार समिति योदी लान जग्गांव 20.30 मीटर छोड़ा तब की अनुमोदि लिया गयी के तात्त्व की वई है - (पी.सी.) की 100वीं दिनांक 11.12.2014 के विवेदलान जग्गांव 20.30 मीटर छोड़ा तब की अनुमोदि लिया गयी के तात्त्व की वई है -

- एक भवन अनुशासन कानून (भवनसंरचना प्रतिकरण की अनुपायी कानून) 2002 के अनुसार दिनांक 10.05.2013 तक प्रभावी है।
 - भवन नियन्त्रण विधिवाली समन्वयित्र के अनुसार ही किया जाना चाहे जिसी भी प्रकार का उत्तराधार (दिविशन) नहीं किया जाएगा।
 - भवनवाली के बाहरी एक मानविक दैवार करने वाले एकार्नीकीविडा का बल्लंग होगा कि वो यह सुनिश्चित कर ले कि स्टीमिंग मानविक इकाइयां गवाह व्यापक/जीवन व्यापक/भवन विधिवाली के मनुष्यान्तर हैं। यदि कोई उत्तराधार प्रतिकरण की अनुपायी की ओर अनुशासन विधिवाली का अधिकार होगा तब वह प्रतिकरण से फार्मी की जिसी भी प्रकार की क्षमियती का हो नहीं होगा।
 - आम द्वारा भवन विनियम 2010 की द्वारा 16.2 के अनुसार भवन नियन्त्रण कानून दायरे एक सूचना वह सौंदर्य पर अवधारणा जारी कियी। सर्वेत सर्वाधिक अनुप्रयुक्ति उपयोगिता और व्यापक अधिकारी की टेक्नोलॉजी गवाह इन्वारिंट विधिवाली की होने व अनुप्रयोग मानविक दृष्टिकोण के अनुसार वह अनुप्रयोग की होनी आवश्यक हो जाएगी। विनियम के द्वारा अनुप्रयोग मानविक एक भी आवश्यक जगत में नियन्त्रण करना बीमा पर रखी जाएगी।
 - नियन्त्रण कानून भवन विधिवाली के अनुप्रयोग की दृष्टि से यह रद्दी जाएगी।
 - आम द्वारा भवन विनियम 2010 की द्वारा 16.3 के अनुसार भवन नियन्त्रणार्थी द्वारा विनियम लिखन तथा ताका नियन्त्रण वूल होने की उपरा नियन्त्रित प्रकार में आवश्यक रूप से संबोधित उपकार्यालय जैसे जी वही जानी होगी। यदि इसकी अनुप्रयोगता भवन विनियम द्वारा नहीं हो जाती है तो जानी अनुशासन विधिवाली के अनुप्रयोग के विवरणों में जारी जाएगी।
 - आम विनियम 2010 की द्वारा 16.5 के अनुसार भवन विनियम के अन्वेषार्थी के अनुप्रयोग विधिवाली के अनुप्रयोग विधिवाली के अनुप्रयोग विधिवाली की होती।
 - उपर उल्लेखित के कारण यदि उपर विनियम प्रतिकरण को जिसी अनुप्रयोग सुझाव अधिकारी द्वारा दायर भूमि (अद्वितीय सौंदर्य एवं विनियम) अधिनियम के तहत नियुक्ती अधिकारी के समक्ष जिसी अवधारणी में कोई भी छारी, नुसारात्, गुरुत्वात् देना चाहे या वह योन्हेह लोही छारी उपर्युक्त दृष्टि की पूरी करके को दिए जाएं होंगा।
 - इसके एवं उल्लिखित इस द्वारा लगाए आये कि वह गवाह की भवन विनियम द्वारा नहीं हो।
 - स्वामी प्रदर्शन भवित्व के लिए स्टीमिंग सूची द्वारा दिये गए दृष्टिकोण दुखाई से भवित्व का नियन्त्रण नहीं करता।
 - उपर विनियम 16.7 एवं अन्य गोपी संस्कृत जीवन का उत्तराधार नहीं होते यह भवन अनुशासन द्वारा नहीं जाएगी।
 - स्वामी भवन के परिवर्तन को नीतिपूर्ण उपायों के अनुसार ही उपायां में लगा।
 - तकनीकीविडा को नियन्त्रण में स्वामी जिसांग जारी करदावेदारों जिसके लिये में सूचना प्रतिकरण तो भूमि में देनी होती। यदि तकनीकीविडा को बदलता जाता है तो इसकी सूचना 48 घण्टे के अवधारणालिखित द्वारा—एवं में प्रतिकरण को देनी होती।
 - स्वीकृत मानविक योग प्राप्ति दिनांक से जारी होते के अवधारणालिखित द्वारा होने वाले एक उत्तराधार में प्रकाशित जारी होने वाले उत्तराधार का उत्तराधार नहीं होता।
 - आदेश द्वारा परिवर्तन के पालन भवन विनियम 2011 के दिनांक 10.1.8 के अनुशासन सुनिश्चित की जानी होती।
 - भवन परिवर्तन में ही अनुशासन की पारिवर्तन दर्शाई जाने का अनुशासन हेतु विशुलक वाले परिवर्तन का बोर्ड लगावाया जाता।
 - भवन विनियम की द्वारा 16.5 की अनुप्रयोगता में स्वामी में सूचना प्राप्तिकरण रखा जाना सुनिश्चित किया जावे।

16. अग्निशमन दृष्टि में भवति अधिकारी द्वारा दिये गये अनलॉक भवन पर की तरीं की पत्रका सुनिश्चित की जानी आवश्यकतामुच्चार अग्निशमन दृष्टि (Fire Etinguisher) द्वारे जारी भवति इनको सम्मिलित करने के लिए प्रतिलिपि बनायी एवं भवन से बह उपलब्ध बनाया रखें।
17. नियमित स्थान पर खोजकाली का विषयता अधिकारी अनुसारी नामांकित, रासायन विकार की सुधन एवं भवन में सुखा एवं नियमित भवन (Escape Plan) का भवति भी प्रदर्शित (Display) उपकूल स्थान पर बनाया किया जावे।
18. अग्निशमन दृष्टि एवं भवन नियमित होने के उपरान्त आवश्यक कार्य की लिया जाने जाएगा।
19. भवन का उपर्योग प्रारंभ होने पर एक जैसे टैकर की नियुक्ति की जावे जिसके बाहर भवन का नामांकित, सुखा एवं नियमित भवन (Escape Plan) उपलब्ध रहे। इस प्रारंभ नियुक्ति जैसे टैकर की नीचाईनं संख्या एवं Land Line Number भी लिये जानकारी नियमित अनुसार जायपुर शासनाना व अधिकारीकारातानी की सूचना उपलब्ध करवाई जावे ताकि किसी भी सुधारना की जिसी ने बदल जाए वराणी का नियोग जावे।
20. भवन विनियम 2010 की भारा 17.3 की अनुसारता में 'भवति तथ्यी एवं द्राघी की एवं अवधारणाएँ की सुधारकर्ता की एवं स्वीकृति स्वत नियमित मानी जावेगी एवं हेतु नियमित स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवश्यकतारी की दोषी माना जावेगा।'
21. पर्यावरण प्रदूषण विभाग द्वारा जारी अनुसारी द्रव्य पर की अनुशासना आप द्वारा सुनिश्चित की जानी होगी।
22. भवन विनियम प्रदूषण पर्यावरण एवं विभाग की एवं अवधारणाएँ की सुधारकर्ता की एवं स्वीकृति स्वत नियमित मानी जावेगी एवं हेतु नियमित स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवश्यकतारी की दोषी माना जावेगा।
23. पर्यावरण प्रदूषण विभाग द्वारा जारी अनुसारी द्रव्य पर की अनुशासना आप द्वारा सुनिश्चित की जानी होगी।
24. भवन विनियम प्रदूषण पर्यावरण एवं विभाग हेतु जैसी समस्त जिम्मेदारी आवश्यक की हो रही है। यही समन्वय वही होने के बहुपाल एवं भवनात् इकाई के किसी भी नामीना व्यवायास में प्रकार अविद्या है अवधारणित रिहाइट है तो यही विनियम विभाग की दोषी होगी।
25. अनुसारी द्रव्य भवन विनियम शुल्क किये जाने के समय भवन विनियम द्वारा एक बीमा एवं सम्पूर्ण अवधारणा की सुधारकर्ता की अवधारणा जैसे उपलब्ध रहे जो ऐसे उपलब्ध पर कुछ उपलब्ध की ओर उपरान्त जैसे विभाग सभी लोगों को नियमित किये जाने जाने भवन की अनुसारी द्रव्य की पूरी जानकारी प्राप्त हो जाने।
26. भवन विनियम के सभी नियमित सामग्री से आवश्यक भवति की विधानकारीओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। इस हेतु भवन विनियम के दौरान भारी और पर्व तक बदलाव जावे।

विवरण

(मुख्य मिशन)
परिवर्त नाम नियोजक एवं
सदरव नामित
भवन सान्तानिक नामित (मी.पी.)
जायपुर विकास प्राधिकरण, जायपुर।

- प्रतिलिपि—** सुधनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
1. सुधन विभाग (प्रबन्धन), जायपुर का मानविकी वी एक प्रति (५ मानविकी) संस्थान कर अधिक कार्रवाई हेतु प्रियत है।
 2. उपर्युक्त, जीन-५, जायपुर विभाग प्राधिकरण, जायपुर का मानविकी वी एक प्रति (५ मानविकी) संस्थान कर अधिक कार्रवाई हेतु प्रियत है।
 3. सुधन विभाग, जीन-५, जायपुर विभाग प्राधिकरण, जायपुर का मानविकी वी एक प्रति (५ मानविकी) संस्थान कर अधिक कार्रवाई हेतु प्रियत है।
 4. उपर नाम नियोजक-दीपीनी (मी.पी.), प्राधिकरण, जायपुर का मानविकी वी एक प्रति (५ मानविकी) संस्थान कर अधिक कार्रवाई हेतु प्रियत है।
 5. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध नियोजक राजसभान राज्य विद्युत विभाग नियम विद्युत नियन्त्रण जनकारी, जायपुर यो सुधनार्थ प्रियत है।
 6. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध नियोजक राजसभान राज्य विद्युत विभाग नियम विद्युत नियन्त्रण जनकारी, जायपुर यो सुधनार्थ प्रियत है।

(मुख्य मिशन)
परिवर्त नाम नियोजक एवं
सदरव नामित
भवन सान्तानिक नामित (मी.पी.)
जायपुर विकास प्राधिकरण, जायपुर।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

मंत्रिमंडलीय अधिकारी / अधिकारी / शोधकारी (विनियम) / 2020 / वी - 667
श्री जगेश मुख्या
निदेशक,
फॉर प्रैग्यसामर इन्फ्रा ग्रोवर्स एस.एस.
पर्सनल कार्यालय- 69/11, घनवाली हॉस्पिटल के पास,
न्यू बांगानेर रोड, गांगानीर, जयपुर।

दिनांक - 10/6/2020

विषय— खसरा नम्बर 88, सुप हाउसिंग घाम-सुखिया (जयपुर), तहसील-सागानेर, जयपुर पर प्रस्तावित सुप हाउसिंग के भवन मानवित्र अनुमोदन बाबद।

नहींदय,

आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 25.06.2019 के सदर्न में खसरा नम्बर 88, सुप हाउसिंग घाम-सुखिया (जयपुर) तहसील-सागानेर जयपुर में विधित भूबाड़ (9630.83 वर्गमीटर) पर 1140 वीटर (हेसर तक) ईंचाई (वेसमेंट-2 + ब्रैसमेंट-1 + भूतल + प्रथम तल से 13 तल) के प्राधिकरण सुप हाउसिंग के भवन मानवित्र अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किये गये हैं, उनकी स्थीरता भवन मानवित्र अधिकारी (वीटर) को 216वी बैठक दिनांक 26.07.2019 के निर्णयानुसार निम्न शर्तों के साथ ही जाती है—

1. यह भवन अनुमा भाग (भारतीय विभानपत्रन प्राधिकरण की अनावधि भवनक AAI/RHQ/NR/ATM/NOC/REVALIDATION/2014/148/1153-1157 दिनांक 11.07.2019 के अनुसार) दिनांक 15.05.2022 तक प्रभावी है।
2. यह भवन निर्माण स्थीरता भवन मानवित्र के अनुसार ही किया जायेगा तथा किसी भी प्रकार का उल्लंघन (डेविलोपमेंट) नहीं किया जायेगा।
3. भूखण्ड के स्थानी एवं मानवित्र तैयार करने वाले तकनीकीविज्ञ का कर्तव्य होगा कि वो यह सुनिश्चित कर से कि स्थीरता मानवित्र प्रवृत्ति सारटर भवन/जीनल भवन/भवन विनियमों के अनुरूप है। यदि कोई उल्लंघन प्राधिकरण की जानकारी में आया तो प्राधिकरण की भवन मानवित्रों की दी गई अनुमा रद्द करने का अधिकार होगा तथा प्राधिकरण दो प्रार्थी को किसी भी प्रकार की अतिरिक्त का उक्त नहीं होगा।
4. आप द्वारा भवन विनियम 2010 की घास 15.2 के अनुसार भवन निर्माण प्रारम्भ करने समय एक सूचना पहली भौमिका पर लगाया जायेगा। जिसमें सरबोत्तम आयुक्त/उपायुक्त वर्षभित्र जीनल व प्रवृत्ति अधिकारी के टेलीफोन नम्बर इत्यादि अकित दिये जाने होंगे व अनुमोदित मानवित्र की सूचना व अनुमोदन की शर्त अकित की जायेगी। निर्माण के दौरान अनुमोदित मानवित्र की एक प्रति आवश्यक रूप से निर्माणकालीन द्वारा भौमिका पर स्थानी जायेगी।
5. एकीकृत भवन दिनांक 2017 के विनियम संख्या 8.11.2 के अनुसार अपरिवर्त तल का सुदृढ़िकरण एवं रिसाइकिलिंग हेतु भवन विनियमों के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
6. एकीकृत भवन विनियम 2017 के विनियम संख्या 8.11.4 के अनुसार लोस करवा निर्माणरथ हेतु भवन विनियमों के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित और जानी होगी।
7. एकीकृत भवन विनियम 2017 के विनियम संख्या 8.11.5 के अनुसार सीर कल्जी लायज़ रसबही भवन विनियमों के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
8. एकीकृत भवन विनियम 2017 के विनियम संख्या 10.3 के अनुसार भवन में विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राशित विद्युत वितरण एजेंसी के प्रावधानों की पालना एवं एनर्जी कंजीवेशन विडिंग कोड के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
9. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व आप उपायुक्त जीन-08 प्राधिकरण को विधायित प्रधान से सूचना प्रस्तुत करें।
10. आप द्वारा भवन विनियम 2010 की घास 15.3 के अनुसार भवन निर्माणकालीन द्वारा विन्यास लेवल तक का निर्माण पूर्ण होने की सूचना विधायित प्रधान से आवश्यक रूप से सर्वोत्तम उपायुक्त जीन-08 को दी जानी होगी, यदि इसकी अनुपालन भवन निर्माणालय द्वारा नहीं की जाती है तो जारी अनुमा को वापस ले लिया जायेगा।
11. भवन विनियम 2010 की घास 15.6 के अनुसार भवन विनियम के अपेक्षाओं के अनुरूप भवन निर्माण करने की जिम्मेदारी भवन निर्माण अनुमालयी की होगी।
12. उक्त स्थीरता के कालां यदि जयपुर विकास प्राधिकरण को किसी नामांगल्य, स्वाम अधिकारी तथा नाम भूमि (अधिकारी की सीमा एवं विनियम) अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के साथ किसी कार्यवाही में कोई भी व्यर्थ, गुकासान, मुआवाता देना वह या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए वापस होगा।
13. दरवाजे एवं खिंडियाँ इस प्रकार लगाए जायेंगे कि वो सड़क की ओर खिले हुए नहीं करेंगा।
14. स्वामी प्रत्येक मणिल के लिए स्थीरता आवालीय ईंचाई से अधिक का निर्माण नहीं करेंगा।
15. क्षेत्र वर्गीकरण की सर्वोत्तम शर्त का पालन नहीं होने पर भवन अनुमा रद्द मानी जायेगी।
16. स्वामी भवन की परिसर की स्थीरता लगायी ग के अनुसार ही उपयोग ने लेगा।
17. तकनीकीविज्ञ को निरीक्षण में स्वामी निर्माण कार्य करवायेगा। जिसके सबूत में सूचना प्राधिकरण को पूर्व में देनी होगी। यदि तकनीकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घण्टे के अन्दर योग्यता प्रमाण-पत्र से प्राधिकरण को देनी होगी।
18. आवेदक द्वारा पार्किंग बोर्ड की पालना भवन विनियम 2011 के विनियम 10.1.8 के अनुसार सुनिश्चित की जानी होगी।

19. भवन परिवर्तन में ही अनुसालको की पार्किंग करवाई जाए। इस आवश्यको हेतु नियुक्त वाहन पार्किंग का घोषित कराया जाए।
 20. भवन विनियम की धारा 16.5 की अनुसालन में भवन में भूकंपारोधी प्राप्तिकान रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।
 21. अग्निशमन दृष्टि से सभी अविकली द्वारा दिये गये अनापासि प्रबल पत्र की शर्तों की पालन सुनिश्चित की जानी आवश्यक होती रहता भवन की आवश्यकतानुसार अग्निशमन बत (Fire Extinguisher) रखे जाएं तथा इनको रखतिल करने से लिये प्रक्रियित व्यक्ति ऐसे भवन में हर समय उपलब्ध रहे।
 22. निराम स्थल पर स्थीकृति का विवरण अधिक अनुसारित सानिध्य प्रयत्नकाल पार्किंग की सुधाना एवं भवन में सुधाना एवं नियोजन प्लान (Escape Plan) का नवाना भी प्रदर्शित (Display) उपकूल स्थान पर प्रदर्शित किया जाए।
 23. अधिकास प्रगाढ़ पत्र भवन नियमित होने के उपरान्त आवश्यक काम से लिया जाए।
 24. भवन का उपयोग प्राप्त होने पर एक केवर टेकर की नियुक्ति की जाए यिसके पास भवन का मानविक सुरक्षा एवं निकाल नाम (Escape Plan) उपलब्ध रहे। इस प्रकार नियुक्त केवर टेकर के मोबाइल नंबर एवं Land Line Number भी लिये जाकर पुलिस आपात जप्यपुर गान्धीनगर को सुधाना उपलब्ध करवाई जाए ताकि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में बचाव कार्य प्रभावी रूप से किये जा सकें।
 25. भवन विनियम 2010 की धारा 17.3 की अनुसालन में 'महत्व सभ्यों पर प्राप्त वी गई अधिक सभ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति रखत नियस्त मानी जायेगी एवं ऐसी नियम स्थीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जायेगा।'
 26. प्रकरण विनियम भी व्यापालय में गढ़े लिहित है तो उसकी समस्त विभेदाती आवेदक की ही होती। एवं मानविक जारी होने के पश्चात यह अवगत हुआ कि किसी भी मानवीय व्यापालय में प्रकरण समिति अथवा विपरीत निहित है तो मानविक सभ्य ही नियस्त समझे जायें।
 27. अनुसारित भवन मानविकों तो भवन नियाम शुल्क किये जाने के समय भवन नियमित द्वारा एक घोषी पर सम्पूर्ण और सहित जो पतनीय हो, को ऐसे स्थल पर (मुख्य सड़क की ओर) लगाया जाए, विसारे तभी लोगों जो नियमित किये जाने वाले भवन के अनुसारित की पूरी जानकारी प्राप्त हो सके।
 28. भवन नियाम के समय नियाम सामग्री से आरपास के भवनों के नियासकर्ताओं को किसी प्रकार की अनुमिति न हो, इस हेतु भवन नियाम के दोस्रा चालों और पहले स्थावरये जायें।
 29. नियम भवन के प्रवेश द्वार के पास भवन में अनुसारित व उपलब्ध यार पहिया व दो पहिया वाहनों के पार्किंग की शुद्धना का घोष (डिस्प्ले) लगाया जायें।
 30. प्रकरण भवन मानविकों के अनुसारित का होने के कारण सञ्चालन रियल एस्टेट (इकलपमेन्ट एप्ड रेग्लेशन) रूपमा 2017 (यदि परियोजना रेस में स्वीकृत है तो) से संबंधित नियमों की वालना आपात स्वर पर सुनिश्चित की जाए।
- संलग्न- मानविकों की प्रति का 1 सेट (11 मानविक)

भवदीय

(ओमप्रकाश पारीक)
अतिरिक्त शुल्य नगर नियोजक,
भवन मानविक समिति (बीपी)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कर्तव्यादी हेतु।

1. शुल्य नियन्त्रक (प्रबंतन), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को मानविकों की प्रति (11 मानविक) संलग्न कर अधिक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. उपायक, जोन-08, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को मानविकों की प्रति (11 मानविक) संलग्न कर अधिक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
3. सहायक नगर नियोजक, जोन-08, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर मानविकों की प्रति (11 मानविक) संलग्न कर अधिक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
4. सहायक नगर नियोजक, बीपीसी-बीपी, जयपुर जयपुर को साईट नियोजन पत्रवाली हेतु मानविकों की प्रति (11 मानविक) संलग्न कर अधिक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
5. रजिस्ट्रार, Rajasthan Real Estate Regulatory Authority, 2nd & 3rd Floor, RSCI Building, Udyog Bhawan, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur-302005 को सूचनार्थ प्रेषित है।
6. अवधि एवं प्रकल्प नियोजक, सञ्चालन संघ वितरण विभाग द्वारा, वित्तीय भवन जनपथ, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
7. शुल्य अधिकारी, मुख्यालय जन स्थान अधिकारी विभाग हस्तानुसार नोट रेल्वे स्टेशनों के बास जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
8. उपायक सञ्चालन-प्रधान, नगर नियम, जयपुर को पत्र क्रमांक एफ. 60/उपा. रा (प्रधान) / जनरि/ 2019/18 दिनांक 08.03.2019 को जनर में सूचनार्थ प्रेषित है।

(ओमप्रकाश पारीक)
अतिरिक्त शुल्य नगर नियोजक,
भवन मानविक समिति (बीपी)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

नवि.प्रा. / व.न.प्रे. / शो.पी.सी.(शोष.) / 2022 / डी-१ ७१९

दिनांक - १८/०५/२०२२

भी उमेश गुप्ता,

विदेशीकरण

फौर प्रेमसागर हृष्ण का प्रोजेक्टर प्राप्ति,

कॉटे-१०३, अंगौल मैल, टीक रोड, जयपुर।

विषय:- खाली नम्बर ०८ शुप हाउसिंग बाग-कुखिया (जयपुर) तहसील-जांगानेह जयपुर के प्रस्तावित शुप हाउसिंग के संशोधित भवन नामनिप्र अनुमोदन बाबत।

प्राप्ति

अप्र०६ प्राप्ति नम्बर नवि.दिनांक ०२.०२.२०२२ के स्वर्ग ने खलर नम्बर ०८, शुप हाउसिंग बाग-कुखिया (जयपुर) तहसील जांगानेह जयपुर में विधित शुब्कर्त (७.६३०.८३ वर्गमीटर) पर प्रत्यावित ०.०० मी. (लिन्थ) + ५५.१० मी. + २१.०८ मी. (मूर्ति) / वार्ड टैक्स कुल ४८ मीटर की ओर इसकी ओर प्रत्यावित शुप हाउसिंग के संशोधित भवन प्रियंका अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया जिन्हें मदन मिशनिंग नामित (शोष.) की २५९वीं बैठक दिनांक १०.०६.२०२२ के विनियोगप्राप्ति निम्न तात्पर्य के अनुच्छेद स्वीकृति दी जाती है।

१. पहले घटन अनुमा दिनांक १५.०५.२०२४ तक प्रभारी है।

२. भवन निर्माण त्वांकृत जानीयता के अनुसार ही किया जायेगा तथा किसी भी प्रकार का उत्तराधिकार नहीं किया जायगा।

३. उत्तराधिकार के लिए एक जानीकौटीट्टु का जल्दी संग्रह किया जाएगा कि वह पहले सुनिश्चित कर ले कि ज्ञानकृत जानीयता इत्तिहास भवन/जैनल स्लॉन/उद्योगिता के अनुसार है। यदि कोई उत्तराधिकार प्राप्तिकरण की जानकारी में प्राप्त तो प्राप्तिकरण में अनु जानकृती की ही गति अनुमा रद्द करने का अधिकार होगा तथा प्राप्तिकरण से प्राप्ती को किसी भी प्रकार की संतुष्टीत नहीं दी जाएगी।

४. अप्र०६ घटन दिनांक २०१० की दिनांक १५.२ के अनुसार भवन निर्माण प्राप्ति करके जागर एक शुचना घट्ट वैके पर जायादा जायेगा। जैसे सभीसि आकुल उपयुक्त संस्थान और उपर्युक्त आधिकारी के द्वारा इसके अनुसार अनुमोदन की शर्त लिखी जाएगी। निर्माण के दौरान अनुमोदित भवन द्वारा एक ऐसा अवश्यक रूप जैसे नियमित फारा वैके पर उसी जारी।

५. भवन विनियोग २०१० की दिनांक १५.२ के अनुसार भवन निर्माण के अनुशासी के अनुसार भवन निर्माण करने की जिमेदारी भवन नियोग अनुमा की होती।

६. उक्त उपीकृत का कारण यही जयपुर विकास प्राप्तिकरण को विक्षी त्व वालय राज्य अधिकारी ने भवन मूलि अधिकरण गीता एवं दिनांक २०१० के अनुसार अधिकारी के द्वारा लिये कार्यपालि में लिए गए बन्द, गुरुत्वान् दुआवजा दिया गया देश गोद्य हो तो गार्थी उपीकृत हृष्ट जारी को दूरी दर्तने के लिए माना होगा।

७. उपीकृत उपीकृत के लिए रवैंकृत आवासीय इकाई से अधिक का नियमित नहीं जारी।

८. कमर गार्थी दर्ती एवं अन्य लाइंस राज्यान्वयन वालिंग ज्वान अनुसार मूलिकता की जानी होती।

९. विकासकरी दिनांक १५.२ की दिनांक १५.२ के अनुसार भवन निर्माण के अनुशासी के अनुसार भवन निर्माण करने की जिमेदारी भवन नियोग अनुमा की होती।

१०. भवन निर्माण दिनांक १५.२ के अनुसार भवन निर्माण करके जाय तथा उपानुको हृष्ट नियोग वाहन वार्किंग ला बोह लायेगा।

११. भवन विनियोग २०१० की दिनांक १५.२ की अनुमानता में भवन में शुक्रपारिशो प्रदेशी लड़ा जाना सुनिश्चित विषय जाये।

१२. अनिश्चित दृष्टि से वक्तम अधिकारी दिनांक १५.२ के अनुशासी प्रमाण एवं की रातों की प्राप्ति सुनिश्चित की जानी आवश्यक होगी तथा भवन की अवधारणा अनुसार अनिश्चित विवर (Free Surveyor's Report) दिये जाये तथा इन्होंने संचित करने के लिए प्रत्येक लाइंक (ऐसे घटन में हर समय लगातार रहे)।

१३. नियोग उपीकृत गर उपीकृत ज्वान विवरण अधिक अनुमोदित जानीयता उपानुको वार्किंग की सुदूरा एवं भवन में दुर्लभ दर्ये निकाय ज्वान (Escape Plan) का नम्बर जी प्रदानित (Design) उपयुक्त रूपान्वयन दर प्रदानित किया जाये।

१४. घटन का उपायोग वाराम होने पर एक छोर टकर औ नियोग की जारी जिसकी वारा भवन का भवन नियोग ज्वान एवं नियोग विवरण दिये जायें। इस प्रेलाइन नियुक्त लाइंक द्वारा देशी नियम द्वारा दिया जायेगा।


—१—

- Number में लिये जानकार पुस्तिक अधिकृत जयपुर नगरपालिका को भूमिका जालका करता है जारी लाके किसी भी दुष्टना की स्थिति में वदाव कारो द्रव्यांशु रूप से किये जा सके।
15. भवन नियन्त्रण 2010 की पार 173 की अनुमतिना में बलत तथा पर प्राप्त जीव असना तथा का भूषण का एह स्थिरता रखने वाली जायेगी एवं ऐसी निर्णय राजीकते प्राप्त करने के लिए अद्वितीय की दोषी गाना जायेगा।
 16. प्रवन्नत प्रकरण किसी भी नायालय में यदि लिखित है तो उसकी सामत जिम्मेदारी आदेक की हो है। यदि नगरिक जारी होने के पश्चात राह अवगत हुआ कि विसी भी नानीय नायालय में प्रकरण लिखित है अस्थान निष्ठा है तो एनायिक रूप से भी निरसा भास्तु जागेगा।
 17. अनुग्राहक नवन नानीयों जो भट्टन नियन्त्रण गुल किये जाने के उपरा नवन निर्णय हाल एक दोल पर राम्भण श्रींग संस्था जो घड़नेंगे तो, जो ऐसे स्थान पर [सुख लहर जो ओर] जगदा जाय, जिसके अपने लोगों का निष्ठा किये जाने ताले नवन के अनुसूचना भी दूर जानकारी प्राप्त हो जाए।
 18. नवन नानीय इस भट्ट के नाम लाशे किये जाते हैं कि उपर दूर परियोजना के अधिकार पर वन के आयोजन के साथ अभियान विभाग का कानूनीत प्रभाव वह नामसंग निकाल से उन करना होगा, उसके पश्चात ही अधिकार प्राप्त कर जायेगा।
 19. नवन नियन्त्रण के लगभग निर्माण समझी रो आवास के भवनों के नियन्त्रकों को किसी इलाज की अनुमति न हो, इस हेतु नवन नियन्त्रण के दौरान भारी और पर्वत लगाया जाए।
 20. जे काइसी विवाहों से नवन हेतु नवन में अनुबोध नहीं होता वालों पर प्रावधान रखा जाना आवश्यक होगा।
 21. अनुग्रह एवं परियोजना पर प्रस्तावित हीए आर जी प्रदर्शन में छिपनकारा हाल गूल भूखण्ड पर नियन्त्रण रुक्कन् दरा। / एल आई.जी. के प्रायार प्रतीक्षित किये जाये हैं—

क्र.सं.	Category	आवासों के संख्या	सुपर बिल्डिंग एवं रुक्कन्
१.	इ. भूम्य एवं आवास	१८ आवास	८७१.५८ वर्गमीटर
	एल.आई.जी. आवास	१६ आवास	१३०६.६२ वर्गमीटर
	कुल इ.भूम्य एवं एलआई.जी. आवास	३५ आवास	२१८०.८४ वर्गमीटर

22. विकासकालीन नियन्त्रण परियोजना पर प्रस्तावित सम्पूर्ण इ.भूम्य की उपज में नूल परियोजना पर प्रस्तावित किये गये लूल जे इ.भूम्य.उ.ज. २८ तक आई जी नावासों की नियन्त्रण अपरि १५०६.८२व तक की उन्नति में पर्याप्त किया जाकर सुन्ना हो जाएगा तो वी दोनों होगी।
23. नवन नियन्त्रण 2020 के प्रावधान संख्या 12.14 (३) के अनुसार आवश्यक पार्किंग का १० प्रतिशत FV विनाशक Cost के प्रावधान की सीधे पर तुम्हें दिया जाएगा।
24. यह नवन नियन्त्रण विविध राजनीतिवालों द्वारा वापसी की जाएगी।

राजनन्— मानविकी की प्रति को १ सेठ (12 मानविकी)

अधिकारी

 विश्व नगर नियोजक
 नवन नानीय नियन्त्रण (वीपी)
 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

प्रतिलिपि— सूचनार्थ एवं प्रावधान कार्यवाही हेतु।

1. मुख्य नियन्त्रक (BMC), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को मानविकी की प्रति (12 मानविकी) संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलिपि है।
2. उपर्युक्त नोट-एस, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर जो नानीयों की प्रति (12 मानविकी) संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलिपि है।
3. इस नियन्त्रक, जयपुर विश्व नियन्त्रण नियम लिए, विद्युत भवन एवं पर्याप्त जे जयपुर को सूचनार्थ दीया जाए।
4. मुख्य नानीयों नानीयों जो राजनीति अधिकारी की विभाग हस्तानुपरा के पात्र जयपुर को सूचनार्थ दीया जाए।
5. जयपुर विश्व प्रश्न, नवन नियन्त्रण जयपुर को पत्र लगाके ८० रुपया, रा (प्रथम) / जननि/ २०१९/ १८ दिनांक ०४.०३.२०१९ के तारे में सूचनार्थ प्राप्त है।

विश्व नगर नियोजक
 नवन नानीय नियन्त्रण (वीपी)
 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
 SUB-REGISTRAR : JAIPUR-X

Fee Receipt
 Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131)

Print Date : 12-05-2023 1:25 PM

Fee Receipt No	: 202302190010253	Receipt Date
Name	: SITARAM TODAWAT,	Document S. No.
Address	: 00, VILLAGE SUKHIYA, JAIPUR, JAIPUR	
Document Type	: Supplementary Deed/Correction Deed	
Face Value	: ₹ 0	Evaluated Value
Ord-Registration Fee	: ₹ 200	Fee for Memorandum Us_34_35
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)
Surcharge	: ₹ 150	Stamp Duty
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee
Us_25_34	: ₹ 0	Commission
Custody	: ₹	Others
		Cash Amount Received
		Other than Cash
		Total Amount

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Challan 75586923 ₹ 1050

Signature of presenter or applicant for
 copy or Search certificate

Signature of recipient
 and date of return receipt

Cashier

SUB-REGISTRAR

उप पंजीयक
 -लाखमुर-दस्तावेज-



e-Challan

Registration and Stamps department
Government of Rajasthan

GRN: 0075566923



Payment Date: 12/05/2023 12:43:21

Office Name: Sub Registration & Registration & Stamps Jaipur

Location: JAIPUR (RJ)

Period: 01/04/2023 To 31/03/2024

S.No	Purpose/Budget Head Name	Amount (₹)
1	0030-02-800-02-00-स्टाम्प शुल्क पर अधिभार	60.00
2	0030-02-800-03-00-स्टाम्प शुल्क पर गो नीवर्धन/ संरक्षण हेतु अधिभार	50.00
3	0030-02-800-04-00-प्रकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं से राहत हेतु अधिभार	50.00
4	0030-03-800-01-00-अन्य प्रपत्तियां	200.00
5	0030-03-104-01-00-पंचीकरण शुल्क से प्राप्ति	200.00
6	0030-02-103-01-00-दस्तावेजों के मुद्रांकन/कमी मुद्रांक हेतु प्राप्त आय	500.00

Commission(-):

0.00

Total/Net Amount:

1050.00

One Thousand Fifty Rupees and Zero Paise Only

Payee Details:

Full Name: SITARAM TODAWAT	Tin/Actt.No./VehicleNo./Taxid :
Pan No.(If Applicable):	City(Pincode): jaipur(302001)
Address: GROUP HOUSING PLOT KHASRA NO. 88 VILLAGE SUKHIYA TEHSIL SANGANER JAIPUR	Remarks:SITARAM TODAWAT VS PREMSAGAR INFRAPROJECTS PVT LTD TYPE OF DOCUMENT- SUPPLEMENTARY DEED

Payment Details:

	Challan No. - 0
Bank: State Bank Of India	Bank CIN No: SBIN7556692312052023
Date: 12/05/2023 12:43:21	Reference No: IK0CFYMEU0

Computer generated copy on : 12/05/2023

Courtesy : <https://Egras.rajasthan.gov.in>

For Prem Sagar Infra Projects Pvt. Ltd.

Director



॥ श्री रम ल ॥
सप्लीमेन्ट्री डीड

यह विलेख आज दिनांक 13 माह मई सन् 2023 ईत्यों को जयपुर शहर में
सीलासाम टोडावत, आयु 56 वर्ष, पुत्र श्री हरिकिरण टोडावत (बौधरी), जाति जाट,
निवासी ग्राम सुखिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर (राज.) जिसे इस विलेख
सप्लीमेन्ट्री डीड में आगे चलवर शब्द भू-स्वामी/प्रथमपक्ष के नाम से सम्बोधित किया
गया है (जिस सब्द भू-स्वामी/प्रथमपक्ष में यह स्वयं एवं उसके समस्त उत्तराधिकारी,
वारिसान, प्रतिनिधि आदि भी सम्मिलित समझे जायेंगे) एवं मैसर्स प्रेमसागर
इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि भारतीय भागीदारी अधिनियम 1956/2013 के
अन्तर्गत गठित एक पंजीयन लम्बनी है जिसका पंजीकृत कार्यालय एस-1, रिह
रेजिस्ट्रेशन एवं नम्बर 11, सेकेण्ड प्लॉर, निशन कॉम्पाउण्ड, अजमेर रोड, जयपुर 302001
जारिये निदेशक श्री मनोज गर्ग, आयु 53 वर्ष, पुत्र श्री राधा किशन गर्ग, निवासी 15-ए,

For Press Sugar Mills Projects Pvt. Ltd.

Director

उप पंजीयक
जयपुर दसम

आयुवन नगर, महारानी काम, जयपुर 302018, (बोर्ड रिजोलूशन दिनांक 11.5.23 के द्वारा अधिकृत) जिसे इस संशोधन पत्र के विलेख में आगे चलकर शब्द विकासकर्ता/द्वितीयपक्ष के नाम से सम्बोधित किया गया है (जिस शब्द विकासकर्ता/द्वितीयपक्ष ने मैसर्स प्रेमसागर इन्फ्राओरेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के समर्त निदेशकगण, शेयर होल्डर्स, और/हित धारक, अधिकृत प्रतिनिधि, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, असाईनीज आदि भी सम्मिलित समझे जायेंगे), के मध्य निम्न प्रकार से तहरीर एवं तकनीक दिया जाता है।

जो कि ग्राम सुचिया, ताहसील सांगानेर, जिला जयपुर में ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड अन्तर्गत खसरा नम्बर 88 स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 11518.75 वर्गगज है। उपरोक्त ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड की चारों सीमाओं में पूर्व की ओर सड़क 48.00 मीटर चौड़ा सरकारी वात्तो आमद रफ़त, परिचम की ओर अन्य भूमि, उत्तर की ओर सड़क 18.00 मीटर चौड़ी सरकारी वास्ते आमद रफ़त एवं दक्षिण की ओर अन्य भूमि, स्थित हैं।

जो कि उपरोक्त वर्णित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड की भूमि के संबंध में चाही गई समस्त राजियों प्रथमपक्ष के द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर में जमा कराने के उपरांत जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के द्वारा उपरोक्त ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड के संबंध में पट्टा विलेख द्वारा 148 दिनांक 26.12.2013 को प्रथमपक्ष के नाम से निष्पादित किया गया, जिसका पंजीयन उप पंजीयक सांगानेर (द्वितीय) की पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 251, पृष्ठ संख्या 107, क्रम संख्या 2014388000167 पर दिनांक 13.01.2014 को किया गया एवं जिसकी प्रति अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 1003, पृष्ठ संख्या 83 से 92 तक पर चल्या की गई।

जो कि प्रथमपक्ष के उपरोक्त ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड क्षेत्रफल 11518.75 वर्गगज की भूमि पर जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर द्वारा स्वीकृत भवन मानचित्र अनुसार बहुमंजिला इमारत का निर्माण करने के संबंध में एक डबलपर्सेट एंट्रीगेट का दस्तावेज प्रथमपक्ष एवं द्वितीयपक्ष के मध्य दिनांक 14.02.2014 को निष्पादित किया गया, जिसका पंजीयन उप पंजीयक पंचम, जयपुर की पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 751, पृष्ठ संख्या 100, क्रम संख्या 2014397002443 पर दिनांक 24.02.2014 को किया गया एवं जिसकी प्रति अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 3002, पृष्ठ संख्या 514 से 525 तक पर चल्या की गई।

जो कि उपरोक्त ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड की भूमि पर बहुमंजिला इमारत का निर्माण करने के आशय से भवन निर्माण स्वीकृति जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर द्वारा नियमानुसार अनुमोदित करके जारी की गई है।

For Praveen Sagar Infra Projects Pvt. Ltd.

Director



Presentation Endorsement

वर्तमान दिनांक 12 माह 05 सन् 2023 को 01:25 PM वाले
चौधरीमतीसुरी SITARAM TODAWAT पुरुष/पुर्णिमा भी HARIKISHAN
TODAWAT CHAUDHARY
उप 56 गाँव, जाति O-HINDU, ज्यवाचार Other
निवासी House No.:00, Colony: VILLAGE SUKHIYA, Area:
SANGANER, City: JAIPUR, Pin code: 302022, District: JAIPUR,
State: RAJASTHAN
ने मेरे गम्भीर दस्तावेज़ पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुत कर्ता
202301190007657

हस्ताक्षर उप पंजीयक,
JAIPUR-X

Supplementary Deed/Correction Deed

Fees Receipt Endorsement

रजिस्ट्रेशन नं.	202301190010253
दिनांक	12-05-2023
पंजीयन शुल्क ₹	200
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांशु शुल्क ₹	200
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	500
कमी सारांश शुल्क ₹	150
कुल योग	1050

202301190007657

Supplementary Deed/Correction Deed

Mode of Payment (Mode Number Amount ₹)

e-Gras Challan 75566923 ₹ 1050

उप पंजीयक, JAIPUR-X

जो कि द्वितीयपक्ष के द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर से प्राप्त निर्माण अनुमतियों तथा रियल एस्टेट रेग्लेटरी अधीरिटी, राजस्थान के प्राप्तानों व पंजीकरण की शर्तों के अधीन उपरोक्त वर्णित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड पर 'बी' टॉवर का निर्माण कराया जा रहा है जो वर्तमान में स्थित है, उपरोक्त 'बी' टॉवर की सीनाओं सहित भूमि का विशिष्ट विवरण इस सफ्टीमेन्ट्री डीड के अंत में 'परिशिष्ट 1' में दर्ज है।

जो कि द्वितीयपक्ष उपरोक्त वर्णित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड पर निर्माणाधीन 'बी' टॉवर तथा उक्त प्रोजेक्ट के संबंध में ब्रोशर में बताये गए व लोगों व कॉमन भाग के निर्माण/विकासकार्य (जैसा कि परिशिष्ट 3 में दर्ज है) को छोड़कर शेष 'ए' टॉवर (जिसका विशिष्ट विवरण इस सफ्टीमेन्ट्री डीड के अंत में परिशिष्ट 2 में दर्ज है) का निर्माण कार्य स्वयं करने में असमर्थ हैं, इसलिये द्वितीयपक्ष ने उपरोक्त ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड पर प्रस्तावित ए ब्लॉक का निर्माण व विकास करने हेतु द्वितीयपक्ष के समर्त अधिकारों को विलोपित/समाप्त कर मैसर्स विवाता कॉर्पोरेशन को मुख्य विकासकार्य कराने का इच्छुक है और द्वितीयपक्ष शेष निर्माणकार्य करने में अपनी असहमति दर्शा चुका है अतः प्रथमपक्ष एवं द्वितीयपक्ष इस सफ्टीमेन्ट्री डीड का निष्पादन निम्न प्रकार करते हुये अपने अपने अधिकारों को सीमित करके नये विकासकर्ता मैसर्स विवाता कॉर्पोरेशन को अनुबंध में प्रवेश करने के लिये दस्तावेज निम्नलिखि शर्तों पर निष्पादन करते हैं—

1. यह कि द्वितीयपक्ष द्वारा इस सफ्टीमेन्ट्री डीड के अंत में 'परिशिष्ट 1' में वर्णित भूमि पर 'बी'-टॉवर का निर्माण परिशिष्ट 3 में बताये गये कार्यों के साथ किया जायेगा और उसमें लगने वाला समस्त चर्चा व प्रयास द्वितीयपक्ष के द्वारा किये जाएंगे।
2. यह कि अबसे 'परिशिष्ट 2' में वर्णित भूमि जिसपर कि ए-टॉवर का निर्माण कराया जाना है, से तथा उससे जुड़े किसी हित, अंश व भाग से द्वितीयपक्ष एवं उसके किसी निदेशकगण, शेयरहोल्डर्स, असाईनीज आदि का किसी प्रकार से कोई संबंध नहीं रहा है एवं ना ही भविष्य में होगा। प्रथमपक्ष अब 'परिशिष्ट 2' में वर्णित भूमि के संबंध में मैसर्स विवाता कॉर्पोरेशन जरिये प्रोपराइटर विवेक घौरडिया के साथ नया डबलपमेन्ट एग्रीमेन्ट निष्पादि करने, अनुपात व शर्तों तय करने को स्वतंत्र है, जिसमें द्वितीयपक्ष को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।
3. यह कि प्रथमपक्ष एवं द्वितीयपक्ष के मध्य निष्पादित डबलपमेन्ट एग्रीमेन्ट दिनांक 14.02.2014 की विषयवस्तु संपत्ति ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड क्षेत्रफल 11518.75

For Prem Sagar Infra Projects Pvt. Ltd.

Director



Endorsement of Execution

अनु. क. प्रधाकारों का नाम व पता	सायाचित्र	अंगूठा	प्रधाकारों का प्रकार
1. श्री/महिला/मुख्यमंत्री SITARAM TODAWAT, पुरुष/पुरीषीषी वी HARIKISHAN TODAWAT CHOWDHARY, अवसास Other/नाम ०-HINDU House No.:00, Colony: VILLAGE SUKHIYA, Area: SANGANER, City: JAIPUR , Pin code: 302022, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Executor, Age : 56 Signature :
2. श्री/महिला/मुख्यमंत्री MANOJ GARG DIRECTOR PREMSAGAR INFRAPROJECT PRIVATE LIMITED, पुरुष/पुरीषीषी वी RADHA KRISHAN GARG, अवसास Other/नाम ०-HINDU House No.:00, Colony: S-1 RISHI RESIDENCY PLOT NO. 11 SECOND FLOOR MISHION COMPOUND, Area: AJMER ROAD, City: JAIPUR , Pin code: 302001, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Claimant Age : 53 Signature :

ये सेवापत्र Supplementary Deed/Correction Deed को पड़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया।

इतिहास नं. ०१- पृष्ठ में / मेरे समझ / मेरे समझ में ————— ये मेरे समझ बास्तु करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कार्य को पहचान लिए जान्नियों ने की है, जिनमें हस्ताक्षर एवं ज्ञाता निवास मेरे समझ लिए गए हैं।

अनु. क. गवाहों का नाम व पता	सायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1. Name: श्री/महिला/मुख्यमंत्री DEVENDRA CHETAN, पुरुष/पुरीषीषी वी DEVENCRA जाति HINDU Age: 24 Add: House No.:516, Colony: PARIS POINT, Area: BANI PARK, City: JAIPUR , Pin code: 302016, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			
2. Name: श्री/महिला/मुख्यमंत्री ANKIT JAIN, पुरुष/पुरीषीषी वी KAILASH CHAND JAIN जाति HINDU Age: 33 Add: House No.:53/2, Colony: FLAT NO. 203, FIRST FLOOR NALSHTRA EMPIRE KAMLA NEHRU NAGAR , Area: HEERAPURA , City: JAIPUR , Pin code: 302021, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			

202301190007857

Supplementary Deed/Correction Deed

अप प्रधाकर, JAIPUR X

द्वारा द्वारा
प्रधाकर

वर्गगज स्थित खसरा नम्बर 88, ग्राम सुखिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर के स्थान पर "परिशिष्ट 1" में वर्णित भूमि तक सीमित किया जाता है अबसे द्वितीयपक्ष को "परिशिष्ट 1" में वर्णित भूमि को अतिरिक्त शेष भाग की भूमि में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप करें व दाव करने का अधिकार नहीं होगा।

4. यह कि द्वितीयपक्ष पुष्टि करता है कि उसके द्वारा परिशिष्ट 2 में दर्शायी गई भूमि के संबंध में किसी भी अधिग्रहण क्रता व्यक्ति, कम्पनी, फर्म, वित्तीय संस्थान, बैंक आदि से किसी प्रकार का कोई अनुबंध, वारार, बंधक, हस्तान्तरण आदि नहीं किया है और ना ही किसी कोई परिशिष्ट 2 में दर्शायी भूमि व ए-टॉवर के संबंध में कोई वायदा, वचन आदि दिया है। परिशिष्ट 2 में दर्शायी गई भूमि द्वितीयपक्ष की ओर से समस्त प्रकार के छह-भार, बंधक, झगड़े-टटे, वाद-विवाद, कर्जा-कुर्जी, जोखिन आदि से मुक्त पाल एवं साफ है।
5. यह कि द्वितीयपक्ष के द्वारा बी-टॉवर के अतिरिक्त परिशिष्ट-3 में बताये गए लाउरा व अन्य सुखसुविधाओं आदि का विकासकार्य किया जा रहा है, इन सभी सुविधाओं का उपयोग व उपभोग समान रूप से ए-टॉवर के युनिटधारी/पलेटधारी भी करेंगे अतः प्रथमपक्ष एवं द्वितीयपक्ष ने तथ किया है कि परिशिष्ट 2 के संबंध में किये जाने वाले उचलपनेन्ट एप्रीलेन्ट में द्वितीयपक्ष भी एक पर्सनल होगा और द्वितीयपक्ष अपने द्वारा किये गये विकासकर्ता, निर्माण कार्य के लिए एक निश्चित अनुपात में राशि ए-टॉवर में प्राप्त करेगा, जिसके संबंध में प्रथमपक्ष को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ द्वितीयपक्ष यह अन्तिमीय सहमति प्रथमपक्ष व मैशर्स विवाता कौरपोरेशन को प्रदान करता है कि ए-टॉवर के समस्त युनिटधारियों को परिशिष्ट 3 में बतायी सुविधाएं उपयोग व उपभोग में लेने का पूर्ण अधिकार होगा जिसमें द्वितीयपक्ष को किसी प्रकार की कोई आपत्ति, एतराज करने का अधिकार नहीं होगा। उपरोक्त के साथ ही द्वितीयपक्ष पुष्टि करता है कि वह ए-टॉवर के युनिटधारियों से परिशिष्ट 3 में बतायी सुविधाएं उपयोग व उपभोग में लेने के लिये कोई राशि व प्रतिफल ली जांग नहीं करेगा।
6. यह कि इस सम्पादनीय ढीळ के माध्यम से द्वितीयपक्ष के दायित्वों व अधिकारों को सीमित किया गया है तथा उचलपनेन्ट एप्रीलेन्ट दिनांक 14.02.2014 वी शेष शर्तें दोनों पक्षकारों के मध्य यथावत रहेंगी।

(Signature)
For Preem Sagar India Projects Pvt. Ltd.

Director



Registration Endorsement

आज दिनोक 30/05/2023 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 332 में
पृष्ठ संख्या 64 कम संख्या 202303190107797 पर पंजीयन किया जया रखा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1326 के
पृष्ठ संख्या 214 से 225 पर चल्या किया गया।

202301190007657

Supplementary Deed/Correction Deed

उप पंजीयन
जयपुर दस्तावेज़



7. यह कि मूल डबलपर्सेट एंट्रीमेन्ट दिनांक 14.02.2014 ने त्रुटिपरा उक्त ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड का लोकल 11518.47 वर्गगज लिख दिया गया जिसे भविष्य ने 11518.75 वर्गगज पढ़ा जाये।

यह सप्लीमेन्ट्री डीड मूल डबलपर्सेट एंट्रीमेन्ट दिनांक 14.02.2014 का एक अभिन्न भाग रहेगा एवं सदैव साथ पढ़ा जायेगा।

यह कि इस सप्लीमेन्ट्री डीड के साथ एक नवशा भी संलग्न किया गया है, जिसमें ए-टॉवर की भूमि को लाल रंग से तथा बी-टॉवर की भूमि को धीले रंग से दर्शाया गया है। संलग्न नवशा इस सप्लीमेन्ट्री डीड का अभिन्न भाग है एवं सदैव साथ पढ़ा जायेगा।

अतः यह सप्लीमेन्ट्री डीड का दस्तावेज प्रथमपक्ष एवं द्वितीयपक्ष ने अपने पूर्ण होश हवास की दुरुत्ती में बिना किसी ज़ब्द य दबाव के लिख दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आये। इति दिनांक 12-माह नई सन् 2023 ईस्वी।



हस्ताक्षर प्रथमपक्ष

(सीताराम ढाडावत)

हस्ताक्षर द्वितीयपक्ष

For Prem Sagar Info Projects Pvt. Ltd.



(गणेश गर्ग) Director

चेतन बंदरकर
जयपुर दसम्

निदेशक—मैसर्स प्रेमसागर इफ्काप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

हस्ताक्षर गवाह—

Ankit Jain
516 Park Point Chetan Bhandarkar
Jaipur

दस्ताक्षर गवाह—
Ankit Jain
H.No. 516 Flat No. 203 First floor, Walshtra Empria
Kamla Nehru Nagar, Heerapura Jaipur



परिशिष्ट-1

मुप हाउसिंग भूखण्ड क्षेत्रफल 11518.75 वर्गमील स्थित खसरा नम्बर 88, ग्राम सुखिया, राहसील सांगानेर, जिला जयपुर में से बी-टॉवर की भूमि कुल क्षेत्रफल लगभग 5000 वर्गमील, जिसकी चारों सीमाओं ने पूर्व की सेटबेक एरिया उसके बाद टॉवर नम्बर ६ की भूमि, पश्चिम की ओर सेटबेक परिया उसके बाद अन्य की भूमि, उत्तर की ओर सेटबेक परिया उसके बाद सड़क 18.00 मीटर छोड़ी और दक्षिण की ओर सेटबेक एरिया उसके बाद अन्य की भूमि, स्थित है। बी-टॉवर की भूमि को संलग्न नक्शे में पीले रंग से दर्शाया गया है।

परिशिष्ट-2

मुप हाउसिंग भूखण्ड क्षेत्रफल 11518.75 वर्गमील स्थित खसरा नम्बर 88, ग्राम सुखिया, राहसील सांगानेर, जिला जयपुर में से ए-टॉवर की भूमि कुल क्षेत्रफल लगभग 4840 वर्गमील, जिसकी चारों सीमाओं ने सेटबेक एरिया उसके बाद सड़क 48.00 मीटर छोड़ी, पश्चिम की ओर सेटबेक एरिया उसके बाद टॉवर नम्बर ३, उत्तर की ओर सेटबेक परिया उसके बाद सड़क 18.00 मीटर छोड़ी एवं दक्षिण की ओर सेटबेक एरिया उसके दर्शाया गया है। ए-टॉवर की भूमि को संलग्न नक्शे में लाल रंग से दर्शाया गया है।

परिशिष्ट-3

द्वितीयवक्ता के द्वारा विकसित त्रुविधाओं का विवरण



वल्लभ ठाकुर

पारिवहन

लिपट ट्रेन

ही-लोड के बेसमेन्ट व स्टील फ्लोर पार्किंग में आने व जाने हेतु शस्ता,

स्ट्राइच वे

गार्डन एरिया,

जोगिंग एक

पैसेज,

कॉमन भाग आदि

For Pura Rajasthani Projects Pvt. Ltd.

(Arun)

(Rajesh)
Director

चप पंजीयक
जयपुर दसम

Government of Rajasthan
 REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
 SUB-REGISTRAR : JAIPUR-X

Fee Receipt

Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131)

Fee Receipt No	:	202302190010252	Receipt Date	
Name	:	VIVEK CHORDIA PROPRIETOR VIVANTA CORPORATION,	Document S. No.	12/05/2023 12:55 PM 202301190007659
Address	:	29 ,JANPATH ,JAIPUR ,JAIPUR		
Document Type	:	Agreement		
Face Value	:	₹ 0	Evaluated Value	
Ord-Registration Fee	:	₹ 285834	Fee for Memorandum No.	₹ 300
CSI	:	₹ 300	Certified copying fees Us_57	₹ 0
Stamp (Memorandum)	:	₹ 0	Reg (memorandum)	₹ 383018
Surcharge	:	₹ 114906	Stamp Duty	₹ 0
Penalty	:	₹ 0	Inspection fee	₹ 0
Us_25_34	:	₹ 0	Commission	₹ 0
Custody	:	₹ 0	Others	₹ 0
			Cash Amount Received	₹ 0
			Other than Cash	₹ 784358
			Total Amount	₹ 784358

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Challan 75563795 ₹ 286434 # eStamp IN-RJ92548788089331V ₹ 497924

*Rebate U/S 9(1) : ₹ 1331987

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

Signature of recipient
and date of return receipt

Cashier

SUB-REGISTRAR
उप पंजायक
जयपुर दसम्





e-Challan

Registration and Stamps department
Government of Rajasthan

GRN: 0075563795



Payment Date: 12/05/2023 12:13:36

Office Name: Sub Registrar X Registration & Stamps Jaipur

Location: JAIPUR (CITY)

Period: 01/04/2023 To 31/03/2024

S.No	Purpose/Budget Head Name	Amount (₹)
1	0030-03-800-01-00-अन्य प्रतिष्ठा	600.00
2	0030-03-104-01-00-मौजूदा शुल्क से घासि	285834.00
Commission(-):		0.00
Total/Net Amount:		286434.00

Two Lakh Eighty Six Thousand Four Hundred Thirty Four Rupees and Zero Paise Only

Payee Details:

Full Name: VIVANTA CORPORATION	Tin/ActtLNo./VehicleNo./Taxid :
Pan No.(If Applicable):	City(Pincode): Jaipur(302001)
Address: GROUP HOUSING PLOT KHASRA NO. 88 VILLAGE SUKHIYA TEHSIL SANGANER JAIPUR	Remarks: SITARAM TODAWAT AND PREMSAGAR INFRA PROJECTS PVT LTD VS VIVANTA CORPORATION
TYPE OF DOCUMENT — DEVELOPER AGREEMENT	

Payment Details:

Challan No. - 0

Bank: State Bank Of India	Bank CIN No: SBIN7556379512052023
Date: 12/05/2023 12:13:36	Reference No: IKOCFYKJH

Computer generated copy on : 12/05/2023

Courtsey : <https://Egras.rajasthan.gov.in>

For Prem Sagar Infra Projects Pvt. Ltd.

Director

VIVANTA CORPORATION

Proprietor



INDIA NON JUDICIAL

Government of Rajasthan

e-Stamp

₹4,97,924



Certificate No.
Certificate Issued Date
Account Reference
Unique Doc. Reference
Purchased by
Description of Document
Property Description
Consideration Price (Rs.)
First Party
Second Party
Stamp Duty Paid By
Stamp Duty Payable (Rs.)
Surcharge for Infrastructure Development (Rs.)
Surcharge for Propagation and Conservation of Cow (Rs.)
Surcharge for Relief from Natural and Man-made Calamities (Rs.)
Stamp Duty Amount(Rs.)

: IN-RJ92648788089331V
 : 12-May-2023 12:16 PM
 : NONACC (SV) / rj3064204/ JAIPUR/ RJ/JP
 : SUBIN-RJRJ306420474547512414420V
 : VIVANTA CORPORATION
 : Article 5(e) Developer Agreement (Sale power)
 : GROUP HOUSING PLOT KHASRA NO. 88 VILLAGE SUKHIYA TEHSIL SANGANER JAIPUR
 : 0
 (Zero)
 : SITARAM TODAWAT AND PREMSAGAR INFRAPROJECTS P LTD.
 : VIVANTA CORPORATION
 : VIVANTA CORPORATION
 : 3,83,018
(Three Lakh Eighty Three Thousand And Eighteen only)
 : 38,302
(Thirty Eight Thousand Three Hundred And Two only)
 : 38,302
(Thirty Eight Thousand Three Hundred And Two only)
 : 38,302
(Thirty Eight Thousand Three Hundred And Two only)
 : 4,97,924
(Four Lakh Ninety Seven Thousand Nine Hundred And Twenty Four only)

For Prem Sugar Infra Projects Pvt. Ltd.

VIVANTA CORPORATION

Proprietor

Director

₹4,97,924



IN-RJ92648788089331V
PU 0001091334

Statutory Alert:

- The authenticity of this Stamp certificate should be verified at www.stampstamps.com or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
- The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
- In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.



सीताराम टोडावत, आयु 56 वर्ष, पुत्र श्री हरिकिशन टोडावत (धौबरी), जाति जाट,
निवासी गांव सुखिया, तहसील सांचानेर, जिला जयपुर (राज.), आधार नम्बर
5157-7684-4614, PAN : AEVPC1046F जो भू-स्थानी है, जिसे इस लेख पत्र में आगे
चलकर सुविधा की दृष्टि से शब्द भू-स्थानी प्रथमपक्ष के नाम से सम्मोहित किया गया है
(जिस शब्द भू-स्थानी प्रथमपक्ष से भू-स्थानी सीताराम टोडावत स्वयं एवं उसके समस्त^{उत्तराधिकारी, वारितान्, प्रतिनिधि इत्यादि भी सम्मिलित समझे जावेंगे)}

एवं

VIVANTA CORPORATION

Proprietor

For Prem Sagar Intra Projects Pvt. Ltd.

Director

उप पंजीयक
जायपुर दस्तम



मैसर्स प्रेमसागर इन्फ्राइंफ्रांस प्राइवेट लिमिटेड (PAN : AAHCP4742N), जो कि भारतीय अधिनियम 1956 / 2013 के अन्तर्गत गठित एक पंजीबद्ध कम्पनी है जिसका पंजीकृत कार्यालय एस-1, रिपि रेजिडेन्सी, प्लॉट नम्बर 11, सैकिंड पल्टोर, मिशन कम्पाउण्ड, ऊजबेर रोड, जयपुर 302001 तथा कॉर्पोरेट पहचान संख्या U45201RJ2013PTC044444, जरिये कम्पनी के बोर्ड रिजोल्यूशन दिनांक 11/5/23 के द्वारा अधिकृत कम्पनी के निदेशक श्री मनोज गर्ग, आयु 53 वर्ष, पुत्र श्री राधा किशन गर्ग, निवासी 15-ए, आगुदान नगर, महारानी कार्म, जयपुर 302018, आधार नम्बर 3314-6960-6971, जिसे इस लेख पत्र में आगे चलकर सुनिश्चित की दृष्टि से शब्द द्वितीयपक्ष के नाम ये सम्बोधित किया गया है (जिस शब्द द्वितीयपक्ष ने मैसर्स प्रेमसागर इन्फ्राइंफ्रांस प्राइवेट लिमिटेड के समस्त निदेशकगण, रोयर होल्डर्स, असाईनीज, प्रतिनिधि, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता इत्यादि भी सम्बलित रामङ्गे जावेंगे)

की ओर से

मैसर्स विवांता कारपोरेशन, कार्यालय 29, जनपथ, स्पान नगर, जयपुर (राज.) जरिये प्रोप्राइटर श्री निशेक चौराहिंगा, आयु 41 वर्ष, पुत्र श्री विनय चौराहिंगा, निवासी 61, संद्राम कॉलोनी, सी-स्कीम, जयपुर (राज.) आधार नम्बर 8318-7239-8957, PAN : AEHPC7869N जो विकासकर्ता है, जिसे इस लेख पत्र में आगे चलकर शब्द "विकासकर्ता द्वितीयपक्ष" रो सम्बोधित किया गया है। (शब्द विकासकर्ता द्वितीयपक्ष में विकासकर्ता मैसर्स विवांता कारपोरेशन के प्रोप्राइटर रख्य एवं उसके समस्त उल्लंघिकारी, प्रतिनिधि, इत्यादि भी सम्बलित रामङ्गे जावेंगे) के हित से निम्न प्रकार निम्नादित किया गया है।

पारग-प्रथम

परिवर्तनाये

इस डबलपेन्ट एड्रीसेन्ट में जब तक कि कोई बात इसके विरोधाभासी अथवा अन्यथा तात्पर्य न हो:-

"कॉम्प्लेक्स/बहुमंजिला इमारत" से तात्पर्य गृह बाउलिंग भूखण्ड क्षेत्रफल 11618.75 वर्गमीटर विवत खसरा नम्बर 38, ग्रान सुखिया, ताहसील सांगानेर, जिला जयपुर (राज.) भी चूमि यह निर्मित किये जाने चाले ए-टॉवर/ए-ब्लॉक के बहुमंजिला भवन/भवनों से होगा जिसमें निर्मित की जाने वाली अतिरिक्त मंजिले व निर्माण भी शामिल होगा। इमारत का नाम पक्काकरों द्वारा आपसी सहमति से तय किया जावेगा।

(Amit)

Foi From Sagar Infra Projects Pvt. Ltd.

Director

VIVANTA CORPORATION

Proprietor



व्रज विधान 12 मार्च 2023 को 12:27 PM बजे
पी/दीमता/सुनील अराम तोडावटा पुरुषी/पति श्री HARIKISHAN

TODAWAT CHOLKHARI, SURKHIYA, JAIPUR-X
उम 56 वर्ष, जाति 0-HINDU, लक्ष्यार्थी Other
निवासी House No.:000, Colony: VILLAGE SUKHIYA , Area:
SANGANER , City: JAIPUR , Pin code: 302022, District: JAIPUR,
State: RAJASTHAN

मैं मेरे सम्मुख दस्तावेज पर्याप्त होने परन्तु लिखा।

(Signature)
हस्ताक्षर परामुखको
202301190007659

Developer Agreement (Sale power)

(Signature)
हस्ताक्षर उप पंजीयक,
JAIPUR-X
उप पंजीयक
जयपुर राजस्थान

Fees Receipt Endorsement

रकमी नं.	202302190010252
दिनांक	12-05-2023
पंजीयन शुल्क ₹	285834
प्रतिलिपि शुल्क ₹	300
प्राप्तांकन शुल्क ₹	300
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाप शुल्क ₹	383018
कमी सरकारी शुल्क ₹	114906
कुल दोग	784358

202301190007659

Developer Agreement (Sale power)

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

* Cras Challan 75583795 ₹ 200434 #
*Stamp IN-RJ92648788089331V ₹
497924

(Signature)
उप पंजीयक, JAIPUR-X

उप पंजीयक
जयपुर राजस्थान

Endorsement of Execution



"कॉमन एरिया" एवं "कॉमन सेवाये" से तात्पर्य प्रस्तावित उक्त बहुमतिला इमारत ने विभिन्न मालिकों व निवासियों के सामुहिक उपयोग व उपभोग हेतु निर्धारित व आशक्ति कॉमन सेवाये से होगा।

3. "आचार्यादित पार्किंग स्थल" से तात्पर्य उक्त इमारत में बाहनों के पार्किंग हेतु आशक्ति किये गये क्षेत्र से होगा।
4. "भूमि/परियोजना भूमि" से तात्पर्य युप हाउसिंग भूखण्ड क्षेत्रफल 11518.75 वर्गगज स्थित खसरा नम्बर 88, प्राम सुखिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में से ए-टीवर/ए-ब्लॉक हेतु विभिन्न भूमि करीब 4640.00 वर्गगज से होगा, जिसका विशेष विवरण परिशेष्ट 2 में दर्शाया गया है।
5. "पार्किंग क्षेत्र" से तात्पर्य भवन/इमारत में बाहनों की पार्किंग हेतु आशक्ति क्षेत्र से होगा।
6. "भूमिट/इकाई" एक सामूहिक ग्राम है जो इमारत के हर पलेट/अपार्टमेन्ट को अलग अलग दिया जायेगा।

चान—द्वितीय

युप हाउसिंग भूखण्ड का विवरण

जो कि वाके नाम सुखिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में युप हाउसिंग भूखण्ड अन्तर्गत खसरा नम्बर 88 स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 11518.75 वर्गगज है। उपरोक्त युप हाउसिंग भूखण्ड की घारों सीमाओं में पूर्व की ओर बोक्टप चौड़ 48.00 फीटर और दक्षिणी सरहदें वास्ते आमद रफत, पश्चिम की ओर अन्य भूमि, उत्तर की ओर सङ्क 18.00 फीटर वाली दक्षिणी वास्ते आमद रफत एवं दक्षिण की ओर अन्य भूमि, स्थित है।

स्वामित्व शुल्कता—

- (1) जो कि उपरोक्त यर्णित युप हाउसिंग भूखण्ड की भूमि के संबंध में चाही गई समस्त चालियाँ प्रथमपक्ष के द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर में जमा कराने के उपरांत जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के द्वारा उपरोक्त युप हाउसिंग भूखण्ड के संबंध में पट्टा विलेख क्रमांक 148 दिनांक 26.12.2013 को प्रथमपक्ष के नाम से निष्पादित किया गया, जिसका पंजीयन उप पंजीयक सांगानेर (द्वितीय) की पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 251, पृष्ठ संख्या 107, प्राम संख्या 2014399000167 पर दिनांक 13.01.2014 को किया गया एवं जिनकी प्रति अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 1003, पृष्ठ संख्या 83 से 92 तक पर घस्ता की गई।
- (2) कालांतर में प्रथमपक्ष एवं द्वितीयपक्ष के मध्य युप हाउसिंग भूखण्ड की भूमि पर जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर द्वारा स्वीकृत भवन मानचित्र अनुसार बहुमतिला

Director

VIVANTA CORPORATION
Proprietor



अनु क. प्रधानारों का नाम व पता

दायाचित्र

अनु सुब-REGS

पत्तर

1 श्री/महिला/मुख्या SITARAM TODAWAT, पुरुषी/गरि श्री HARIKISHAN TODAWAT CHAUDHARY, अवसास Otherकारी O-HINDU House No.:800, Colony: VILLAGE SUKHIYA, Area: SANGANER, City: JAIPUR, Pin code: 302022, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Executive Age : 56 Signature :
2 श्री/महिला/मुख्या MANOJ GARG DIRECTOR PREMSAGAR INFRAPROJECT PRIVATE LIMITED, पुरुषी/गरि श्री RADHA KRISHAN GARG, अवसास Otherकारी O-HINDU House No.:80, Colony: S-1 RISHI RESIDENCY PLOT NO. 11 SECOND FLOOR MISHION COMPOUND, Area: AJMER ROAD, City: JAIPUR, Pin code: 302001, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Executive Age : 53 Signature :
3 श्री/महिला/मुख्या VIVEK CHORDIA PROPRIETOR VIVANTA CORPORATION, पुरुषी/गरि श्री VINAY CHORDIA, अवसास Otherकारी O-HINDU House No.:29, Colony: JANPATH, Area: SHYAM NAGAR, City: JAIPUR, Pin code: 302019, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Claimant Age : 41 Signature :

ने निष्पादन Developer Agreement (Sale power) को पढ़ सुन व समझाकर निष्पादन करना स्वीकार किया।

प्रतिकल राशि : 0/- पूर्ण में / सेवे रकम / में से क 0/- पूर्ण में _____ वे नोट समझ आना करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कार्ता की गहनान निष्पादन व्यक्तियों ने बी है, जिनके हस्ताक्षर एवं अग्राह निष्पादन मेरे समझ लिए गए हैं।

अनु क. धायारों का नाम व पता	दायाचित्र	अनुठा	हस्ताक्षर
1 Name: श्री/महिला/मुख्या CHETAN, पुरुषी/गरि श्री DEVENDRA जारी HINDU Age: 24 Add: House No.:518, Colony: PARIS POINT, Area: BANI PARK, City: JAIPUR, Pin code: 302016, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			
2 Name: श्री/महिला/मुख्या ANKIT JAIN, पुरुषी/गरि श्री KAILASH CHAND JAIN जारी HINDU Age: 33 Add: House No.:58/2, Colony: FLAT NO. 203, FIRST FLOOR NALSHTRA EMPIRE KAMLA NEHRU NAGAR, Area: HEERAPURA, City: JAIPUR, Pin code: 302021, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			

202301190007659

Developer Agreement (Sale power)

ज्ञ. पंचीयन, JAIPUR-X

ज्ञ. पंचीयन
जैपुर

भारत का निर्माण करने के संबंध में एक डवलपमेंट एंटीमेन्ट का दस्तावेज प्रथमपक्ष एवं द्वितीयपक्ष के मध्य दिनांक 14.02.2014 को निष्पादित किया गया, जिसका पंजीयन उप पंजीयक पंचम, जयपुर की पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 751, पृष्ठ संख्या 100, ब्रन संख्या 2014397002443 पर दिनांक 24.02.2014 को किया गया एवं जिसकी प्रति अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 3002, पृष्ठ संख्या 514 से 525 तक पर चस्पा की गई। उक्त डवलपमेंट एंटीमेन्ट ने व्यापा द्वितीयपक्ष के कार्यक्षेत्र व विषयदस्तु तथा तो सीमित करते हुये द्वितीयपक्ष का कार्यक्षेत्र व संत्राधिकार बी-टीएर के निर्माण तक सीमित किया गया तथा इस संबंध में सफ्टीवेन्यू डीड का निष्पादन पश्चकरात् के नव्य से किया गया, जिसका पंजीयन उप पंजीयक द.रा.म. के यहाँ पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 332-पृष्ठ संख्या 64, ब्रन संख्या 2023031901077797 पर दिनांक 30/5/23 को किया गया एवं जिसकी प्रति अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 1226 पृष्ठ संख्या 214 से 225 तक पर चस्पा की गई।

यह कि उपरोक्त शुप हाउसिंग भूखण्ड की भूमि पर बहुमजिला इमारतों का निर्माण उपरोक्त संबंध में निर्माण स्थीकृति प्राप्त करने हेतु द्वितीयपक्ष के द्वारा आवेदन किया गया और इस संबंध में आवश्यक समस्त गुल्क जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर में जामा कराये गये, जिसके उपरांत जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के द्वारा उपरोक्त शुप हाउसिंग भूखण्ड पर इमारत का निर्माण करने हेतु भवन मानदित्र 26.90 मीटर ऊँचाई की जरिये पत्र क्रमांक ज.वि.प्रा/स.स./बी.पी.सी.(बी.पी.)/2018/दी-1525 दिनांक 01.07.2016 के अनुमोदित किये गये। तत्पश्चात् द्वितीयपक्ष द्वारा आवेदन पर जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के द्वारा 41.40 मीटर ऊँचाई के भवन मानदित्र जरिये पत्र क्रमांक ज.वि.प्रा/अति.मु.न.नि./बी.पी.सी.(बी.पी.)/2020/दी-667 दिनांक 10.06.2020 के अनुमोदित किये गये तथा वर्तमान में जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के द्वारा उपरोक्त शुप हाउसिंग भूखण्ड पर 58 मीटर ऊँचाई के भवन मानदित्र जरिये संशोधित भवन मानदित्र पत्र क्रमांक ज.वि.प्रा/व.न.नि./बी.पी.सी.(बी.पी.)/2022/दी-1719 दिनांक 18.11.2022 के द्वारा अनुमोदित कर जारी किये हुये हैं।

जो कि भू-स्थानी प्रथमपक्ष एवं द्वितीयपक्ष के द्वारा उपरोक्त शुप हाउसिंग भूखण्ड खसरा नम्बर 88, ग्राम कुखिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर की भूमि पर ए-टीएर/ए-ब्लॉक की भूमि हेत्रफल लगभग 4640.00 वर्गमीटर पर जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर से प्राप्त भवन निर्माण अनुमति के ब्रन में विकासकार्य करने के रांग में यह डवलपमेंट एंटीमेन्ट विकासकर्ता तृतीयपक्ष के हित में निष्पादित किया जा रहा है जिसे

For Print Signatures Projects Pvt. Ltd.

VIVANTA CORPORATION

Director

Proprietor



Registration Endorsement

आज दिनांक 30/05/2023 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्हा संख्या 332 में
पृष्ठ संख्या 65 क्रम संख्या 202303190107798 पर पंजीयन किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्हा संख्या 1326 के
पृष्ठ संख्या 226 से 253 पर चलना किया गया।

202301190007669

Developer Agreement (Sale power)

१२/
उप पंजीयन PUR-X
उप पंजीयन PUR-X
जयपुर दसम



इस दिलेख मे आगे सुविधा की दृष्टि से "परियोजना भूमि" के नाम से सम्बोधित किया गया है।

जो कि पूर्व मे द्वितीयपक्ष को उपरोक्त संपूर्ण मुप हाउसिंग भूखण्ड का विकासकार्य करना था और इसी क्रम मे द्वितीयपक्ष के द्वारा समस्त भवन निर्माण अनुमतियों और अन्य आवश्यक अनुमतियों प्राप्त की गई, चूंकि द्वितीयपक्ष के द्वारा उपरोक्त संपूर्ण मुप हाउसिंग भूखण्ड के संबंध मे अपनी पूँजी व्यय की है और वह प्रस्तावित ए-ब्लॉक/ए-टॉवर का निर्माण करने से असमर्थ है इसलिये द्वितीयपक्ष के द्वारा विकासकर्ता तृतीयपक्ष को उपरोक्त मुप हाउसिंग भूखण्ड पर ए-ब्लॉक/ए-टॉवर विकसित करने के लिये प्रस्ताव किया गया, जिसपर प्रथमपक्ष की पूर्ण सहमति है। विकासकर्ता तृतीयपक्ष जो कि एक योजनाबद्ध तरीके से बहुमंजिला इमारत बनाने के कार्य मे निपूर्ण है एवं उसका मुख्य व्यावसाय इमारतों का निर्माण व विकसित कर विक्रय करना है जिसके लिये विकासकर्ता तृतीयपक्ष सभी सुविधाओं से सम्पन्न एवं अपने कार्य मे निपूर्ण है। प्रथमपक्ष एवं द्वितीयपक्ष ने विकासकर्ता तृतीयपक्ष को आश्वस्त किया है कि ए-ब्लॉक/ए-टॉवर मे कुल निर्मित क्षेत्रफल 280000 वर्गफीट होगा जिसमे से लगभग 228000 वर्गफीट विक्रय होगा नाग होगा। चूंकि विकासकर्ता स्वयं बहुमंजिला इमारत का निर्माण करने का इच्छुक है इसलिये विकासकर्ता द्वितीयपक्ष ने प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष के उपरोक्त प्रस्तावों के क्रम मे दिये गये आवश्यकानों पर स्वीकार कर प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष को संचुनित कर दिया है, इसलिये यह उपलब्धेट एमीमेन्ट प्रथमपक्ष, द्वितीयपक्ष एवं तृतीयपक्ष के मध्य निम्न शर्तों पर लेखबद्द किया जाकर निष्पादित किया जा रहा है। उपलब्धेट एमीमेन्ट की शर्तों से भू-स्वामी प्रथमपक्ष, द्वितीयपक्ष एवं विकासकर्ता तृतीयपक्ष स्वयं एवं उनके समस्त व्यक्ताएँ उनके सेवर होल्डस, निदेशकानाम, अताइनीज, हस्ताक्षरकर्ता इत्यादि सभी पाबन्द व बाध्य रहेंगे।

भाग तृतीय

प्रतिबद्धता—

- यह कि भू-स्वामी प्रथमपक्ष घोषणा करता है कि वह विकासकर्ता तृतीयपक्षके पास दसम यह अनुबन्ध पत्र निष्पादित करने व उस पर हस्ताक्षर करने हेतु पूर्ण रूप से अधिकृत व सक्षम है भू-स्वामी प्रथमपक्ष यह भी अनिवार्य करता है कि उसके अतिरिक्त उक्त परियोजना भूमि पर किसी अन्य का किसी प्रकार का कोई हक, हिस्सा, अधिकार अथवा हित निहित नहीं है।
- यह कि भू-स्वामी प्रथमपक्ष ने उक्त परियोजना भूमि का यास्ताविक एवं भौतिक कब्जा आज इस दिलेख के निष्पादन के साथ ही नीके पर जाकर विकासकर्ता तृतीयपक्ष को समला दिया है तथा विकासकर्ता तृतीयपक्ष को उक्त परियोजना भूमि पर निर्माण करने, विकास करने तथा उक्त परियोजना भूमि की भूमि पर

For Green Sagar Infra Projects Pvt. Ltd. VIVANTA CORPORATION
Director

Proprietor

• एलोक/४-टॉवर के अन्तर्गत विभिन्न पलेटस/अपार्टमेन्ट्स इत्यादि का निर्माण करने, विक्रय आदि करने हेतु सम्पूर्ण रूप से अधिकृत कर दिया है, जिसपर हितीयपक्ष की पूर्ण सहमति है।

3. यह कि प्रथमपक्ष व हितीयपक्ष उक्त "परियोजना भूमि" से सम्बन्धी जैडीए जयपुर द्वारा अनुमोदित मूल मानवित्र विकासकर्ता हितीयपक्ष को सुपर्द करेंगे।

4. यह कि भू-स्थानी प्रथमपक्ष व हितीयपक्ष घोषित करते हैं कि उनके द्वारा आज दिन तक उक्त "परियोजना भूमि" अथवा उसके किसी हिस्से, हित, अंश व भाग के बाबत किसी प्रकार का कोई लीज, विक्रय पत्र, अनुबन्ध अथवा कोई व्यवस्था, विकास अनुबन्ध अथवा निर्माण बाबत नहीं किया है और न ही किसी प्रकार का कोई चार्ज, लियन, रहन अथवा भार किसी प्रकार का उक्त सम्पत्ति पर किया है अथवा है तथा उक्त "परियोजना भूमि" प्रत्येक प्रकार के भार, चार्ज से पूर्णतया मुक्त है तथा उक्त "परियोजना भूमि" इस अनुबन्ध के प्रमावशील रहने तक समस्त प्रकार के चार्ज भार आदि से भू-स्थानी प्रथमपक्ष मुक्त रहेगा।

यह कि भू-स्थानी प्रथमपक्ष व हितीयपक्ष घोषित करते हैं कि उनके द्वारा आज तक ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया है अथवा ऐसा कोई दस्तावेज अथवा लेखापत्र निष्पादित नहीं किया है जिसके कारण उक्त "परियोजना भूमि" के विकास अथवा ए-एलोक/४-टॉवर के निर्माण कार्य में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न हो तथा विकासकर्ता तृतीयपक्ष के अधिकारों पर विषयीकृत प्रभाव पड़े।

यह कि विकासकर्ता मैमर्स विवाद कंसिरेशन द्वारा उक्त "परियोजना भूमि" के विकास व निर्माण हेतु जो भी प्लान्ट, मशीनरी, टूल्स, संयंत्र, स्टोर्स और सामग्री आदि जो भी निर्माण रूपल पर लायी जायेगी वह हमेशा एकमात्र विकासकर्ता की सम्पत्ति होंगी तथा पक्कारों में यह रूपरूप से तय व स्वीकार किया गया है कि भू-स्थानी प्रथमपक्ष या हितीयपक्ष कभी भी, किसी भी समय पर उक्त प्लान्ट, मशीनरी, यंत्र-संयंत्र, टूल्स सामान व सामग्री पर किसी प्रकार का कोई छलेन नहीं करेगा व विकासकर्ता उक्त प्लान्ट, मशीनरी, यंत्र-संयंत्र, टूल्स सामान व सामग्री को कभी भी, कही भी ला य ले जा सकेंगा।

यह कि भू-स्थानी प्रथमपक्ष ने यह भी स्पष्ट अभिकथित किया है कि उक्त उपरोक्त अनुसार एकमात्र पूर्णलापेण स्थानी है। यदि कभी भी किसी रागय किसी भी व्यक्ति, एजेंसी, संस्था, ऐक अथवा भू-स्थानी प्रथमपक्ष के परिवार के किसी सदस्य द्वारा उक्त "परियोजना भूमि" के स्वामित्व के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न किया जाता है तो भू-स्थानी प्रथमपक्ष उस विवाद को उसके प्रारंभ की दिनांक से तीन माह के अन्दर अपने स्वयं के खर्चे पर

For Firm Signature (Signature) : M/s VIVANTA CORPORATION

VIVANTA CORPORATION

Proprietor

Director

निपटा लेगा। यह भी तथ्य पाया है कि भू-स्वामी प्रथमपक्ष हमेहा उपरोक्त 'परियोजना भूमि' के स्वामित्व के संबंध में विकासकर्ता व उसके भावी जिम्मेदारों को होने वाली किसी भी क्षति की क्षतिपूर्ति करने हेतु स्वयं सदैव उत्तरदायी है व रहेगा।

8. यह कि विकासकर्ता को भू-स्वामी प्रथमपक्ष द्वारा जरिये मुख्यारनामा/अधिकार पत्र द्वारा भू-स्वामी प्रथमपक्ष के नाम से व उसकी ओर से विभिन्न विभागों/अधिकरणों/कार्यालयों आदि में आवश्यकतानुसार उपरित्थित होने, दस्तावेज प्रस्तुत करने, भू-स्वामी प्रथमपक्ष का प्रतिनिधित्व करने, प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने, आवेदन करने, इमारत के निर्माण हेतु समय समय पर विभिन्न प्रकार का कोटा/सक्षमता व अन्य सीमेट, स्टील, ईंट आदि अन्य आवंटन आदि प्राप्त करने, स्वार्ड/अस्थाई विद्युत व पानी कनेक्शन प्राप्त करने हेतु तथा अन्य समस्त वाइटि कार्यवाही भू-स्वामी प्रथमपक्ष की ओर से करने हेतु अधिकृत किया जाता है।


9. यह कि प्रथमपक्ष, द्वितीयपक्ष एवं तृतीयपक्ष के द्वारा अपने अपने अनुपात के अनुसार अपने अपने हिस्से के पलेटस/अपार्टमेंट्स का घयन किया गया है। पक्षकारों में तथ्य हुआ है कि सभी पक्ष अपने चिन्हिकरण में आये पलेटस को स्वयं विक्रय करेंगे और उसकी विक्रय प्रतिवाल राशि संबंधित पक्षकार स्वयं प्राप्त करेगा। यहाँ प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष युटि करते हैं कि वे विकासकर्ता तृतीयपक्ष के हिस्से में आये पलेटस के संबंध में समस्त लिखित एवं भौतिक कार्यवाही करने, विक्रय करने के अधिकार सहित एक मुख्यारनामा आम विकासकर्ता तृतीयपक्ष के हित में विभावित इस मुख्यारनामा आम को प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष को इस डबलपर्मेंट एडीमेन्ट के प्रभाव में रहने तक निरस्त करने का अधिकार नहीं होगा।

10. यह कि भू-स्वामी प्रथमपक्ष, द्वितीयपक्ष व विकासकर्ता तृतीयपक्ष तीनों पक्षकार अपना—अपना आयकर अथवा अन्य प्रकार यी समस्त जिम्मेदारी के प्रति निजी तौर पर उत्तरदायी होंगे।

11. यह कि उचित परियोजना भूमि पर इमारत निर्माण हेतु अनुमति प्राप्त कर्त्तव्यकृतीयक परवात निर्माण कार्य के दौरान किसी स्तर पर यदि वर्तमान ज़ामानेर दस्तम नियम/उपनियमों आदि में किसी प्रकार का परिवर्तन अथवा छूट दी जाती है तो विकासकर्ता इस प्रकार के संशोधन/छूट के कारण प्राप्त होने वाले अतिरिक्त शेत्र/मजिलों की अनुमति अपने स्वयं के ब्याय पर प्राप्त करेगा। यह भी तथ्य किया गया है कि विकासकर्ता अतिरिक्त निर्माण करने हेतु/अतिरिक्त निजिल निर्माण हेतु एकमात्र पूर्ण काप से अधिकृत होगा।

VIVANTA CORPORATION

For Print Sagar Ultra Projects Pvt. Ltd.



Director



12. यह कि भू-स्वामी प्रथमपक्ष एवं द्वितीयपक्ष किसी प्रकार की रुकावट अथवा कोई ऐताराज किसी प्रकार का या अन्यथा हस्तक्षेप नहीं करने हेतु अपनी अखंडनीय सहमति देना स्वीकार करता है:-

अ. ए-टॉवर/ए-ब्लॉक के विकास कार्य किये जाने में।

ब. निर्माण मानवियों में सशोषन, परिवर्षन, परिवर्तन अथवा आधुनिकीकरण करने में।

स. यदि विकासकर्ता द्वितीयपक्ष सहम अधिकारियों से अतिरिक्त निर्माण अथवा अतिरिक्त मंजिल निर्माण की अनुमति प्राप्त करता है तो इस प्रकार के अतिरिक्त निर्माण या अतिरिक्त मंजिलों के निर्माण में।

13. यह कि भू-स्वामी प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष ऐसा कोई कार्य, गतिविधि अथवा कार्यवाही नहीं करेंगे जिससे कि विकासकर्ता को ए-टॉवर/ए-ब्लॉक इमारत के निर्माण कार्य को पूर्ण करने में अवशोषित हो।

यह कि इस अनुबन्ध के पक्षकार समस्त वैदानिक नियमों, उपनियमों, विनियमों की पूर्णतापूर्ण पालना करेंगे तथा किसी प्रकार के नियमों, उपनियमों व विनियमों के विवलन, अतिक्रमण और/या खड़न हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

15. *यह कि भू-स्वामी प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष यह तमाम कार्य अथवा अभिलेख निष्पादित करने अथवा करने देने हेतु यह तमाम कार्यवाही/अभिलेख निष्पादित, कार्य आदि करेगा जिनका उल्लेख विशेष रूप से इस अनुबन्ध पत्र ने नहीं किया गया है यह सभी कार्य/कार्यवाही, अभिलेख आदि की अथवा भू-स्वामी प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष के अधिकार पत्र की आवश्यकता विकासकर्ता को हो अथवा किसी अतिरिक्त मुख्यारनामे की आवश्यकता विकासकर्ता को हो, इस बात के जर्दीन कि इस प्रकार किये जाने वाला कार्य, कार्यवाही अथवा अभिलेख, अधिकार पत्र, मुख्यारनामा, भू-स्वामी प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष के अधिकारी का किसी भी प्रकार से हनन नहीं करते हो तथा इस लेख पत्र की भावना के विपरीत न जाते हो, करने हेतु सहमत है।

16. यह कि द्वितीयपक्ष के द्वारा बी-टॉवर के अतिरिक्त विकसित किये गये भाग व उपलब्ध क्षेत्र हाउस, कोरिडोर, लिफ्ट, टेरेस, बी-ब्लॉक के बेसमेन्ट व स्टील तुलसी पार्किंग में आने व जाने हेतु रास्ता, ड्राइव वे, गार्डन एरिया, जोगिंग ट्रैक आदि का विकासकार्य किया जा रहा है, इन सभी सुविधाओं का उपयोग व उपभोग समान रूप से द्वितीयपक्ष व ए-टॉवर के गुनिटधारी/फ्लैटधारी भी करेंगे, जिसके संबंध में प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ

For Press Sagar Ultra Projects Pvt. Ltd.

VIVANTA CORPORATION

Proprietor

Director

प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष यह अनिस्तनीय सहमति विकासकर्ता मैसर्स विदाता कॉरपोरेशन को प्रदान करता है कि ए-टॉवर के समस्त युनिटधारियों को उपरोक्त भाग जैसे बलब हाउस, कोरिडोर, लिफ्ट, टेरेस, बी-ब्लॉक के बेसमेन्ट व स्टील्ट पलोर पार्किंग में आने व जाने हेतु रास्ता, ड्राइव वे, गार्डन एरिया, जोगिंग ट्रैक आदि को उपयोग व उपभोग में लेने का पूर्ण अधिकार होगा जिसमें प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष को किसी प्रकार की कोई आपत्ति, एतराज करने का अधिकार नहीं होगा। उपरोक्त के साथ ही प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष पुष्टि करते हैं कि वे ए-टॉवर के युनिटधारियों से उक्त भागों जैसे बलब हाउस, कोरिडोर, लिफ्ट, टेरेस, बी-ब्लॉक के बेसमेन्ट व स्टील्ट पलोर पार्किंग में आने व जाने हेतु रास्ता, ड्राइव वे, गार्डन एरिया, जोगिंग ट्रैक आदि के उपयोग व उपभोग में लेने के लिये कोई राशि व प्रतिफल की मांग विकासकर्ता या उसके अधिकारी नहीं करेंगे।

यह कि प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष पुष्टि करते हैं कि उपरोक्त मूल हाउसिंग भूखण्ड के समस्त कॉम्पन भाग, सेटबैक एरिया, खुला बीच, आने-जाने के मार्ग आदि सभी पक्षकारों के लिये कॉम्पन रहेंगे और कोई भी पक्ष इन्हे बन्द करने व अवरुद्ध करने का अधिकारी नहीं होगा।

मार्ग-चक्रवर्त

कार्य अनुसूची:-

1. यह कि मू-स्वामी प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष ने गिलकर इस अनुबन्ध पत्र के अनुसार उक्त परियोजना भूमि (प्रस्तावित ए-टॉवर/बी-ब्लॉक की भूमि) का वास्तविक भौतिक सातिपूर्ण कब्जा विकासकर्ता तृतीयपक्ष को संभला दिया है एवं मू-स्वामी प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष ने विकासकर्ता तृतीयपक्ष को उक्त परियोजना भूमि पर प्रवेश करने व सक्षम निकाय से प्राप्त या प्राप्त होने वाले स्वीकृत मानविक्री के अनुसार भूमि पर निर्माण व विकास कार्य करने व पूर्ण करने हेतु समस्त अधिकार/प्राधिकार प्रदान कर दिये हैं।
2. यह कि तृतीयपक्ष विकासकर्ता उक्त वर्णित "परियोजना भूमि" पर बहुमंजिला इमारत का निर्माण अपने स्वयं के खर्च एवं प्रयासों से करायेगा, इस कार्य हेतु मू-स्वामी प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष, विकासकर्ता तृतीयपक्ष को अपना पूर्ण लिखित सङ्हयोग प्रदान करने हेतु शाय्य रहेंगे।

VIVANTA CORPORATION



For Print & Sign Works Projects Pvt. Ltd.

Director



यह कि विकासकर्ता सम्पूर्ण ए-ब्लॉक/ए-टॉवर की इमारत का निर्माण गानधित्रों के अनुसार करेगा तथा निर्माण की किस्म (क्वालिटी), फिनिशिंग, निर्माण सामग्री के उपयोग में एकलप्रता रखी जावेगी।

4. यह कि विकासकर्ता उपरोक्त परियोजना भूमि पर निर्मित किये जाने वाले निर्माण कार्य को निर्माण प्रारंभ करने की दिनांक से लगभग 4 वर्ष की अवधि में पूर्ण करायेगा।
5. यह कि निर्माण कार्य व विकास कार्य में होने वाला विलम्ब किसी अपरिहार्य घटना (Force Majeure) जैसे कि दर्गे, झांसि भंग, जब कानून की विधति अनियंत्रित हो, हड्डताल, निर्माण सामग्री उपलब्ध न होना, ट्रान्सपोर्ट हड्डताल, सरकारी प्रतिबन्ध, सिविल असांति के कारणों, ईश्वरीय घटना (Act of God) अथवा अन्य किसी प्राकृतिक आपदाओं अथवा भू-स्वामी प्रथमपक्ष के स्वामित्व वी त्रुटि के कारण या किसी पक्षीसी से विचाद हो जाने के कारण स्थगन आदेश/निषेधाज्ञा/अवरोध आदेश इत्यत्री न्यायालय, अभिकरण अथवा अधिकारी द्वारा जारी किये जाने के कारण या अन्य किसी ऐसे कारण से जो कि विकासकर्ता के नियंत्रण के बाहर हो आदि किसी एक या अधिक कारणों से निर्माण में विलम्ब होने पर विकासकर्ता की जिम्मेदारी नहीं होगी तथा उपरोक्त वर्णित कारणों के स्फूट होने में लगने वाला अवधि की नियत अवधि में गणना नहीं की जावेगी।
6. यह कि यह भी एतद्वारा तय किया जाता है कि निर्माण व विकास की सम्पूर्ण लागत आकस्मिक अन्य घट्यों सहित विकासकर्ता द्वारा बहन किया जावेंगे तथा इससे संबंधित समस्त प्रयास विकासकर्ता द्वारा किये जावेंगे।
7. यह कि भू-स्वामी प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष द्वारा विकासकर्ता द्वारा दसम् ई-ब्लॉक/वी-टॉवर ने एक साइट अंपिल उपलब्ध कराया जायेगा ताकि विकासकर्ता द्वारा द्वितीयपक्ष के कर्मचारी, स्टॉफ ऐंट्रेंगे और ए-ब्लॉक के फ्लेट्स की बुकिंग व ग्राहकों से संवायहार करेंगे उपरोक्त के साथ ही विकासकर्ता को इस उपलब्ध कराये गये स्थान पर अपना साईट आकिस खोलने, साईन बोर्ड, होर्डिंग्स, डिस्प्ले बोर्ड आदि साईट पर अथवा अन्य स्थानों पर लगाने, हेतु अनुमति दी गई है। उक्त उपलब्ध कराये गये स्थान के बदले प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष किसी प्रकार की कोई सहि विकासकर्ता से प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होंगे।
8. यह कि पक्षकारी में तय हुआ है कि सर्वप्रथम विकासकर्ता द्वारा ए-ब्लॉक/ए-टॉवर में अपने हिस्से में आयी कुल युनिटों/प्लेट्स में से 40

For Prem Jagat Infra Projects Pvt. Ltd.

VIVANTA CORPORATION

Proprietor

Director

जयपुर (दस्ता)
पंजीयन विभाग



१८९८
१८९८, JAIPUR.

युनिट/पलेट्स आदि मकेतों को विक्रय करेगा तथा जिसके उपरात ही प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष अपने अपने हिस्से के भाग को विक्रय करने के अधिकार होंगे।

यह कि विकासकर्ता तृतीयपक्ष द्वारा उक्त वर्जित 'परियोजना भूमि' पर बनने वाली बहुमजिला इमारत का स्थानीय निकाय/प्रथलित नियमों अनुसार अनुमोदित मानवित्रों के अनुसार इमारत बनाने हेतु इंजीनियर/ओवरसीयर/कॉन्ट्रैक्टर/कर्मचारी/मजदूर/मिस्ट्री /आर्किटेक्ट/सुपरवाईजर इत्यादि की नियुक्ति करेगा एवं बिल्डिंग का निर्माण कार्य स्वीकृत मानवित्रों के अनुसार करायेगा, साथ ही विकासकर्ता तृतीयपक्ष को 'परियोजना भूमि' पर बनने वाली बहुमजिला इमारत के संबंध में अपनी इच्छानुसार किसी भी स्टाफ/कर्मचारी/मजदूर/आर्किटेक्ट या सुपरवाईजर/इंजीनियर को रखने, कंट्रोल करने, भुगतान करने अथवा हटाने के पूर्ण अधिकार होंगे। इन सब कार्यों में सम्पूर्ण खर्च विकासकर्ता तृतीयपक्ष द्वारा वहन किया जावेगा, जिसमें किसी प्रकार की बाधा, अवशेष, आपत्ति, हस्तक्षेप करने का अधिकार भू-स्थानी प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष को नहीं होगा।



भाग-पंचम

१८९८
उप पंजीयक
जयपुर दस्तक

इह कि विकासकर्ता तृतीयपक्ष द्वारा भू-स्थानी प्रथमपक्ष की अचल सम्पत्ति 'परियोजना भूमि' पर किये जाने वाले निर्माण, निर्माण में विविधोजित किये ज्ञन एवं समय की एवज में उपरोक्त परियोजना भूमि पर निर्मित तामीरात में से आवासीय भाग 146289 वर्गफीट व व्यावसायिक भाग में 7179 वर्गफीट (कुल 88 प्रतिशत भाग) पर विकासकर्ता तृतीयपक्ष का एकमात्र मालिकाना अधिकार होगा जिसे प्रत्येक प्रकार से अपने उपयोग एवं उपभोग में लेने, लाभ अर्जित करने, विक्रय, दान, आदि के द्वारा किसी को भी हस्तान्तरित करने के समस्त अधिकार विकासकर्ता तृतीयपक्ष को प्राप्त रहेंगे। एवं इसी प्रकार 'परियोजना भूमि' पर निर्मित तामीरात व इमारत ने से आवासीय भाग 69054 वर्गफीट व व्यावसायिक भाग में 4785 वर्गफीट (कुल 32 प्रतिशत भाग) पर भू-स्थानी प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष का संयुक्त मालिकाना अधिकार होगा, जिसे प्रत्येक प्रकार से अपने उपयोग एवं उपभोग में लेने, लाभ अर्जित करने, विक्रय, दान, आदि के द्वारा किसी को भी हस्तान्तरित करने के समस्त अधिकार भू-स्थानी प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष को प्राप्त रहेंगे।

VIVANTA CORPORATION

Proprietor

For Premium Sigar India Projects Pvt. Ltd.

Director

2- कि प्रथमपक्ष, द्वितीयपक्ष एवं तृतीयपक्ष ने उपरोक्त प्रस्तावित इमारत ए-ब्लॉक / ए-टॉवर) मे निर्मित होने वाली इकाइयों को चयन / विनियोगण अपने अपने अनुपात अनुसार कर लिया है। पक्षकरान् मे हुये विनियोगण के परिणामस्पद परिशिष्ट 1 मे दर्शायी गई संपत्ति / पलेट / युनिट आदि विकासकर्ता के हिस्से मे रहेंगे, परिशिष्ट -2 मे दर्शायी गई संपत्ति / पलेट / युनिट आदि प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष संयुक्त हिस्से मे रहेंगे। पक्षकरान् मे यह भी तथ दुआ है कि तीनों पक्ष अपने अपने हिस्से की युनिटों / पलेट आदि को स्वयं आवंटन, विक्रय आदि करेंगे और विक्रय प्रतिफल राशि भी स्वयं के स्तर पर खुद प्राप्त करेंगे, किंतु भी अन्य पक्षकार वी इन कार्यवाहियों मे पूर्व सहमति व स्वीकृति वी कोई आवश्यकता नहीं होगी।

3- यह कि प्रथमपक्ष, द्वितीयपक्ष व तृतीयपक्ष के मध्य तथ दुआ है कि उपरोक्त परियोजना भूमि पर बनने वाली युनिटों / पलेट / अपार्टमेंट आदि का विक्रय, आवंटन, बुकिंग, करार, पुष्टि, निरस्तीकरण, नोटिस, सूचना आदि संबंधित पक्षकार को द्वारा किया अर्थात् जिस पक्षकार के हिस्से मे जो युनिट आयी है वह ही उस पलेट के संबंध मे समस्त प्रकार की कार्यवाही करेंगा, जिसमे अन्य किसी पक्षकार का किसी प्रकार की कोई आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं होगा। पक्षकरान् मे यह भी तथ दुआ है कि कोई भी पक्षकार अन्य पक्षकार के हिस्से वी युनिट / पलेट आदि का विक्रय, आवंटन आदि नहीं करेंगा।

4- कि विकासकर्ता तृतीयपक्ष के हिस्से / चयन मे आयी युनिटों / पलेटों को विक्रय करने, आवंटन करने, निरस्त करने, संशोधन करने व प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष की ओर से समस्त कार्यवाही करने हेतु एक मुख्यात्मका आव निष्पादित किया है, जिसे निरस्त कराने का अधिकार प्रथमपक्ष को इस क्षेत्रमें एप्रीलेन्ट के प्रभावी रहने के दौरान नहीं होगा।

5- यह कि पक्षकारों ने तथ दुआ है कि उपरोक्त ए-ब्लॉक / ए-टॉवर मे निर्मित प्रदूषक पलेट के साथ एक बार पार्किंग रिजर्व रहेंगी। उपरोक्त तथ पार्किंग स्लॉट के अलावा ए-ब्लॉक / ए-टॉवर मे करीब 76 पार्किंग अतिरिक्त ज्यादा है जिसमे से 6 पार्किंग स्लॉट प्रथमपक्ष के पास व 70 पार्किंग स्लॉट / चाग विकासकर्ता तृतीयपक्ष के हक व हिस्से मे रहेंगे।

6- यह कि विकासकर्ता पृतीयपक्ष के द्वारा प्रथमपक्ष को कुल 36,00,000/- अक्षरे पैतीस लाख रुपये का मुगलान बतीर रिफर्डेवल सिक्योरिटी राशि के कराना तथ दुआ है, जिसे प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष निर्माण पूर्ण होने व निर्माण पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के 10 दिवस मे यापस तृतीयपक्ष को लौटाने के लिये दाव्य रहेंगे।

For Press Signs India Projects Pvt. Ltd. VIVANTA CORPORATION

Director





7- नोट कि विकासकर्ता तृतीयपक्ष के द्वारा प्रबन्धपक्ष को किये गये भुगतान
35,00,000/- अहरे पैतीस लाख रुपये का विवरण इस प्रकार है—

रजिस्ट्रेशन संख्या	दिनांक	बैंक व शाखा	राशि प्राप्तकर्ता	राशि
000154	11.05.2023	एचडीएफसी बैंक	सीताराम	17,50,000/-
000152	11.05.2023	एचडीएफसी बैंक	मैरस्ट प्रेमसागर इन्फोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड	17,50,000/-
अहरे — पैतीस लाख रुपये मात्र			35,00,000/-	

भाग—पठ्ठन



1. यह कि उक्त परियोजना भूमि के संबंध में समस्त प्रकार के विधिक प्राधिकारी व अधिकारी अधिकारी अध्ययन करते बकाया कर अथवा इस अनुबंध पर हस्ताक्षर के दिन तक के समस्त बकाया करो, लीज मनी, हाउस टेक्स, यूडीएच कर, मुद्रांक शुल्क, सरदार्ज, पंजीयन शुल्क आदि का भुगतान भू-स्वामी प्रबन्धपक्ष वित्तीयपक्ष करें।

2. यह कि उक्त परियोजना भूमि पर अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की दिनांक सुनारे पैतीयपक्ष की विधिक विकासकर्ता को जाएगा और यदि विकासकर्ता को ऐसे किसी बकाया कर आदि की राशि का भुगतान करना पड़े तो इस प्रकार भुगतान की गई राशि की वित्तीयपक्ष को उक्त करने का दायित्व भू-स्वामी प्रबन्धपक्ष वित्तीयपक्ष का होगा।

3. यह कि आज इस विलेख की निष्पत्ति की दिनांक से इमारत निर्माण पूर्ण होने तक १ लाख/१ दौवर के समस्त करो का भुगतान तीनों पक्ष अपने अपने आनुपातिक हिस्से अनुसार करेंगे और निर्माण पूर्ण होने के पश्चात् पलेट्स के स्वामी अपने अपने फ्लेट्स के हिस्से अनुसार आनुपातिक कर से अदा करेंगे।

VIVANTA CORPORATION

For Preeta Sagar Infra Projects Pvt. Ltd.

Proprietor

Director

जयपुर (म.)
भौजीयन विभाग

भौजीयन विभाग

4. यह कि जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा ए-इलॉक/ए-टॉवर का निर्माण के संबंध में कोई जुर्माना लगाया जाता है तो ऐसी राशि अदा करने की पूर्ण जिम्मेदारी द्वितीयपक्ष की होगी।

भाग—सप्तम

जयपुर विभाग—

1. यह कि विकासकर्ता ने यह अनुबंध निष्पादित करना, भू—स्वामी प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष के इस आश्वासन एवं विश्वास दिलाने पर स्वीकार किया है कि उक्त परियोजना भूमि पर भू—स्वामी प्रथमपक्ष का संपूर्ण स्वच्छ व भार रहित स्वामित्व है। उपरोक्त ए-इलॉक/ए-टॉवर पर निर्माण का क्षेत्रफल करीब 200000 वर्गफीट होगा जिसमें से विक्रय योग्य भाग 228000 वर्गफीट होगा। यदि भविष्य में कभी भी किसी समय इस अनुबंध पत्र के निष्पादन के पश्चात् प्रस्तावित इमारत के निर्माण के दौरान अथवा बाब में उक्त परियोजना भूमि के स्वामित्व के संबंध में किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उस विवाद को निपटाने व सुलटाने की संपूर्ण जिम्मेदारी भू—स्वामी प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष की स्थिरं के खर्च व पैरवी सहित होगी।
2. यह कि यदि किसी भी पक्कार द्वारा इस अनुबंध व परस्पर तयशुदा किसी भी एक अथवा अधिक शर्त/शर्तों/शरायतों को भंग किया जाता है तो उस पक्कार द्वारा दूसरे पक्कार को इस प्रकार के शर्त भंग के होने वाली धृति की विश्वासनीयता का भाव नहीं होगा।
3. यह कि भू—स्वामी प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष अथवा उसके किसी एजेंट, कर्मचारी व उनके प्रतीक्षित या भू—स्वामी प्रथमपक्ष की ओर से अधिकार का दावा करने वाले विविध व्यक्ति के किसी कार्य द्वारा विकासकर्ता को निर्माण कार्य करने अथवा निर्माण कार्य के दौरान अवरोधित किया जाता है, तो विकासकर्ता को भू—स्वामी प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष से उसको होने वाली हानि, नुकसान व उसके द्वारा उस दिनांक तक इनकारा के निर्णय में व्यय की गई संपूर्ण राशि भू—स्वामी प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष से कलेम करने का भी पूर्ण अधिकार होगा।
4. यह कि भू—स्वामी प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष उपरोक्त "परियोजना भूमि" को आज दिन तक किसी को भी रहन, बन्धक, विक्रय, दान, वसीयत, त्याग आदि पर द्वारा हस्तान्तरित नहीं किया है। उक्त वर्णित अबल सम्पत्ति "परियोजना भूमि" प्रत्येक प्रकार को भार एवं बन्धन, कर्जा-कुर्की, जमानत, सीलिंग, बाद-विवाद, झगड़ा-टप्टा, आवासि आदि से पूर्णतया मुक्त, पाक एवं साफ है। भू—स्वामी प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष ने उक्त "परियोजना भूमि" के सम्बन्ध में किसी को भी

For Press Estate India Projects Ltd.

VIVANTA CORPORATION

Proprietor

Director



अपना मुख्यारक्षाम या मुख्यारक्षास नियुक्त नहीं कर रखा है, एवं ना ही कोई लिखापड़ी इस आशय की कर रखी है, जिससे विकासकर्ता तृतीयपक्ष के प्रोजेक्ट व उपरोक्त निर्माण के बदले प्राप्त होने वाले हिस्से पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो। उपरोक्त वर्षित भूमि नदी नालो, तालाबो या जल भराव हेतु आरक्षित भूमियों या उपरोक्त भूमियों में से नहीं हैं। उपरोक्त भूमि अंदर गाफी भूमि या अवाप्ताधीन/अवाप्तशुदा भूमियों में से नहीं हैं। उपरोक्त भूमि के संबंध में किसी भी न्यायालय, अधिकारण, मंडल, राजस्व न्यायालय आदि में कोई प्रकरण विद्यारथीन नहीं है। उक्त वर्षित अचल सम्पत्ति 'परियोजना भूमि' को प्रत्येक प्रकार से अपने उपयोग एवं उपयोग ने लेने, लान अर्थित वारने, रहन करने, विक्रय करने, त्याग करने, विकास अनुबन्ध/डकलामेंट एवं मेंट निष्पादित करने एवं प्रत्येक प्रकार से हस्तान्तरित करने के समस्त स्वत्वाधिकार मालिकाना बहैसियत भू-स्वामी प्रथमपक्ष को प्राप्त है।

भाग—अष्टम

माध्यस्थन—

यह कि इस इकारानामे में तहत भू-स्वामी प्रथम पक्ष, द्वितीयपक्ष व तृतीयपक्ष तृतीयपक्ष के मध्य निर्माण प्रक्रिया के दौरान से निर्माण पूर्ण होने पर कोई लौप्तने की ग्रन्तिया तक कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसे इण्डियन ऑर्बिनियम एवं कॉसिलेशन एक्ट, 1996 के प्रावधानों के तहत निपटाया जायेगा। उक्त ऑर्बिनियम के तहत एक सोल आर्बिट्रेटर की नियुक्ति सभी पक्षकारों के द्वारा की जायेगी एवं ऐसा विवाद उक्त मध्यस्थ को ऐफर किया जायेगा। सोल आर्बिट्रेटर का लिखित दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा। किसी भी पक्ष को इस इकारानामे के तब तक नहीं होगा जब तक कि आर्बिट्रेटर किसी उचित कारण से अवार्ड देने में असम्मत नहीं हो।

भाग—नवम्

न्यायक्रम—


समस्त प्रकार के याद विवाद होने पर न्याय केन्द्र जयपुर (राज.) होगा।

उपरोक्त दस्तावेज़
जयपुर दस्तावेज़

भाग—दशम्

विविध—

VIVANTA CORPORATION




For Prem Sagar Infra Projects Pvt. Ltd.



Director





1- यह कि इस डबलपर एग्रीमेन्ट को मूल रूप से तीन मूल प्रतियो ने तैयार किया था है तीनों पक्षों के पास एक मूल प्रति रहेगी एवं तीनों प्रतियो की महत्वता एक समान रहेगी।

2- यह कि डबलपर एग्रीमेन्ट को पंजीयन कराने का खर्च तीनों पक्ष अपने हिस्से अनुसार बहन करेंगे।

3- यह कि उक्त 'परियोजना भूमि' की भूमि पर बनने वाली बहुमंजिला इमारत वी कॉमन सुविधावें समस्त युनिट होल्डर्स की सामूहिक रहेगी। योग्यता सुविधाओं को रखरखाव के लिये मेन्टीनेन्स सोसायटी का गठन किया जावेगा जिसके द्वारा बनाये जाने वाले सभी नियमों व उप नियमों का सभी युनिट होल्डर्स पालन करेंगे एवं साथ ही अपने-अपने आनुपातिक हिस्से अनुसार मेन्टीनेन्स राशि मेन्टीनेन्स सोसायटी यो अदा करेंगे। परन्तु यब तक मेन्टीनेन्स सोसायटी का गठन नहीं होता है तब तक मेन्टीनेन्स सोसायटी के कार्य यथा मेन्टीनेन्स राशि प्राप्त करना, रख रखाव करना, कर निर्धारण करना, कर को एकत्र कराने, खर्च करने आदि कार्य विकासकर्ता तृतीयपक्ष द्वारा किये जायेंगे।

4- यह कि पक्षकारों में तथ्य हुआ है कि तृतीयपक्ष के द्वारा ए-टॉवर के अतिरिक्त बी-टॉवर का भी मेन्टीनेन्स संबंधी समस्त कार्य किया जायेगा तथा ऐसे में बी-टॉवर के संबंध में मेन्टीनेन्स राशि प्राप्त करना, रख रखाव करना, कर निर्धारण करना, कर को एकत्र कराने, खर्च करने आदि कार्य व निर्णय विकासकर्ता तृतीयपक्ष द्वारा किये जायेंगे।

यह कि भू-स्वामी प्रधमपक्ष, द्वितीयपक्ष व विकासकर्ता तृतीयपक्ष के मध्य समरूप पंजीयक सूचनाएँ पत्राचार, नोटिस आदि पक्षकारान् के उपरोक्त चिस्टर्ड डाक द्वारा ज्ञापन दस्तावेज़ पर भेजी गई सूधना, नोटिस, पत्राचार आदि पक्षकारान् को प्राप्त हुई गानी जायेगी।

5- यह कि यदि निर्माण कार्य प्राप्त करने से पूर्ण या निर्माण के दौरान किसी सरकारी या गैर सरकारी संस्था से एन.ओ.सी./अनुगति लेने की आवश्यकता पड़ती है तो उसकी समरूप जिम्मेदारी प्रधमपक्ष व द्वितीयपक्ष की होगी, तृतीयपक्ष का इससे कोई लेना-देना नहीं है।

6- यह इस डबलपर एग्रीमेन्ट के निष्पादन की दिनांक से विकासकर्ता तृतीयपक्ष वो अधिकार है कि वह उपरोक्त प्रोजेक्ट का Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (RERA) के यहाँ पंजीयन कराये, पंजीयन हेतु देश राशियाँ जमा कराये, जिसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति भू-स्वामी प्रधमपक्ष व

for Prem Singh India Projects Pvt. Ltd.

VIVANTA CORPORATION


Proprietor

Director

द्वितीयपक्ष को नहीं है। उपरोक्त ये साथ ही तीनों पक्षों में तय हुआ है कि रेगिस्ट्रीशन कराने हेतु किसी अतिरिक्त दस्तावेज़, प्रार्थना पत्र, शापथ पत्र आदि की आवश्यकता होगी तो भू-स्वामी प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष उन्हें हस्ताक्षरित करके विकासकर्ता तृतीयपक्ष को उपलब्ध करायेंगे तथा किसी कारणवश रेगिस्ट्रीशन के लिये इस दस्तावेज़ में वर्णित किसी शर्त के संशोधन कराने की आवश्यकता होगी तो तीनों पक्ष तत्काल प्रभाव से संशोधन पत्र निष्पादित कराकर उसका रजिस्ट्रीशन करायेंगे। यह दस्तावेज़ रेगिस्ट्रेशन (RERA) हेतु वैध व प्रभावी है।

अतः इस डबलपर्स एड्रीमेन्ट पर भू-स्वामी प्रथमपक्ष, द्वितीयपक्ष एवं विकासकर्ता तृतीयपक्ष ने अपनी राजीखुशी, होश हवास, स्वस्थ चित्त एवं स्थिर बुद्धि की अवस्था में दिना किसी दबाव व बहकावे के समझ दो गवाहान के पक्ष, सुन व तमाज़कर। द्वितीयपक्ष पर अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं, जो कि सनद रहे एवं वक्त जरूरत काम आवे। इति दिनांक 12- माह नई सन 2023 ईस्वी।

हस्ताक्षर प्रथमपक्ष (भू-स्वामी)


(स्त्रीराम दोडावत)

हस्ताक्षर द्वितीयपक्ष
मेहराज अमरसागर इन्काप्रोजेक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड
For Iram Singh Lalaji Projects Pvt. Ltd.



जरिये कम्पनी के निदेशक
(महोज गांगी) Director


चप पंजीयक
जयपुर दस्तावेज़

दस्तावेज़ द्वितीयपक्ष का गवाहान
मेहराज अमरसागर कॉरपोरेशन
Proprietor

जरिये फर्म के प्रोप्रोप्राइटर
(विवेक चौधरी)

हस्ताक्षर गवाहान 1—


Chetan
516 Park Point Banipark Jaipur

हस्ताक्षर गवाहान 2— Ankit Jain


H.no. 64/2 Plot No. 203 Kamla Nehru Nagar
Meerapura Jaipur




परिशिष्ट-1
विकासकर्ता के हिस्से में आयी युनिट/फ्लैट आदि का विवरण

101	3 BHK	1822.5
102	3 BHK	1822.1
206	4 BHK	2352.6
203	3 BHK	1822.5
205	4 BHK	2508.5
301	3 BHK	1822.5
303	3 BHK	1822.5
304	Duplex	3270.7
306	4 BHK	2352.6
401	3 BHK	1822.5
402	3 BHK	1822.1
406	4 BHK	2352.6
502	3 BHK	1822.1
503	3 BHK	1822.5
504	Duplex	3270.7
505	4 BHK	2508.5
506	4 BHK	2352.6
601	3 BHK	1822.5
605	4 BHK	2508.5
606	4 BHK	2352.6
703	3 BHK	1822.5
704	Duplex	3270.7
705	4 BHK	2508.5
801	3 BHK	1822.5
802	3 BHK	1822.1
805	4 BHK	2508.5
906	4 BHK	2352.6
901	3 BHK	1822.5
902	3 BHK	1822.1
903	3 BHK	1822.5
906	4 BHK	2352.6
1001	3 BHK	1822.5
1003	3 BHK	1822.5
1005	4 BHK	2508.5
1101	3 BHK	1822.5
1102	3 BHK	1822.1
1104	Duplex	3270.7
1105	4 BHK	2508.5
1106	4 BHK	2352.6
1201	3 BHK	1822.5
1203	3 BHK	1822.5
1205	4 BHK	2508.5

अय पंजीयक
जयपुर दस्तावेज़

VIVANTA CONDOMINIUM

For Prem Sagwan Projects Pvt. Ltd.


Director


Proprietor

1206	4 BHK	2352.6
1301	3 BHK	1822.5
1302	3 BHK	1822.1
1304	Duplex	3270.7
1305	4 BHK	2508.5
1306	4 BHK	2352.6
1401	3 BHK	1822.5
1402	3 BHK	1822.1
1403	3 BHK	1822.5
1406	4 BHK	2352.6
1501	3 BHK	1822.5
1504	Duplex	3270.7
1505	4 BHK	2508.5
1506	4 BHK	2352.6
1601	3 BHK	1822.5
1602	3 BHK	1822.1
1605	4 BHK	2508.5
1606	4 BHK	2352.6
1701	3 BHK	1822.5
1702	3 BHK	1822.1
1703	3 BHK	1822.5
1706	4 BHK	2352.6
1801	3 BHK	1822.5
1802	3 BHK	1822.1
1805	4 BHK	2352.6



परिशिष्ट-2

प्रधानमंत्री व उत्तीर्णपक्ष के संयुक्त हिस्से में आयो यूनिट / पलेट्स आदि का विवरण

103	3 BHK	1822.5
104	Duplex	3270.7
105	4 BHK	2508.5
201	3 BHK	1822.5
202	3 BHK	1822.1
206	4 BHK	2352.6
302	3 BHK	1822.1
305	4 BHK	2508.5
403	3 BHK	1822.5
405	4 BHK	2508.5
501	3 BHK	1822.5
602	3 BHK	1822.1
603	3 BHK	1822.5
701	3 BHK	1822.5
702	3 BHK	1822.1

उप पंजीयक
जयपुर दसम

For Prom. Sugar India Projects Pvt. Ltd.

VIVANT
Proprietor

Director

706	4 BHK	2352.6
808	3 BHK	1822.5
904	Duplex	3270.7
905	4 BHK	2508.5
1002	3 BHK	1822.1
1006	4 BHK	2352.6
1103	3 BHK	1822.5
1202	3 BHK	1822.1
1303	3 BHK	1822.5
1405	4 BHK	2508.5
1502	3 BHK	1822.1
1503	3 BHK	1822.5
1603	3 BHK	1822.5
1704	Duplex	3270.7
1705	4 BHK	2508.5
1803	3 BHK	1822.5
1805	4 BHK	2508.5



For Prem Sagar Infra Projects Pvt. Ltd.

VIVANT CORPORATION
Proprietor

Director

अप पंजीयक
जयपुर दस्तम

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : JAIPUR-X

Fee Receipt No. 100
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131)

Print Date: 12-05-2023 1:37 PM

Date: 12/05/2023

202301190007660

Fee Receipt No.	:	202302190010254	Receipt Date	
Name	:	VIVEK CHORDIA PROPRIOR VIVANTA CORPORATION,	Document S. No.	
Address	:	29, JANPATH JAIPUR	JAIPUR-X	
Document Type	:	Power of Attorney	Evaluated Value	₹
Face Value	:	₹ 0		
Ord-Registration Fee	:	₹ 10000	Fee for Memorandum Ur. 61-67	₹ 0
CSI	:	₹ 300	Certified copying fees De	₹
Stamp (Memorandum)	:	₹	Reg (memorandum)	₹ 500
Surcharge	:	₹ 150	Stamp Duty	₹ 0
Penalty	:	₹ 0	Inspection fee	₹ 0
Us_25_34	:	₹ 0	Commission	₹ 0
Custody	:	₹	Others	₹ 0
			Cash Amount Received	₹ 0
			Other than Cash	₹ 10950
			Total Amount	₹ 10950

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Challan 75564525 ₹ 10950 # e-Challan 75565237 ₹ 050

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

Signature of recipient
and date of return receipt

Cashier

SUB-REGISTRAR

e-Challan

Registration and Stamps department
Government of Rajasthan

GRN: 0075564525



Payment Date: 12/05/2023 12:19:56

Office Name: Sub Registrar X Registration & Stamps Jaipur
Location: JAIPUR (CITY)
Period: 01/04/2023-To-31/03/2024



S.No	Purpose/Budget Head Name	Amount (₹)
1	0030-03-600-01-00-अन्य प्राप्तियां	300.00
2	0030-03-104-01-00-पंजीकरण शुल्क से प्राप्ति	10000.00
Commission(-):		0.00
Total/Net Amount:		10300.00
Ten Thousand Three Hundred Rupees and Zero Paise Only		

Payee Details:

Full Name: VIVANTA CORPORATION	Tin/Actt.No./VehicleNo./Taxid :
Pan No.(If Applicable):	City(Pincode): jaipur(302001)
Address: GROUP HOUSING PLOT KHASRA NO. 88 VILLAGE SUKHIYA TEHSIL SANGANER JAIPUR	Remarks:SITARAM TODAWAT AND PREMSAGAR INFRAPROJECTS PVT LTD VS VIVANTA CORPORATION TYPE OF DOCUMENT- POWER OF ATTORNEY

Payment Details:

Bank:	State Bank Of India	Challan No. -	0
Date:	12/05/2023 12:19:56	Bank CIN No:	SBIN7556452512052023

Computer generated copy on : 12/05/2023

Courtesy : <https://Egras.rajasthan.gov.in>

For Prem Sagar Intra Projects Pvt. Ltd.

Director

VIVANTA CORPORATION

Proprietor



पंजाब नगरपालिका

।। मुख्यारनामा—आम ।।

यह मुख्यारनामा—आमका दस्तावेज आज दिनांक १५ मई सन् २०१३ ईस्टी की, जयपुर शहर में (१) सीताराम टोडावत, आयु ५६ वर्ष, पुत्र श्री हरिकिशन टोडावत (पत्री गामी जटि निवासी ग्राम सुखिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर (राज.) आयपुर नम्बर ५१५—८६४—४६१४, PAN : AEVPC1046F (२) मैसर्स प्रेमसागर इन्फ्राप्रोजेक्ट्स

प्राइवेट लिमिटेड (PAN : AAHCP4742N), जो कि भारतीय भागीदारी अधिनियम १९५६/२०१३ के अन्तर्गत गठित एक पंजीकृत कम्पनी है जिसका पंजीकृत कार्यालय एस-१, रिहि ऐजिडेन्सी, प्लॉट नम्बर ११, सैकिंच फ्लॉर, मिशन कम्पाउण्ड, अजमेर रोड, जयपुर ३०२००१ तथा कॉरपोरेट पार्थान संख्या U45201RJ2013PTC044444, जरिये कम्पनी के बोर्ड रिजिस्ट्रेशन दिनांक ११/०५/२०३ के द्वारा अधिकृत कम्पनी के निदेशक श्री मनोज गर्ग, आयु ५३ वर्ष, पुत्र श्री राधा किशन गर्ग, निवासी १५-ए, आयुवान नगर, महारानी फार्म, जयपुर ३०२०१८, आधार नम्बर ३३१४-६९६०-६९७१ —मुख्यारकर्ता, जिसे इस मुख्यारनामा—आम के दस्तावेज में आगे घलकर शब्द 'प्रधमपक्ष' के नाम से सम्बोधित किया गया है (जिस शब्द 'प्रधमपक्ष' में श्री सीताराम टोडावत स्वयं एवं उनके समस्त उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि, इत्यादि भी समिलित समझे जावेंगे, इसी प्रकार मैसर्स प्रेमसागर इन्फ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड में कम्पनी के समस्त निदेशकगण, शहर होल्डर, असाइनीज, प्रतिनिधि, हस्ताक्षरकर्ता, एजेंट, सर्वन्त आदि भी समिलित समझे जावेंगे, जब तक कि इस लेख पत्र के संदर्भ में कोई विपरीत अभिप्राय न हो) की ओर से मैसर्स विवाता कारपोरेशन, कार्यालय २९, जनपथ, श्याम नगर, जयपुर (राज.) जरिये प्रोपराइटर श्री चौराडिया, आयु ४१ वर्ष, पुत्र श्री विनय चौराडिया, निवासी ६१, संगाम कॉलोनी, श्री—स्कॉल, जयपुर (राज.) आधार नम्बर ८३१८-७२३९-८९५७, PAN : AEHPC7888N —मुख्यारकर्ता— (जो कि विकासकर्ता है), जिसे इस मुख्यारनामा—आम के दस्तावेज में आगे घलकर शब्द 'हितीयपक्ष' से सम्बोधित किया गया है। (जिस शब्द 'हितीयपक्ष' में मैसर्स विवाता कारपोरेशन के प्रोपराइटर स्वयं एवं उनके समस्त उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि, इत्यादि भी समिलित समझे जावेंगे, जब तक कि इस लेख पत्र के संदर्भ में कोई विपरीत अभिप्राय न हो) के हक में निम्न प्रकार तहरीर एवं तकमील किया गया है।

जो कि वाके ग्राम सुखिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर से गुप लक्ष्मी पंजीयक नूखरण्ड अन्तर्गत खसरा नम्बर ८८ स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल ११६१८.७५ वर्गगज है। उपरोक्त गुप लक्ष्मी पंजीयक की धारो सीमाओं में पूर्व की ओर सेक्टर रोड ४८.०० मीटर चौड़ी सरकारी वास्ते आमद रफ़त, परिचय की ओर अन्य भूमि, उत्तर की ओर सड़क १८.०० मीटर चौड़ी सरकारी वास्ते आमद रफ़त एवं दक्षिण की ओर अन्य भूमि, स्थित हैं।

For Prem Sagar Infra Projects Pvt. Ltd.

VIVANTA CORPORATION
Proprietor

Director

(...2...)




जो कि उपरोक्त वर्णित युप हाउसिंग भूखण्ड की भूमि पर संबंध में आवाही गई समस्त राशियों प्रथमपक्ष में से श्री सीताराम टोडायल के द्वारा अनुमति दिकास प्राधिकरण जयपुर में जमा कराने के उपरात जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के द्वारा उपरोक्त युप हाउसिंग भूखण्ड के संबंध में पट्टा विलेय न्यायांक 148 दिनांक 15.12.2013 के प्रथमपक्ष में से श्री सीताराम टोडायल के नाम से निष्पादित किया गया, जिसका पंजीयन उप पंजीयक सांगानेर (द्वितीय) की पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 251, पृष्ठ संख्या 107, क्रम संख्या 2014399000167 पर दिनांक 13.01.2014 को किया गया एवं जिसकी प्रति अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 1003, पृष्ठ संख्या 83 से 92 तक पर चला गई।

कालीतार में प्रथमपक्ष में से श्री सीताराम टोडायल एवं प्रथमपक्ष में से मैतर्स प्रेमसागर इन्फ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के मध्य युप हाउसिंग भूखण्ड की भूमि पर जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर द्वारा स्वीकृत भवन मानवित्र अनुमति बहुमंजिला इमारत का निर्माण करने के संबंध में एक डिवलपमेंट एंटरप्राइज का दस्तावेज दिनांक 14.02.2014 को निष्पादित किया गया, जिसका पंजीयन उप पंजीयक पंचम, जयपुर की पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 751, पृष्ठ संख्या 100, क्रम संख्या 2014397002443 पर दिनांक 24.02.2014 को किया गया एवं जिसकी प्रति अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 3002, पृष्ठ संख्या 514 से 525 तक पर चला की गई। उक्त डिवलपमेंट एंटरप्राइज में व्याप्त मैसर्स प्रेमसागर इन्फ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के कार्यक्षेत्र व विषयवस्तु संबंधित को सीमित करते हुये मैसर्स प्रेमसागर इन्फ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का कार्यक्षेत्र व शेत्राधिकार बी-टॉवर के निर्माण तक सीमित किया गया तथा इस संबंध में सफ्टीमेन्ट्री बीड का निष्पादन पक्कारान के माय में किया गया, जिसका पंजीयन उप पंजीयक G-215 के यहाँ पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 332, पृष्ठ संख्या 64, क्रम संख्या 202303190107777 पर दिनांक 30/05/13 को किया गया एवं जिसकी प्रति अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 1.326, पृष्ठ संख्या 215 से 225 तक पर चला की गई।

यह कि उपरोक्त युप हाउसिंग भूखण्ड की भूमि पर बहुमंजिला इमारतों का निर्माण करने के संबंध में निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने हेतु मैसर्स प्रेमसागर इन्फ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा आवेदन किया गया और इस संबंध में आवश्यक समस्त शुल्क जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर में जमा कराये गये, जिसके उपरात जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के द्वारा उपरोक्त युप हाउसिंग भूखण्ड पर इमारत का निर्माण करने हेतु भवन मानवित्र 28.90 मीटर ऊँचाई की जरिये पत्र न्यायांक ज.वि.प्रा./स.स./बी.पी.सी.(बी.पी.)/2016/दी-1525 दिनांक 01.07.2016 के अनुमोदित किये गये। तत्पश्चात मैसर्स प्रेमसागर इन्फ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के आवेदन पर जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के द्वारा 41.40 मीटर ऊँचाई के भवन मानवित्र जरिये पत्र न्यायांक ज.वि.प्रा./अति.म.न.नि. VIVANTA CORPORATION


For Prem Sagar Infra Projects Pvt. Ltd.


Director


Proprietor

अनु. नं. प्रकारों का नाम व पता

- 1 श्री/महिला/मुखी SITARAM TODAWAT, श्री/मुखी/पति श्री HARIKISHAN TODAWAT CHAUDHARY, अवसाय Otherजाति 0-HINDU House No.:00, Colony: VILLAGE SUKHIYA, Area: SANGANER, City: JAIPUR, Pin code: 302022, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN
- 2 श्री/महिला/मुखी MANOJ GARG DIRECTOR PREMSAGAR INFRAPROJECT PRIVATE LIMITED, श्री/मुखी/पति श्री RADHA KRISHAN GARG, अवसाय Otherजाति 0-HINDU House No.:00, Colony: 3-1 RISHI RESIDENCY PLOT NO. 11 SECOND FLOOR MISION COMPOUND, Area: AJMER ROAD, City: JAIPUR, Pin code: 302001, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN
- 3 श्री/महिला/मुखी VIVEK CHORDIA PROPRIETOR VIVANTA CORPORATION, श्री/मुखी/पति श्री VINAY CHORDIA, अवसाय Otherजाति 0-HINDU House No.:29, Colony: JANPATH, Area: SHYAM NAGAR, City: JAIPUR, Pin code: 302019, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN

दायांचित्र	आगड़ा	वधकारी का प्रकार
		Executive Age : 56 Signature : 
		Executive Age : 53 Signature : 
		Claimant Age : 41 Signature : 

ने देवयान When given to promoter or developer by whatever name called for construction on, or development of, or sale or transfer (in any manner whatsoever) of, any immovable property, (with Sale power) को पढ़ मूल व समझकर, विष्यादान करना स्वीकार किया।

प्रतिफल राशि रु 0/- पूर्ण में : मेरे समझ / मेरे से ₹ 0/- पूर्ण में ————— मेरे उत्तम प्रभत बनना दबीकार लिया।

उक्त विष्यादान कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने दी है, जिनके हुत्ताकर एवं अग्रहा निशान मेरे समझ लिए गए हैं।

अनु. नं. मवाहों का नाम व पता	दायांचित्र	आगड़ा	हस्ताक्षर
1 Name: श्री/महिला/मुखी CHETAN, श्री/मुखी/पति श्री DEVENDRA जाति HINDU Age: 24 Add: House No.:516, Colony: PARIS POINT, Area: BANI PARK, City: JAIPUR, Pin code: 302016, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			
2 Name: श्री/महिला/मुखी ANKIT JAIN, श्री/मुखी/पति श्री KAILASH CHAND JAIN जाति HINDU Age: 33 Add: House No.:582, Colony: FLAT NO. 203, FIRST FLOOR NALSHTRA EMPIRE KAMLA NEHRU NAGAR, Area: HEERAPURA, City: JAIPUR, Pin code: 302021, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			

202301190007660

उप जायकाल विधायक
जयपुर विधायक
जयपुर JAIPUR-X

(...3...)



श्री.पी.सी.(बी.पी.)/2020/दी-887 दिनांक 10.08.2022 के अनुमोदितों किये गये द्वारा
वर्तमान में जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के द्वारा उपरोक्त ग्रुप-हाउसिंग भवन पर 58
मीटर ऊँचाई के भवन मानधित्र जरिये संशोधित भवन मानधित्र प्रदर्शित जारी किया गया। दि.
नि./ श्री.पी.सी.(बी.पी.)/2022/दी-1719 दिनांक 18.11.2022 के द्वारा अनुमोदित कर जारी
किये दुये हैं।

जो कि प्रथमपक्ष के द्वारा उपरोक्त ग्रुप हाउसिंग मूख्यमंडल खसरा नम्बर 88, शाम
सुखिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर की भूमि पर ए-टीवर/ए-ब्लॉक की भूमि
क्षेत्रफल लगभग 4640.00 वर्गमीटर पर जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर से प्राप्त भवन
निर्माण अनुमति के क्रम में विकासकार्य करने के संबंध में डबलपर्सेट एप्रीमेन्ट विकासकर्ता
के साथ निष्पादित किया गया है। प्रथमपक्ष एवं द्वितीयपक्ष के मध्य निष्पादित
डबलपर्सेट एप्रीमेन्ट की रातों के क्रम में द्वितीयपक्ष के हिस्से/अलोकेशन में
आयी युनिटों/फ्लेटों, पार्किंग के संबंध में यह मुख्यारनामा आम निष्पादित
किया गया है। डबलपर्सेट एप्रीमेन्ट अनुसार द्वितीयपक्ष के अलोकेशन/हिस्से में
आयी युनिटों/फ्लेटों, पार्किंग का विवरण निम्न प्रकार है:-

Flat No.	Type of Flat	Area of Flat (in Sq. Feet)
101	3 BHK	1822.5
102	3 BHK	1822.1
106	4 BHK	2352.6
203	3 BHK	1822.5
205	4 BHK	2508.5
301	3 BHK	1822.5
303	3 BHK	1822.5
304	Duplex	3270.7
306	4 BHK	2352.6
401	3 BHK	1822.5
402	3 BHK	1822.1
406	4 BHK	2352.6
502	3 BHK	1822.1
503	3 BHK	1822.5
504	Duplex	3270.7
505	4 BHK	2508.5
506	4 BHK	2352.6
601	3 BHK	1822.5
605	4 BHK	2508.5
606	4 BHK	2352.6
703	3 BHK	1822.5
704	Duplex	3270.7
705	4 BHK	2508.5
801	3 BHK	1822.5

For Prem Sagar India Projects Pvt. Ltd.

Director

VIVANTA CORPORATION
Proprietor



Presentation Endorsement

ज्ञात दिनांक 12 मार्च 2023 से 01:29 PM वजे
 श्री/श्रीमती/सूरी SITARAM TODAWAT श्री/मुख्य पति श्री HARIKISHAN
 TODAWAT CHOUDHARY
 उम्र 56 वर्ष, जाति 0-HINDU, ज्ञातसाथ Other
 निवासी House No.:00, Colony: VILLAGE SUKHIYA, Area:
 SANGANER, City: JAIPUR, Pin code: 302022, District: JAIPUR,
 State: RAJASTHAN

ने मेरे समाधि इस्ताबेद पंचीयन हेतु प्रस्तुत किया।

(Signature)
 हस्ताक्षर, प्रस्तुतकर्ता
 202301190007660

(Signature)
 हस्ताक्षर उप पंचीयक,
 JAIPUR-X

When given to promoter or developer by whatever name called for construction on, or development of, or sale or transfer (in any manner whatsoever) of, any immovable property (With Sale power)

Fee Receipt Endorsement

रजीव नं.	202302190010254
दिनांक	12-05-2023
पंचीयन रुपाल ₹	10000
प्रतिलिपि रुपाल ₹	0
प्राप्ताकात रुपाल ₹	300
अन्य रुपाल ₹	0
कमी स्टाम्प रुपाल ₹	500
कमी सरपार्वत रुपाल ₹	150
कुल रोग	10950

202301190007660

(Signature)
 उप पंचीयक, JAIPUR-X

When given to promoter or developer by whatever name called for construction on, or development of, or sale or transfer (in any manner whatsoever) of, any immovable property (With Sale power)
 Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Challan 75564525 ₹ 10300 # e-
 Gras Challan 75565237 ₹ 650

Endorsement of Execution

(...4...)



802	3 BHK	
805	4 BHK	
806	4 BHK	
901	3 BHK	
902	3 BHK	
903	3 BHK	
906	4 BHK	
1001	3 BHK	2352.6
1003	3 BHK	1822.5
1005	4 BHK	1822.5
1101	3 BHK	2508.5
1102	3 BHK	1822.5
1104	Duplex	1822.1
1105	4 BHK	3270.7
1106	4 BHK	2508.5
1201	3 BHK	2352.6
1203	3 BHK	1822.5
1205	4 BHK	1822.5
1206	4 BHK	2508.5
1301	3 BHK	2352.6
1302	3 BHK	1822.5
1304	Duplex	1822.1
1305	4 BHK	3270.7
1306	4 BHK	2508.5
1401	3 BHK	2352.6
1402	3 BHK	1822.5
1403	3 BHK	1822.1
1406	4 BHK	1822.5
1501	3 BHK	2352.6
1504	Duplex	1822.5
1505	4 BHK	3270.7
1506	4 BHK	2508.5
1601	3 BHK	2352.6
1602	3 BHK	1822.5
1605	4 BHK	1822.1
1606	4 BHK	2508.5
1701	3 BHK	2352.6
1702	3 BHK	1822.5
1703	3 BHK	1822.1
1706	4 BHK	1822.5
1801	3 BHK	2352.6
1802	3 BHK	1822.5
1806	4 BHK	1822.1
		2352.6

For Prem Sagar Infra Projects Pvt. Ltd.

VIVANTA CORPORATION
Proprietor

M. A. Director



Registration Endorsement

आज दिनांक 30/05/2023 को
पुस्तक संख्या 4 जिल्हा संख्या 9 में
पृष्ठ संख्या 112 तक संख्या 202301190400223 पर पंजीयन किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 4 जिल्हा संख्या 18 के
पृष्ठ संख्या 146 से 225 पर बास्ता किया गया।

202301190007660

उप पंजीयक AJPUR-X

When given to promoter or developer by whatever name called for construction, or development
of, or sale or transfer (in any manner whatsoever) of, any immovable property, (with Sale power)

(...5...)

पंजीयन विभाग

धूम प्रथमपक्ष अपने कार्यों में व्यस्त है इसलिये प्रथमपक्ष, द्वितीयपक्ष विकासकर्ता के अलोकेशन में आये पहचान तथा निशाज किये हुए भाग (जिसका उत्तरण उपर सारणी में लिखा हुआ है एवं जिसको संलग्न नक्शे में दृश्य रूप से दर्शाया गया है) के संबंध में विकासकर्ता द्वितीयपक्ष या उसके अधिक्रेताओं के हित-भै-विक्रय इकरार करने, विक्रय पत्र पर हस्ताक्षर करने, विक्रय पत्र को उप पंजीयक के रामदा प्रस्तुत करने व द्वितीयपक्ष के अनुपात व हिस्से की उपरोक्त सम्पत्ति के हित में समस्त लिखित एवं मीठिक कार्यवाही व्यवितरण रूप से उपरिक्त होकर करने में असमर्थ है इसलिये प्रथमपक्ष, द्वितीयपक्ष को अपना मुख्याकारान नियुक्त कर अधिकार देते हैं कि द्वितीयपक्ष उपरोक्त वर्णित युप हाउसिंग भूखण्ड की भूमि के ए-टॉवर/ए-ब्लॉक पर द्वितीयपक्ष के द्वारा कराये गये निर्माण, विनियोजित घन, समय, लागत, अनुमव, तर्जुबैं की एवज में उपरोक्त वर्णित युप हाउसिंग भूखण्ड की भूमि के ए-टॉवर/ए-ब्लॉक में निर्मित निर्माण के पहचान तथा निशान किया हुआ भाग (जिसका विवरण उपर सारणी में लिखा हुआ है एवं जिसको संलग्न नक्शे में दृश्य रूप से दर्शाया गया है) को किसी बो भी किसी भी कीमत में रहन, विक्रय, दसीयत, दान अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित करे, विक्रय की दर निर्धारित करे, विक्रय हेतु एडीमेन्ट फॉर रील (फार्म-जी) निष्पादित करे, फ्लेट/युनिट का आवंटन करे, आवंटन निरस्त करे निरस्तीकरण विलेख/संशोधन विलेख/विनिय विलेख आदि निष्पादित करे, एडवान्स राशि प्राप्त करे, रसीद स्वयं के हस्ताक्षरों से निष्पादित करे, विक्रय प्रतिफल राशि प्राप्त करे, प्रतिफल राशि जरिये नकद या चैक या ढी.डी. से प्राप्त करे, चैक/ढी.डी. को स्वयं के नाम से प्राप्त करे, विक्रय पत्र तौथार कराकर प्रथमपक्ष की ओर से हस्ताक्षर करे, सम्पूर्ण मूल्यधन की राशि प्राप्त कर विक्रय पत्र तस्दीक कराये, विक्रय पत्र के दस्तावेज को उप पंजीयक कार्यालय/तहसील कार्यालय में वास्ते पंजीयन प्रस्तुत करे, उप-पंजीयक के समुख बयान देवे, उप-पंजीयक कार्यालय में दस्तावेज प्रस्तुतिकरण पर हस्ताक्षर करे, युनिट मध्य भूखण्ड की भूमि में आनुपातिक व अविभाजित हिस्से की भूमि के हस्तान्तरण की कार्यवाही पूर्ण करे, युनिट/फ्लेट आदि को किसी बो भी लीज पर देवे, लीज ढी.डी निष्पादित करे, लीज/किराया स्वयं के नाम से प्राप्त करे, लीज ढी.डी पंजीयक कराये।

यह कि द्वितीयपक्ष को अधिकार होगा कि उपरोक्त वर्णित युप हाउसिंग भूखण्ड की भूमि के ए-टॉवर/ए-ब्लॉक की भूमि पर द्वितीयपक्ष के द्वारा कराये गये निर्माण, विनियोजित घन, समय, लागत, अनुमव, तर्जुबैं की एवज में उपरोक्त वर्णित युप हाउसिंग भूखण्ड की भूमि के ए-टॉवर/ए-ब्लॉक की भूमि पर निर्मित निर्माण के पहचान तथा निशान किया हुआ भाग (जिसका विवरण उपर सारणी में लिखा हुआ है एवं जिसको संलग्न नक्शे में दृश्य रूप से दर्शाया गया है) की द्वितीयपक्ष प्रत्येक प्रकार से सार संभाल करे, समस्त संपत्कारी, अर्द्ध सरकारी विभागों, न्यायालयों, जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर,

For Prem Sagar Infra Projects Pvt. Ltd.

VIVANTA CORPORATION

Director

Proprietor



नगर, निम्रली जयपुर, जयपुर विद्युत वितरण लिमिटेड, जलदाय विभाग, उप पंजीयक कार्यालय, पुलिस थाने आदि जो निम्रलीमान में स्थित हैं या भौतिक से कायम होंगे, मे प्रत्येक प्रकार की लिखित एवं गोखिक कार्यवाही करें। प्रार्थनापत्र, अप्पथपत्र, आदि निष्पादित करें, पैरवी करने के लिये बालील/एड्वोकेट/डॉक्टर/विद्युत कर्म मेहनताना अदा करें, रसीद प्राप्त करें, प्रमाणित करें एवं पृथक करें, किसी भी प्रकार का वाद-विवाद होने पर उत्तरण निर्दारण कराये। यह मुख्यारनामा आम प्रथमपक्ष के द्वारा द्वितीयपक्ष के हित मे डबलफर्मेंट एप्रीमेन्ट की शर्तों की पालनार्थ निष्पादित करायी गई है अतः प्रथमपक्ष को डबलफर्मेंट एप्रीमेन्ट के प्रभावी रहने के दौरान इस मुख्यारनामा आम को बिना द्वितीयपक्ष की लिखित सहमति के निरस्त करने का अधिकार नहीं होगा।

यह कि इस मुख्यारनामा आम के साथ नक्शे भी संलग्न किये गये हैं जिसमे इस मुख्यारनामा आम की विषयवस्तु सम्पूर्णता को बीले रंग से दर्शाया गया है। संलग्न नक्शे भी इस मुख्यारनामा आम का अग्रिम भाग हैं एवं सदैव साथ पढ़े जायेंगे।

अतः यह मुख्यारनामा आम प्रथमपक्ष ने अपनी राजी खुशी स्वरूप चित्त तथा स्थिर बुद्धि की अवस्था मे द्वितीयपक्ष के हित मे 06 धीन पैषव पर लिख दिया है कि प्रमाण रहे और समय पर काम आये। इति दिनांक 12 माह मई सन् 2023 ईस्वी।

हस्ताक्षर प्रथमपक्ष

(स्रीसत्यम टोंडावदा)

मैसर्स प्रेमसागर इन्फ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
जरिये कम्पनी के नियोजक मनोज गग
For Prem Sagar Projects Pvt. Ltd.

हस्ताक्षर द्वितीयपक्ष
VIVANTA CORPORATION Director

मैसर्स विवांता कॉर्पोरेशन
जरिये कर्म के प्रोप्रोराइटर विदेक भौरडिया

उप पंजीयक
जयपुर दस्त

हस्ताक्षर गवाह-1
Chetan
516 Paris Point Jaipur

हस्ताक्षर गवाह-2

Ankit Jain
HNO. 5812 Filature, 203, First floor walshtra
Empire Kamla Nehru Nagar Heeropura Jaipur


BLOCK-A
TYPICAL FLOOR PLAN(2,4,6,8,10,12,14,16th &
18th floor FLOOR.)

Director

For New Projects Pvt. Ltd.

2nd FLOOR PLAN

VIVANT CORPORATION
Platinum




आम दि 30/5/23. को पुराना संग्रह 6
प्रति 9 रुपये 112.50 रुपये 262303/90 400-223
जा दिन 2 रुपये 100 रुपये 100 रुपये 4
प्रति रुपये 13.50 रुपये 27460 225
एवं इसी प्रकार।

ज्ञान प्रकाशन
JAIPUR-X

ଉପ ପଞ୍ଜୀୟକ
ଜୟପୁର ଦସ୍ତମ



BLOCK - A
TYPICAL FLOOR PLAN
(3,5,7,9,11,13th,15th, 17th FLOOR)



For Sale by the Proprietor

Mr. K. S. Patel

अरा नं ३०/५/२३ गो ३ वर्ष तारा ५
पिल चामा १२३० गो २०.२.३.०३।९०४०० २२३
ए बीमा पिल नार वालीले तुला तारा
तिल चामा १५६ गो १५६ २२५
ए पाप तिला गो।

जा शिंदे, गोपनीय
वन्धु राम


उप पंजीयक
चायपुर बचन



Architect

BLOCK-A

TYPICAL FLOOR PLAN(2,4,6,8,10,12,14,16th & 18th floor FLOOR)



Architect

Mr. Hem Singh Bhatia Projects Pvt. Ltd.

Director

मान नं. ३०/५६८८
मिस्र लाला ७६ रोड विहारी लाला २०३ १९०४०२२३
ज्ञान विहारी लाला २०३ १९०४०२२३
विहार कला १५ के द्वारा लाला २०३ १९०४०२२३


पर जन्म दिन या।

पर जन्म दिन
बाहर दल

उप पंजीयक
ज्ञान विहार



**TYPICAL FLOOR PLAN
BLOCK A
(357,9,11,13th,15th, 17th FLOOR)**



ब्राह्मण
निवासी
नं ३०१५२३
दिन शत्रुघ्नी
२०२३ वर्ष १२ मार्च
परिवहन नं ३०३१९०४०६२२३


कृष्ण
निवासी
नं ३०१५२३

ब्राह्मण
निवासी
नं ३०१५२३



TYPICAL FLOOR PLAN(2,4,6,8,10,12,14,16th & 18th floor FLOOR)

BLOCK-A



Vivanta Signature Projects Pvt. Ltd.

H. K. SINGH


मा नं. ३०/५/२३ वा ३० मार्च १४
दिन दोष १८ वर्ष का (२००३ वर्ष २६.०३.१९०५) ००२२३
पर अधिक दिन एवं तारीख दिन दोष ५
निवासना १३ के पर वर्ष १९६५ ते १९८५
पर वर्ष दिवा तथा।

ज्ञानेश, JAIPUR-X
वर्ष वर्ष

राजस्थान
जयपुर दसम्



BLOCK - A
TYPICAL FLOOR PLAN SUB-REGISTRAR, JAIPUR-X
 (3,5,7,9,11,13th, 15th, 17th FLOOR)



For Hemrajgopal Project Pvt. Ltd.
 Director

आम दि: ३०/५/२१ के ७ बजे तारा ५
निवास संख्या १९ नं पुस्तक संख्या २०२३०३। १० ५८० २२३
पर प्राप्ति दिन १० जून १९५८ दिन प्राप्ति संख्या ५
निवास संख्या १२० के पुस्तक संख्या १९६ के २२५
पर प्राप्ति दिन १० जून १९५८

अधीक्षक,
जयपुर शहर

चप पंजीयक
जयपुर बस्तम









BLOCK-A

TYPICAL FLOOR PLAN(2,4,6,8,10,12,14,16th & 18th floor FLOOR-

8th Floor Plan



SHIVAMTA CONGREGATION
Proprietor



卷之三

Directrice

अर्जन नम्रता ३०५७२३ के तुलना में ८
पिंड वाला १५ अप्रैल २०२३ २४२३०३ १९०५००२२३
पा. नं. ६ निर्माण वाला अधिकारी १५०५००२२५
निर्माण वाला १५०५००२२५
पा. अस्त्र वाला १५०५००२२५


जारी करने वाला
उप पंजीयन
जयपुर दस्तावेज़



BLOCK-A
TYPICAL FLOOR PLAN • S.H.S. CONTRACTORS
(3,5,7,9,11,13th,15th, 17th FLOOR)

Bei F. Bruckmann Verlag, Erl.

Direction



आठ दिन ३०/५/२३ लोटुंग साम ६
बिल्ड राजा १० ने प्रा रामा/१२३० राजा २०२३०३ १० ५००२२१
प्रा विल्ड रामा एवं को लोकिन गुरुद रामा ५
बिल्ड रामा १३ के प्रा रामा १५६ + २४५
प्रा अमा तिका रामा।

अधीक्षक JAPURAK
जापुर राम

उप पंडीयक
जयपुर दस्तम




BLOCK-A
TYPIICAL FLOOR PLAN(2,4,6,8,10,12,14,16th &
18th floor FLOOR-

For Plan Sagar India Projects Pvt. Ltd.

Director

15th FLOOR PLAN




मास दि- ५. ३०/५/२३ वे युवा वाम ४
निवास स्थान ११२८८ इलाहा २६२३०३। ७०५००२२३
पर विवाह वेतन वान अधिकारी लोक वाम ४
निवास स्थान १४६ वा १४८ नं २२५
पर विवाह वाम

ग्राम पालक, जापुर-X
वाम वाम
उप विवाह
जायपुर दस्तावेज़



BLOCK - A
TYPICAL FLOOR PLAN
(3,5,7,9,11,13th,15th, 17th FLOOR)



SIWAR, JAIPUR-X

जयपुर (दग्धालेखन) निगम
SIWAR, JAIPUR-X
CONSTRUCTION LINE

SIWAR
RAILWAY CORPORATION
Proprietor

Easra Apartments Project Pvt. Ltd.
Director


अन्त निकाल - ३०/५/२३ श्रीमद्भव वार्ष ४
निकाल संख्या १३ पर निकाल कोड २०२३०३/९० ४००२२३
पर निकाल कोड २०२३०३/९० ४००२२३
निकाल संख्या १३ पर निकाल कोड २०२३०३/९० ४००२२३
पर निकाल कोड २०२३०३/९० ४००२२३

ला. निकाल, JAIPUR-X
कालांगड़ जा.

उप पंजीयक
जयपुर दस्तम



BLOCK-A
TYPICAL FLOOR PLAN(2,4,6,8,10,12,14,16th &
18th floor FLOOR.)




आव दिनांक 30.1.23 को पुस्तक लंबा ७
दिनांक 9.२.२३ दोषीता/दोष संख्या 202303170400223
पर अधिकारी किए थे यह एक अधिकारी पुस्तक है।
मिल शंखा 18 को दोष 146-A 226
या प्रकार किए गया।

कृष्ण चन्द्र
AURANGABAD
प्रस्तुत दस्तावेज़

चप पंजीयक
जायपुर दस्तावेज़






आज दिनांक 30/1/23 को पुस्तक संखा ५
मिल संखा ७ में पुस्तकालय//उत्तर संखा 262303/90400225
पर लिखक विषय गवर राजा अंगिरेश दुलाल संखा ५
मिल संखा 123 में पुस्तकालय 146 के 225
पर दस्तखत दी गया।


दस्तखत,
जापुर-एक
दस्तखत

उप पंजीयक
जापुर दस्ताम्






BLOCK-A
TYPICAL FLOOR PLAN(2,4,6,8,10,12,14,16th & 18th floor FLOOR-

आज दिन/वार 30/5/23 से पूर्वान्तर 4
मिल गठनक्रमे ने पूर्व वारा 1/209 लंबा 2023 03 19 0400 223
पर चैक्स दिया गया एवं अधिकारी उत्तरान्तर 4
गिरद वारा 18 के पुरा वारा 146 & 225
पर चैक्स दिया गया।

लाल राजा, राजस्थान
परामुख वारा

उप पंचीयक
जयपुर दसम





BLOCK - A
TYPICAL FLOOR PLAN
(3,5,7,9,11,13th, 15th, 17th FLOOR)


Architect M.L.

62
Drafter

30/5/23 4
9 112 2023-3190400-223
4
18 194 225

OR
पंजीयक
चायपुर वस्त्र





30/5/25
9 82 202803190400223
पर्याप्त निवारण के लिए जनकी
प्रति दिन 18 146 225
या बाहर लिया गया।

DR
गोपनीय
विषय काम

उप पंजीयक
जयपुर दसम्






आम नं. ५०/५१३ वो दूसरा संस्कार
वित्र संख्या २६ वारा दिन ११ अक्टूबर १९४२ वारा ३०३/१९०६०८२२३
पर पंचांग दिना वारा ताता अलीगढ़ लालक चतुर्थ
वित्र संख्या १७६ वारा १५ अक्टूबर १९४२ ८२५
पर चला दिना वारा।

१०१ निषेध, MAJUBA-X
पश्चुन दर्शन
चप पंजीयन
जायपुर दर्शन





BLOCK-A
TYPICAL FLOOR PLAN(2,4,6,8,10,12,14,16th &
18th floor FLOOR-

Printed by
Rishabh Engineering Projects Pvt. Ltd.

आज दिनांक २५/५/२३ को पुस्तकालय
वितरण संख्या ७५४ पुस्तकालय संख्या २६२३०३१९०४०० २२३
पर जारीकरा वितरण ग्रन्थ अधिकारी प्राप्त संख्या ५४
वितरण संख्या १८० पुस्तकालय संख्या १५६ & २२५
पर जारीकरा वितरण

कृष्ण पर्वत, MIRPUR-३
जयपुर राज्य
उप पंजीयक
जयपुर दसम

